राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 8 चतुर्थ विधान सभा के अष्टम् सत्र का द्वितीय दिवस संख्या 2

मंगलवार, दिनांक 12 मई, 1970

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.5 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजन नाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[सिंचाई, पंचायत, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, यातायात, अकाल सहायता, वन, राजस्थान नहर परियोजना]

सिंचाई विभाग अलवर डिविजन द्वारा दिये गये ठेके

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनलाल मोदी।

29. श्री मोहनलाल मोदी (नीम-का थाना) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) 1 अप्रेल 1969 से 28-2-70 तक सिंचाई विभाग के अलवर डिविजन में किस किस ठेकेदार को कितनी कितनी रकम के ठेके दिये गये ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ?

(2) क्या यह सही है कि सिंचाई विभाग अलवर में अधिशासी अभियन्ता के पद पर श्री जगदीश गहलोत के आने के पश्चात् अधिकतर ठेके सैनी ठेकेदारों को ही दिये गये हैं ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(3) क्या यह सही है कि अलवर डिविजन के अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग ने बिना रजिस्टर्ड ठेकेदारों को भी ठेके दिये हैं, जिनमें अधिकतर सैनी ही हैं ? यदि हां, तो ऐसे ठेकों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री जसराज) : (1) सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां लेकिन इनमें से सैनी ठेकेदार बहुत कम हैं। सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री मोहनलाल मोदी : मैं जानकारी करना चाहता हूँ कि इसमें तीन टुकड़े 233, 234 व 235 इन तीन नम्बरों का मुरलीधर सैनी को ठेका दिया गया है। इसके अन्दर तीन टुकड़े दिये गये हैं या नहीं ? जो एक्स. ई. एन. को अधिकार है उससे अधिक लिमिट के ये हैं ?

श्री जसराज : जी हां।

श्री मोहनलाल मोदी : वह सैनी है ?

श्री जसराज : जी हां।

श्री मोहनलाल मोदी : क्या इस तरह अलग अलग टुकड़े करके तीनों टुकड़े ही एक व्यक्ति को देना उचित है ?

श्री जसराज : यह केवल सैनी का ही सवाल नहीं है। जिस प्रकार का वर्क होता है, जितनी धनराशि उपलब्ध होती है, जैसी परिस्थिति होती है, उसके अनुसार हम खर्च करते हैं। लोएस्ट टेन्डर का ठेका दिया गया है। अगर आंकड़ों के अनुसार देखें तो सैनी इतने कम हैं कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि किसी प्रकार का पक्षपात या जातिवाद किया गया है।

श्री मोहनलाल मोदी : यह ठेका टेन्डर्स से नहीं दिया गया है। यह वर्कचार्ज पर दिया गया है।

सिंचाई मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : दो तरह के हैं एक तो वर्कचार्ज और एक टेन्डर्स से। काम छोटा होता है जल्दी निपटाना होता है जैसे फ्लड वर्क्स हैं, जल्दी समय से पूर्व समाप्त हो जाय, इसलिए कई बार जल्दी समाप्त कराने के लिए इस तरह से वर्क चार्ज पर दे देते हैं।

श्री मोहनलाल मोदी : एक ही ठेका तीन टुकड़े करके वर्कचार्ज पर देना, जबकि 20 हजार से अधिक एक्स. ई. एन. को पावर्स नहीं इसलिए 10–10 हजार के टुकड़े करके एक व्यक्ति को जो सैनी है, उनको दिया गया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसी कोई अनियमितता नहीं है, सैनी होने से अनियमितता नहीं हो सकती, जो वर्क आर्डर पर दिया गया है, वह मिनिमम और लोएस्ट पर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : पंचायत मंत्री।

गुराडिया कलां पंचायत समिति डग के सरपंच के विरुद्ध कार्यवाही

श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि गुराडिया कलां पंचायत समिति डग के सरपंच के विरुद्ध आडिट पार्टी ने सन् 1966 के हिसाब में गबन किया जाना बतलाया है यदि हां, तो किन किन मुद्दों पर ? कृपया मय तारीखों के बतलाने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त पंचायत का सन् 1967 व 68 का अभी आडिट नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों नहीं ? यदि किया जा चुका है तो उसमें कितने गबन व अनियमितता के मामले सामने आए हैं ?

(3) क्या यह सही है कि एस. पी. झालावाड़ व थाना आवर ने उक्त सरपंच की गलत कार्यवाहियों के लिए उन्हें थाने में बुलाया व केस दर्ज किया था ? यदि हां, तो किस मामले का व कब ?

(4) गुराडिया कलां के सरपंच के विरुद्ध पंचायत विभाग ने अब तक क्या कार्यवाही की है ? और नहीं की तो क्यों नहीं की ?

उप मंत्री, पंचायत (श्रीमती प्रभा मिश्रा): (1) जी हां। दिनांक 30-4-66 को 244) रु. के भुगतान को 344) रु.

(श्रीमती प्रभा मिश्रा)
रोकड़ में लिखा व दिनांक 24-2-66 को पंचायत समिति से प्राप्त अनुदान रु. 80) को जमा नहीं किया।

(2) गबन के मामले में पंचायत का रेकार्ड जिलाधीश कार्यालय में जब्त होने के कारण वर्ष 1967-68 का आडिट नहीं हुआ है।

(3) जी नहीं।

(4) इस मामले में सरपंच के विरुद्ध राजस्थान पंचायत अधिनियम सन् 1953 की धारा 17 (4) के अन्तर्गत जांच जारी है व उप जिला विकास अधिकारी, झालावाड़ को दिनांक 31-1-70 को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है।

श्री जुझारसिंह : क्या यह सही है कि गत वर्ष जिलाधीश, झालावाड़ ने उक्त सरपंच को सस्पेंड करने के लिये विकास विभाग को लिखा था ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : इस प्रकार की कोई जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री जुझारसिंह : जानकारी कैसे नहीं है ? मैं दे रहा हूँ। यह सही है। गत वर्ष कोई 7-8 महीने पहले कलक्टर, झालावाड़ ने इस तरह की इजाजत चाही थी क्योंकि सरपंच ने गबन किया हुआ है इसलिए सस्पेंड करने की इजाजत दी जाय। आपके पास अभी तक सूचना नहीं पहुंची है।

श्री मोहरराम पूनिया (साहुलपुर) : व्यवस्था का प्रश्न है। यह सवाल जो पूछा जा रहा है माननीय सदस्य ने किसी को नुकसान पहुंचाने की दृष्टि से पूछा है, इसलिए व्यवस्था दी जाय।

श्री अध्यक्ष : जन हित में नुकसान और लाभ का प्रश्न नहीं है।

(उप मंत्री से) क्या सस्पेंड करने के लिए पत्र लिखा जिलाधीश, झालावाड़ ने ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : मेरे पास जानकारी नहीं है।

श्री जुझारसिंह : मेरा प्रश्न एक और है क्या इनको थाना आवर में किसी अफीम के केस में थाने में जब्तशुदा अफीम को बन्दूक बता कर छीन कर ले आये थे जिस पर एस. पी. झालावाड़ ने बुलाया था ?

पंचायत मंत्री (श्री परसराम मदेरणा): जी नहीं।

श्री जुझारसिंह : एस. पी., झालावाड़ ने किसी अफीम के केस को पकड़ा था उसमें उस अफीम को जब्त किया गया था उस अफीम को बन्दूक दिखा कर ये सरपंच छीनकर ले गये इस पर एस. पी., झालावाड़ ने इनको बुलाया और इनसे पूछताछ की इसी पर एस. पी., झालावाड़ का तबादला कर दिया गया ?

श्री परसराम मदेरणा : यह मेन क्वेश्चन से संबन्धित नहीं है अतः उत्तर नहीं दे सकता।

श्री जुझारसिंह : क्वेश्चन तो गबन के बारे में ही पूछ रहा हूँ। चूंकि इन सरपंच को उप मंत्री का सपोर्ट है इसलिये इसके खिलाफ कुछ कार्यवाही नहीं की जा रही है।

श्री परसराम मदेरणा : आपने आडिट रिपोर्ट के बारे में पूछा था कि कोई अफीम का केस रजिस्टर हुआ या नहीं और उसके सम्बन्ध में इनको बुलाया गया या नहीं मैंने निवेदन किया इस प्रकार के गबन के मामले का उल्लेख आडिट रिपोर्ट में नहीं है।

श्री जुझारसिंह : कलेक्टर, झालावाड़ ने इन सरपंच को सस्पेण्ड करने के लिये इजाजत चाही थी ?

श्री परसराम मदेरणा : इसका सम्बन्ध इस प्रश्न से नहीं है ।

श्री जुझारसिंह : मैंने खुद ने लिख कर दिया उस पर कलक्टर, झालावाड ने सरकार से इजाजत चाही थी इनको सस्पेण्ड करने की इजाजत दी जाय ?

श्री परसराम मदेरणा : यह सूचना अभी मेरे पास नहीं है। सस्पेन्सन आदि का सवाल तो मेरिट पर डिसाइड किया जायगा।

श्री जुझारसिंह : इस मामले में डिप्टी डी. डी. ओ. को एन्क्वायरी आफिसर लगा दिया गया जब कि कलेक्टर की यह डेफीनेट सिफारिश थी कि इनको सस्पेण्ड करने की इजाजत दी जाय ।

श्री अध्यक्ष : इसकी इनको जानकारी नहीं है।

श्री जुझारसिंह : 1966 से यह मामला पेंडिंग चला आ रहा है इसके सम्बन्ध में एक दर्जन से अधिक कागज मैं मिनिस्टर को, कलेक्टर को लिख चुका हूं इसके अलावा मैंने पर्सनली भी इस सारे मामले से मंत्री महोदय को भी अवगत करा दिया था। कलेक्टर, झालावाड़ ने इनको सस्पेंड करने के लिये लिखा था। वैसी हालत में इसकी इन्क्वायरी डिप्टी डी. डी. ओ. को देना क्या मायने रखता है। यह चूंकि वहां के मंडल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं इसलिये इनको बचाने की कोशिश की जा रही है और इनको डिप्टी मिनिस्टर का प्रोटेक्शन मिला हुआ है ?

श्री परसराम मदेरणा : किसी प्रकार से भी इस प्रश्न को टालने का सवाल नहीं है। माननीय सदस्य ने एक पत्र लिखा था 2-4-69 को जो मेरे पास 3-4 को पहुंचा उसको मैंने विभाग को 5-4 को प्रारम्भिक जांच के लिये भेजा उस से सम्बन्धित सूचना मेरे पास 17-5 को आई जिसमें उनका स्पष्टीकरण मांगा गया और उस पर डिप्टी डी. डी. ओ. को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। माननीय सदस्य कह रहे हैं कि यह 1966 से विचाराधीन था हमारे पास तो विचाराधीन नहीं था। कलेक्टर लेवल पर वे कार्यवाही करा सकते थे।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आप इसका स्पष्ट जवाब दें कि जो स्पष्टीकरण उस अधिकारी से मांगा उससे आपको सन्तोष हो गया था ?

श्री परसराम मदेरणा : प्रीलिमिनरी प्राइमा फेसी केस जब बन जाता है तो पहले प्रीलिमिनरी रिपोर्ट पर स्पष्टीकरण मांगा जाता है। स्पष्टीकरण के बाद जब सेटिसफेक्शन हो जाय कि प्राइमा फेसी केस बन गया है तब उसकी जांच के लिये आदेश दिये जाते हैं और जांच अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

Page No 5

श्री भैरोंसिंह : राज्य सरकार इस बात से सन्तुष्ट है कि इन सरपंच के खिलाफ प्राइमा फेसी केस बन गया है अब मजीद इन्क्वायरी कराने की आवश्यकता है इसलिये आप इन्क्वायरी करा रहे हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : पहले प्रीलिमिनरी इन्क्वायरी की रिपोर्ट आने के बाद विस्तृत जानकारी के आदेश दिये गये हैं।

श्री भैरोंसिंह : आपने कहा था कि प्रीलिमिनरी इन्क्वायरी करने के बाद स्पष्टीकरण सम्बन्धित व्यक्ति से आ जाय उसके बाद सन्तोष नहीं हो तो इन्क्वायरी होती है यह मैंने पूछा था। आपको सन्तोष नहीं था इसलिये आपने मजीद इन्क्वायरी के आदेश दिये इससे राज्य सरकार की यह मान्यता है कि जो इन्क्वायरी हुई है उसमें प्राइमा फेसी केस बनता है ?

श्री परसराम मदेरणा : फिर भी स्पष्टीकरण कराना जरूरी है।

श्री भैरोंसिंह : मैं स्पष्टीकरण की बात नहीं पूछ रहा हूं। मैं यह जानना चाहता हूं जांच के आधार पर जब प्राइमा फेसी केस बन गया तो उसके बाद आपने उसकी मजीद इन्क्वायरी करने की आवश्यकता समझी ?

श्री परसराम मदेरणा : विस्तृत जांच के लिये मैंने आदेश दिये हैं।

श्री भैरोंसिंह : तो फिर आपने सरपंच को सस्पेण्ड क्यों नहीं किया जब प्राइमा फेसी केस एस्टेब्लिश हो गया मजीद इन्क्वायरी होती रहेगी उसके पहले आपको इस सरपंच को सस्पेण्ड करना चाहियेथा।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (अकलेरा) : यह इनकी हिम्मत हो सकती है इसके बारे में मुख्य मंत्री जी का दबाव पड़ रहा है ये कभी उसको सस्पेण्ड कर पायेंगे।

श्री बैजीदत्त गांडिया (बारां) : उस सरपंच को उप मंत्री की पूरी शह मिली हुई है वह निडर होकर घूम रहा है।

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : आपकी सूचना के लिये बता दूं यह खूब तो रिश्वत खाता है, कानून का उल्लंघन करना तो यह अपना अधिकार मानता है, कई प्रकार की नाजायज हरकतें यह करता है इतना सब कुछ होते हुए भी इसको सस्पेण्ड नहीं किया जा सकता।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : इस सरपंच की इतनी हिम्मत कि थाने में एस. पी. को बन्दूक दिखा कर अफीम छीन लाये उस पर एस. पी. के रिपोर्ट करने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की जाय इससे अधिक शर्म की बात क्या हो सकती है ?

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : इस सरपंच को गैर-कानूनी तरीके से संरक्षण मिला हुआ है।

श्री मनोहर सिंह मेहता (मांडलगढ़) : जब कलेक्टर ने सस्पेन्शन के लिये इजाजत चाही है तो फिर डी. डी. भो. को जांच के लिये सौंपने से क्या मतलब है ?

श्री परसराम मदेरणा : आपको कानूनी जानकारी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : कानून ये ही जानते हैं इनके अनुसार कांग्रेस का सरपंच हो तो उसमे

(श्री भैरोंसिंह)
कितने ही गुनाह किये हों उसको सस्पेण्ड नहीं करना और गैर-कांग्रेसी सरपंच को मामूली से मामूली अपराध पर तुरन्त हटा देना यही इनका कानून है ।

श्री परसराम मदेरणा : मुझे कतई मालूम नहीं कि इसके बारे में कुछ शिकायतें हैं ।

श्री जुझार सिंह : इसका लिखित प्रमाण दे सकता हूं । मैंने लिखित में आपको दिया है ।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : मंत्रियों की मेमोरी का नाश होता जा रहा है ।

श्री परसराम मदेरणा : मैं आपके हर प्रश्न का जवाब दूं यह लाजमी नहीं है ।

श्री जुझार सिंह : यह इसलिए कि वे आपकी पार्टी के मेम्बर हैं और पंचायत समिति के अध्यक्ष हैं ।

श्री परसराम मदेरणा : मैंने आपसे निवेदन किया चाहे विरोधी हो या हमारे पक्ष का मैं किसी के साथ रियायत नहीं बरतता हूं मैंने जांच के आदेश दिये हैं ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : मुझे तो कानूनी जानकारी नहीं लेकिन आपको तो यह भी पता नहीं कि वे सरपंच आपके साथ के हैं आपकी पार्टी के हैं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय प्राईमा फेसी नेचर की एवीडेन्स है तो यह पेन्शन के लिए पर्याप्त है या नहीं ?

श्री परसराम मदेरणा : यह तो आफेन्स की सिवीयेरिटी पर डिपेण्ड करता है ।

श्री भैरोंसिंह : इस प्रश्न में साफ कहा है क्या यह सही है कि गुरडिया कलां पंचायत समिति इग से सरपंच के विरुद्ध आडिट पार्टी ने सन् 1956 के हिसाब में गबन किया जाना बतलाया गया है ? यदि हां, तो किन किन मुद्दों पर ?

आपने इसका जवाब हां से दिया है दिनांक 30-4-66 को 254) रु. के भुगतान को 344) रु. रोकड़ में लिखा व दिनांक 24-2-66 को पंचायत समिति प्राप्त अनुदान रु. 80) को जमा नहीं किया । आप तो कानून के जानकार हैं क्या यह गबन की परिभाषा में नहीं आता है ?

श्री परसराम मदेरणा : गबन हुआ या नहीं यह आडिट रिपोर्ट में आया हुआ है उस रिपोर्ट में 80) रुपये का भी मामला है ।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : अफीम को छोड़ दीजिए ।

श्री अध्यक्ष : यहां अफीम नहीं है ।

श्री परसराम मदेरणा : प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी एक तरफा होती है । उसके बाद विस्तृत जांच होती है उसमें पूरी अपोर्चुनिटी मिलती है सम्बन्धित व्यक्ति भी अपने मामले को पुटअप करके आया उसने यह किया या नहीं, हो सकता है इसमें क्लेरिकल स्टाफ की सांठगांठ भी हो । 80) रुपया बैंक में नहीं जमा कराया केवल इसीलिए एक्शन ले लें, उचित नहीं है । आखिर वह कारण बतायेगा क्यों नहीं जमा कराया उसके बाद इस बारे में कार्यवाही हो सकती है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या प्रिलिमिनिरी इन्क्वायरी रिपोर्ट में यह स्वीकार किया गया है इस रकम का गबन किया है।

श्री परसराम मदेरणा : यह बात ठीक है।

श्री भैरोंसिंह : उसके बाद तो आपके अधिकार क्षेत्र में बात नहीं रहती है गबन के मामले को पुलिस को हैण्ड ओवर करना चाहिये था।

श्री परसराम मदेरणा : यह तो आडिट रिपोर्ट के आधार पर भी कर सकते थे।

श्री भैरोंसिंह : आपने विभाग को यह आदेश दिया क्या कि यह मामला पुलिस को दे दिया जाय।

श्री परसराम मदेरणा : मामले की गम्भीरता पर निर्भर करता है।

श्री भैरोंसिंह : यह गम्भीर मामला है।

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है बिना प्रारम्भिक जांच, केवल सरसरी शिकायत पर भी आप सरपंचों को सस्पेण्ड कर देते हैं ?

श्री अध्यक्ष : हाई पोथेटिकल।

श्री भैरोंसिंह : हाई पोथेटिकल नहीं। तथ्य है।

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि झालावाड़ के कलक्टर ने एक सरपंच को निलम्बित करने के लिये आपको लिखा है।

श्री अध्यक्ष : वह प्रश्न आ चुका है, उत्तर भी आ चुका है।

श्री जुझारसिंह : गबन के मामलों में स्पष्ट जी हां कहा है। प्राइमा फेसी का यहां सवाल नहीं रहा अब, तो फिर भी कार्यवाही क्यों नहीं करते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : मैं नहीं कर सकता कार्यवाही। जांच अधिकारी करेगा। मामला जांच करने के लिए दे दिया है। प्रोसीजर को पूरा किये बगैर और सारा मामला स्पष्ट हुए बगैर सजा नहीं दे सकते हम। न पैनल्टी इम्पोज कर सकते हैं। रहा सवाल सस्पेन्शन का। प्रारम्भ में जैसा उप मन्त्रीजी ने कहा यह तथ्य मेरी जानकारी में नहीं है। अब गबन दस रुपये का भी होता है और दस हजार का भी। तो इसमें हमें भेद करना होगा, विचार करना होगा, उसके पास बैंक नहीं होता है, अकांउण्ट्स नहीं होता है दूसरा पोस्ट आफिस भी नहीं होता है तो यह टैक्निकल मामला है, इस पोइन्ट आफ व्यू से भी इसे देखना होगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री पूनिया। श्री शिक्षा मन्त्री।

श्री जुझारसिंह : इसका कोई सन्तोषप्रद जवाब नहीं आया है। इसमें टैक्निकल पोइन्ट केवल एक ही है कि वह सरपंच कांग्रेसी है और चूंकि कांग्रेसी है इसलिये ये उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं।

सेना के सेवा मुक्त अधिकारियों को सुविधाएं

22. श्री शीशराम पूनिया (सादुलपुर): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग द्वारा प्रकाशित पत्र संख्या एफ. (227)एज्यू.

Page No 8

(श्री शीशराम पूनिया)
सेल 5 (66) दिनांक 17 नवम्बर, 1962 जिसका शंका समाधान पत्र संख्या एफ. 3 (31) एज्यू. सेल 6 (63) दिनांक 27 फरवरी, 1969 में दिया गया, में दिये गये कन्सेशन एजुकेशन सेवा मुक्त आपत्का-लीन आफिसरों को प्राप्त नहीं हैं?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार इस विषय पर पुर्नविचार करके ऐसे छात्रों को जो आपत्कालीन आफिसर थे और जिन्होंने वापिस आकर पढ़ाई शुरू की है उसको उप-रोक्त पत्र में दी गई सुविधाएं देने का विचार रखती है।

(3) क्या सरकार के ध्यान में है कि राजस्थान विश्वविद्यालय के विधिसंकाय में पढ़ने वाले ऐसे छात्रों से विश्व-विद्यालय द्वारा फीस की मांग की जा रही है जिनसे प्रथम व द्वितीय वर्ष की एल. एल. बी. में फीस वसूल नहीं की गई थी? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में आपत्का-लीन आफिसरों को दिये गये आश्वासनों को पूरा करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उप मन्त्री, शिक्षा (राव श्री धीर सिंह): (1) जैसा कि शिक्षा विभाग के पत्र संख्या एफ. 3 (31) एजू. सेल 6 (63) दिनांक 27 फरवरी, 1969 में साफ लिखा हुआ है, जो एजूकेशन कन्सेशन शिक्षा विभाग के पत्र संख्या एफ. 1 (227) ई.डी.यू.सेल (6) 56 दिनांक 17 नवम्बर, 1962 में दिये गये हैं ये केवल उन्हीं भूतपूर्व सैनिकों, सैनिक अधिकारियों अथवा उनके आश्रितों के लिए लागू हैं जो नेफा, लद्दाख में आपत्कालीन स्थिति में मारे गये अथवा विकलांग हो गये और राजस्थान में रह रहे हैं।

2. उपरोक्त सुविधाएं उन्हीं को दी जाती हैं जो राजाज्ञा के अन्तर्गत पाने के अधिकारी हैं।

3. राजस्थान विश्वविद्यालय के विधि संकाय में पढ़ने वाले कुछ छात्र ऐसे हैं जिनसे इस वर्ष फीस मांगी गई है यद्यपि उनसे पिछले वर्षों में फीस वसूल नहीं की गई थी। विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों में जो ऐसे छात्र हैं। जो शंका समाधान शिक्षा विभाग ने अपने पत्र संख्या एफ. 3(31) ई. डी. यू. सेल 6/63 दिनांक 27 फरवरी 66 के द्वारा किया है, वह पिछले वर्षों में न होने के कारण कुछ छात्रों को फीस से छूट दे दी गई थी जब कि वास्तव में वे उसके अधिकारी नहीं थे।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): क्या यह सही है कि राज्य सरकार सन् 62 में और 65 में सैनिकों के सम्बन्ध में उनके बच्चों से शिक्षा शुल्क नहीं वसूल किया जावे इसमें संशोधन करके 28 फरवरी, 69 को जो आदेश निकाला है उसके द्वारा उन फौजियों के बच्चों को महरूम रखा गया है जो किसी कारण से अपाहिज नहीं हुए, मारे नहीं गये। पर एक्टिव सर्विस के हैं। उनके पुत्रों को शुल्क से मुक्त नहीं किया गया है।

राव श्री धीर सिंह: पहले वाले आर्डर का यह क्लेरिफिकेशन मात्र है। पहले वाले आर्डर की भी यही मंशा थी इसकी भी यही है।

श्री भैरों सिंह: 1969 में ही यह क्यों किया गया। प्रशासनिक व्यय में कटौती

Page No 9

(श्री भैरोंसिंह)
करने की दृष्टि से इस प्रकार का इन्टरप्रीटेशन करके जिन फौजियों को सुविधाएं मिल रही थीं उनको वापिस ले लिया है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री शिवचरण माथुर) : इन्टरप्रीटेशन का सवाल नहीं था, पहले भी साफ था आर्डर ।

श्री भैरोंसिंह : वह तो आपने पुस्तिका निकाल रखी है। मैं दोनों बातें बता दूं। राज्य सरकार के सूचना प्रसारण मन्त्रालय के सार्वजनिक सम्पर्क विभाग ने एक पुस्तिका निकाली है। उसमें न आपके किसी आर्डर का हवाला है, न रेफरेन्स है किसी और बात का। ऐसा लगता है उन्होंने फाल्स अनाउन्समेंट किया है कि जितने फौजी हैं एक्टिव सर्विस में तो उन सबके लिए यह प्रावधान है कि उनके सभी बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जायगी। इस बारे में विधान सभा में भी सवाल आते रहे हैं और यही जवाब देकर अलग अलग मिनिस्टरों ने तालियां बजवाई हैं।

श्री शिवचरण माथुर : विकलांग हो गये या मारे गये उन्हीं के लिए था यहां पर कई जगह इन्टरप्रिटेशन गलत तरीके से लगाकर फीस माफ कर दी गई थी।

श्री अध्यक्ष : श्री दौलतराम ।

श्री भैरोंसिंह : सभी तरह की सुविधाएं इस सरकार ने वापस ली हैं।

डूंगरगढ व सरदारशहर में चिकित्सा की व्यवस्था

23. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) डूंगरगढ़ सरदारशहर में चिकित्सा की क्या व्यवस्था है ? वहां के अस्पताल कब से स्थापित हैं और किस श्रेणी के हैं ? उनमें कितनी रोग शैय्यायें हैं ? कितनी दवा का वार्षिक बजट है और औसत दैनिक रोगी संख्या कितनी कितनी है ? क्या रोगी संख्या के अनुपात में दवाओं का बजट कम नहीं है ?

(2) सरदारशहर में 50 रोगी शैय्याओं का अस्पताल भवन बनाने का प्रस्ताव श्री छोटेलाल सेठिया के परिवार द्वारा राज्य सरकार के सन्मुख कब से प्रस्तुत है ? इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है और कब ? क्या दानदाता को भवन बनाने के लिये सरकार ने स्वीकृत नक्शे के अनुसार अनुमति दे दी है ? क्या एग्रीमेन्ट हो गया है ? यदि हां, तो एग्रीमेन्ट और स्वीकृत नक्शे की प्रति दी जाय ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(3) क्या सरकार सरदारशहर कस्बे के अस्पताल और प्राइमरी हैल्थ सेन्टर को अविलम्ब अलग अलग करने की व्यवस्था करेगी ?

(4) क्या सरकार के यह ध्यान में है कि दोनों के एक साथ रहने से कस्बे और देहात के नागरिकों को निर्धारित चिकित्सा सुविधा में असुविधा होती है ?

चिकित्सा मन्त्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : (1) सन 1958 से डूंगरगढ़ कस्बे में एक राजकीय चिकित्सालय 18 रोगी शैय्याओं

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

का उपलब्ध है। वह चौथी श्रेणी का है। कस्बा सरदारशहर में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है। 12 रोग शैय्यायें उपलब्ध हैं जो 1958 से कार्यरत हैं। उक्त अस्पताल एवं प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र के लिए सन 1969-70 के औषध मद में रुपया 8400) व 9100) की धनराशि स्वीकृति थी इनके रोगियों की औसत दैनिक संख्या आउटडोर 175 व 65 इन्डोर रोगी 7 व 1 क्रमशः है। औषधि का बजट रोगियों की औसत संख्या के अनुपात में पर्याप्त है। मांग आने पर अतिरिक्त धनराशि भी स्वीकृत की जाती है।

(2) दान प्रस्ताव दिनांक 19-4-49 को स्वीकार किया था। अभी एग्रीमेन्ट नहीं हुआ। इसके अलावा शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(3) नये भवन के पूरे हुए बिना यह सम्भव नहीं हो सकता है।

(4) जी हां।

श्री दौलतराम सारण : यह तो 58 से चिकित्सा सुविधा बताई है। इससे पहले नहीं थी क्या ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : पहले डिस्पेन्सरी होगी, इसका मुझे पता नहीं।

श्री दौलतराम सारण : इसके अतिरिक्त डिस्पेन्सरी चिकित्सा श्रेणी की है या नहीं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र डिस्पेन्सरी का काम करता है मेरे ख्याल से।

श्री दौलतराम सारण : सरदारशहर कस्बे के लिए अलग से डिस्पेन्सरी की व्यवस्था क्यों नहीं है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : शहर के लिए जो है वही दोनों जगह काम करती है।

श्री दौलतराम सारण : क्या इस तरह राजस्थान के अन्य जगह भी हैं जहां प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र शहर और देहात दोनों के लिए एक ही हो ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जी हां। हिण्डौन गंगापुर आदि में है।

श्री शीशराम पूनिया (सादलपुर) : स्थानीय डिस्पेन्सरी और पंचायत समिति ने मन्जूर की है ?

श्री दौलतराम सारण : यह असत्य है, झूंठ है, निराधार है।

क्या यह सही है कि प्राथमिक रोगी शैय्याएं जो आपने 70 बताई हैं वह सही नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

केन्द्रीय सहायता का उपयोग

24. **श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा महल, जयपुर)** : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) समाज कल्याण विभाग द्वारा सन् 69-70 में कितना रुपया केन्द्र सरकार द्वारा तथा राज्य सरकार द्वारा प्राप्त उपयोग नहीं किया गया और उपयोग नहीं किये जाने के कारण सरेण्डर किया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

Page No 11

(श्री दुर्गालाल बाड़दार)

(2) क्या यह सच है कि केन्द्र द्वारा की गई सहायता यदि उपयोग नहीं की जाती है तो भावी सहायता नहीं दी जाती है ?

राज्य मंत्री, समाज कल्याण विभाग (श्री विश्वम्भरनाथ जोशी) : (1) समाज कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 69-70 में पिछड़ी जाति कल्याणार्थ राज्य योजना में 1.15 करोड़ के प्रावधान में में 43.38 हजार रुपये सरेण्डर किये गये । केन्द्रीय योजनाओं में 44.55 लाख के प्रावधानों में से 3.89 लाख सरेण्डर किये गये तथा समाज कल्याण योजनाओं में 2.00 लाख के प्रावधान में से 10.4 हजार सरेण्डर किये गये । इस प्रकार योजना के अन्तर्गत केवल 2.74 प्रतिशत प्रावधान सरेण्डर किया गया ।

(2) जी नहीं । ऐसी कोई शर्त नहीं है ।

श्री दुर्गालाल बाड़दार : मुझे सूची नहीं दी गई ।

जो रुपया उपयोग में नहीं आया और इस कारण सरेण्डर करना पड़ा तो उपयोग नहीं किये जाने का क्या कारण है ?

श्री विश्वम्भर नाथ जोशी : स्कॉलरशिप के लिए जितनी दरख्वास्तें थी सब को दे दी गईं, इसके बाद जो बचा वह लौटाया या कुछ मिस क्लासिफिकेशन के कारण बच गया वह लौटाया है । कुछ इण्डस्ट्रियल सेण्टर्स में समय पर नहीं आने से सरेण्डर करना पड़ा । कुछ पांच हजार लीगल फण्ड का था कोई एडवाइज के लिए नहीं आया तो वह लौटाया ।

दुर्गालाल बाड़दार : इण्डस्ट्रियल सेण्टर का लौटाया तो आखिर आपका प्रचार-प्रसार विभाग क्या कर रहा था ? योजनाओं को क्रियान्वित करने का आखिर उत्तरदायित्व तो आप पर ही है ?

रुपया केन्द्र से लेते हैं, शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की सहायता के लिए। उन लाखों रुपयों का सरकार उपयोग नहीं कर सकती है । एक ओर हम अर्थाभाव की बात करते हैं, दूसरी ओर जो रुपया आता है, उस का उपयोग नहीं होता है । इसका उत्तरदायित्व किस पर डाला जाये ।

(विराम)

श्री अध्यक्ष : उत्तरदायित्व किस पर डाला जाये ?

श्री विश्वम्भर नाथ जोशी : 3 प्र० श० अमाउण्ट सरेण्डर हुआ है ।

श्री दुर्गालाल बाड़दार : एक तरफ राज्य सरकार ओवर ड्राफ्ट लेती है । दूसरी तरफ रुपया आता है उसका सदुपयोग नहीं होता है ।

श्री वृद्धिचन्द जैन : (बाड़मेर) अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का रुपया सरेन्डर कर दिया है ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : इसके लिए मैंने 5 जगह मुकर्रर की थी:—कोटा, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर और जयपुर । अब कोई दरखास्त नहीं आये, डिमाण्ड नहीं आये, कोई मांग नहीं करे तो हम क्या करें ? सरेन्डर नहीं करते हैं तो जनता का पैसा है। Then it is better to surrender than to spend.

श्री यशवन्तसिंह नाहर : (अश्रव्य)

श्री दुर्गालाल बाढदार : क्या जो रुपया सरेन्डर किया है, वह प्रशासन की लापरवाही के कारण सरेन्डर करना पड़ा है ?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : मैं दुबारा निवेदन करता हूं . . .

श्री दुर्गालाल बाढदार : आप ने जो कुछ बताया है, वह गोलमाल उत्तर है ।

श्री अध्यक्ष : अब स्पष्ट उत्तर आ रहा है ।

श्री भैरोंसिंह : इस रकम को सरेन्डर करने की जानकारी आपको कब मिली ?

श्री विशम्भर नाथ जोशी : यह मेरी जानकारी में आ गया, यह सरेन्डर किया जा रहा है, यह काम में नहीं आया है । इसलिए मोटे तौर पर काम में नहीं आने के कारण कुछ रुपया सरेन्डर हुआ । एक यहां कमिटेड एक्सपेण्डीचर था वह 59 तक का पेमेंट करना था । वह भी कमिटेड एक्सपेंडीचर पे कर दिया । भारत सरकार के प्लान्ट का था वह और सरेन्डर हो गया है ।

श्री दुर्गालाल बाढदार : अब आपकी कोशिश क्या करेगी ?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : दूसरा मैंने आपको बताया है कि मांग नहीं हुई ।

श्री जयनारायण सालोदिया : क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बतायेंगे कि इण्डस्ट्रियल एड और लीगल एड का प्रचार आपने किया है ? आप खुद तो करते नहीं । बाहर से पैसा आपको मिलता है, फिर भी उसका सदुपयोग न हो । आप का प्रचार नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य ।

श्री जयनारायण सालोदिया : इसके लिए व्यवस्था कर रखी है ?

श्री विशम्भर नाथ जोशी : रूल के तहत अच्छी तरह से एक्स्ट्रा आर्डिनरी गजट में प्रकाशन किया है ।

श्री दुर्गालाल बाढदार : आपने कब प्रकाशित किया है ? अध्यक्ष महोदय, रूल कब बने और कब प्रकाशित हुए ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय, यह सरेन्डर हुआ है । समाज कल्याण विभाग का कार्य लोक कल्याण का है । जिसमें मिशनरी भावना से कार्य होना चाहिए ।

श्री दुर्गालाल बाढदार : यह आत्म कल्याण हो रहा है, समाज कल्याण नहीं ।

श्री अध्यक्ष : एप्लीकेशन नहीं आईं तो एप्लीकेशन मंगवाई जायें, क्या ऐसी स्प्रिट नहीं है ?

श्री विशम्भर नाथ जोशी : यह किया जा रहा है, अध्यक्ष महोदय ।

श्री दुर्गालाल बाढदार : अध्यक्ष महोदय रूल कब बनें, कब प्रकाशित हुए ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री कृष्ण कुमार गोयल ।

श्री चिकित्सा मन्त्री ।

श्री दुर्गालाल बाढदार : अध्यक्ष महोदय इतनी सी प्रार्थना है :

Page No 13

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री दुर्गालाल बाडवार On the floor of the House if the Honble Minister says it has been published it is wrong. It has never been published.

श्री अध्यक्ष : आर्डर। आर्डर। माननीय मन्त्री महोदय।

कोटा नगर में मलेरिया का प्रकोप

25. श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. क्या यह सही है कि कोटा नगर में गत कई माह से मच्छरों व उसके कारण मलेरिया का प्रकोप चल रहा है ?

2. क्या यह सही है कि मलेरिया विभाग नगरपालिका क्षेत्रों में इस के उन्मूलन के लिए उत्तरदायित्व नहीं लेता ?

3. अगर हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या निर्णय लेना चाहती है ?

चिकित्सा मन्त्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा): जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि कोटा में आजकल मलेरिया का प्रकोप चला हुआ है ?

किस्सा मन्त्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) जो केसेज जनवरी के बाद आये हैं उनकी संख्या इस प्रकार है:—

जनवरी-15

मार्च-67

अप्रेल-25

हमने डी. डी. टी और छिड़कवाई है। 25 केसेज हुए हैं उसके बाद नहीं सुना, यह कहते हैं वहां और सफाई करा दी जाएगी। मई के महीने में डी: डी. टी. स्प्रे और करा दिया जाएगा।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या यह सही है कि चिकित्सा विभाग राज्य सरकार का अंग है उसके एक निर्णय अनुसार जो म्यूनीसिपल एरियाज हैं उनमें यह मलेरिया को इरेडिकेट करने के लिए कोई प्रोग्राम हाथ में नही लेता बल्कि नगर परिषद पर यह कार्य छोड़ा जाता है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : ऐसा था, नेशनल कंट्रोल प्रोग्राम के आधार पर जो प्रोग्राम है वह भारत सरकार ने अपने हाथ में लिया हुआ है। जो सेंक्शन्ड स्कीम है उसमें उन्होंने मंजूर कर लिया है कि जो बड़े सिटी हैं, जिनकी आबादी चालीस हजार की हैं वहां पर यह प्रोग्राम में ले तो इस समस्या का समाधान हो जायगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या इस प्रकार की व्यवस्था थी कि चिकित्सा विभाग का मलेरिया विभाग म्यूनीसिपल एरिया में मलेरिया इरेडिकेशन को करने के लिए प्रोग्राम हाथ में नहीं लेगा।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : प्रोग्राम हाथ में नहीं लेता है, लेकिन मलेरिया उन्मूलन के मेजर फंक्शन्स, जरूर बताते हैं।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : जो मलेरिया उन्मूलन के लिए रुपया जिलों में बांटा है, उसमें से जो कोटा को मिला है उससे मलेरिया इरैडिकेट करने के लिए आठ लाख रुपये की स्कीम तैयार की गई है। कोटा के लिए वह आठ लाख रुपया चाहिए—क्या यह सरकार की नालेज में है ?

श्री बृज सुन्दर शर्मा : वह स्कीम तैयार की गई है, वह नेशनल मलेरिया कंट्रोल के पास जा चुकी है। रुपया सेंक्शन होने पर वह कार्यक्रम हाथ में लिया जायगा।

श्री मोहनलाल मोदी : क्या यह सही नहीं है कि दीपक और मच्छर का सम्बन्ध है ?

श्री कृष्ण कुमार गोयल : आप जिस इलाके से आये हैं उससे मच्छर आये हैं।

श्री भैरोंसिंह : मच्छर अब ऐसे पैदा हो गये हैं जो ज्यादा खाने से मरते हैं और कम खाने से मोटे हो जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : जमा नहीं।

श्री मूलचन्द डागा : आप मोटे हुए हैं या दुबले ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री हरिवल्लभ शर्मा !

स्कूल के लिये निर्मित कमरे

26. **श्री हरिवल्लभ शर्मा :** (सवाई माधोपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा शिक्षा विभाग के हायर सैकेन्डरी स्कूल के लिये कुछ कमरे सवाई माधोपुर कस्बे के बाहर निर्माण कराये गये थे जो शिक्षा विभाग को हस्तान्तरित कर दिये गये थे ?

(2) यदि हां, तो यह कमरे शिक्षा विभाग को कब सुपुर्द किये गए ?

(3) क्या यह सही है कि इस स्थान पर अब सवाई माधोपुर हास्पिटल 50 बैडेड तामीर कराया जा रहा है जिसमें इन कमरों को भी शामिल कर लिया गया है ?

(4) क्या शिक्षा विभाग ने सार्वजनिक निर्माण विभाग से इन कमरों के एवजाने की मांग की ? यदि हां, तो शिक्षा विभाग को कितनी राशि इन कमरों के एवजाने में दी गई और वह राशि शिक्षा विभाग ने कहां व्यय किया जाना स्वीकृत किया ? और यदि मांग नहीं की गई तो क्यों ?

उप मंत्री, शिक्षा (राव श्री धीर सिंह)

(1) जी हां।

(2) सन् 1958 में।

(3) जी हां।

(4) सवाई माधोपुर कस्बे में दूर विराम जंगल में इस भवन की स्थिति होने के कारण जहां विषैले एवं जंगली जानवर का हमेशा भय बना रहता था, शाला का वहां चलाया जाना उपयुक्त नहीं समझा गया। स्थानीय जनता द्वारा मांग करने पर शहर में एक राजकीय भवन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई। यह भवन इस प्रकार सन् 1958 से 1962 तक सहकारी विभाग व अन्य विभागों के उपयोग

(राव श्री धीरसिंह)
में लाया जाता रहा। जिलाधीश सवाई माधोपुर ने दिनांक 5-2-1962 को इस भवन को अध्ययन केन्द्र के लिये आवंटित किया। सन् 1967 में अध्ययन केन्द्र बन्द होने के कारण यह भवन जिलाधीश के अधिकार में पुनः आ गया। अब वर्तमान में यह भवन चिकित्सा विभाग के आधीन है। इस भवन के निर्माण में जन सहयोग से निर्मित कमरों के अतिरिक्त विकास विभाग द्वारा भी निर्माण कार्य हेतु खर्चा किया जा चुका है।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : प्रश्न यह है, जब शिक्षा विभाग के द्वारा यह कमरे पहले बने और दूसरे विभागों को सौंपे गये तो शिक्षा विभाग की जो राशि इन कमरों के निर्माण में खर्च हुई थी वह हायर सेकेन्डरी स्कूल के लिए आवंटित क्यों नहीं करवाई गई?

राव श्री धीरसिंह : जो भवन जनता के सहयोग और मदद से बना, उसको जब शिक्षा विभाग के कार्य के लिए उपयुक्त नहीं समझा, और जनता ने कहा कि यह शिक्षा के काम में नहीं आ सकता इसके अन्दर स्कूल नहीं चल सकता तो गढ़ के अन्दर स्कूल को चलाया। इस दौरान में यह भवन खाली पड़ा रहा और इसमें विभिन्न विभागों ने काम किया। जब स्कूल को ट्रान्सफर किया गया गढ के अन्दर उस वक्त जिन विभागों ने इस भवन में काम किया उनसे धनराशि लेकर गढ़ के अन्दर कमरे बनवाने की बात तय नहीं हुई थी और न जनता ने मांग की थी कि यदि दूसरे विभागों को दिया जाय तो उनसे धनराशि लेकर उनको किराये पर दिया जाय। यह भवन विभागों के उपयोग में आ रहा है। जनता ने इस भवन को बनाया है और जनता के काम में आ रहा है।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : यह भवन सवाई माधोपुर से कितनी दूर है?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट! समाज कल्याण मंत्री!

श्री हरिवल्लभ शर्मा : यह भवन कौनसी जगह बना हुआ है? जिसमें चार कमरे नये बनाये थे, इसके लिए आपने कहा कि यह जंगल में है तो यह सवाई माधोपुर से कितनी दूर है, कहां है?

राव श्री धीरसिंह : बाहर के बाहर!

श्री हरिवल्लभ शर्मा : यह बिल्कुल गलत उत्तर दिया गया है। सवाई माधोपुर कस्बे के बाहर दो फर्लाङ्ग पर यह कमरे बने थे कालेज बनाने के लिए।

श्री अध्यक्ष : दूसरा प्रश्न ले लिया गया है।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : यह गलत जवाब दिया है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : वस्तु स्थिति यह है कि चूंकि आप पूरा नहीं करवा सके, इसलिए यह . . .

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज! नेक्स्ट!

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): अध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य का दो

(महारावल श्री लक्ष्मण सिंह)
सप्लीमेन्ट्री पूछने की इजाजत तो देनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : मैं परिस्थिति देखता हूं। माननीय नेता महोदय कि कौनसा प्रश्न दो तीन सप्लीमेन्ट्री का है, कौनसा ज्यादा का है।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : औसतन दो प्रश्न पूछने की इजाजत तो देनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : दूसरा प्रश्न ले लिया गया है। समाज कल्याण मंत्री!

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : आपकी जो व्यवस्था है वह ठीक है। लेकिन कम से कम दो प्रश्न पूछने की इजाजत तो दी जानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : दो सप्लीमेन्ट्री किसमें हो सकते हैं, किसमें दस हो सकते है—यह मैं देखता हूं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : दो सप्लीमेन्ट्री भी प्रश्नकर्ता नहीं कर सके··

श्री अध्यक्ष : मैंने दूसरा प्रश्न ले लिया है। समाज कल्याण मंत्री!

आदिवासी वन श्रमिक सहकारी संघ को अनुदान

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि आदिवासी वन श्रमिक सहकारी संघ को सरकार द्वारा प्रति वर्ष अनुदान व ऋण दिया जाता है? यदि हां, तो कितना कितना किस किस वर्ष में दिया गया है? क्या इतना अनुदान व ऋण किसी अन्य अनुसूचित जाति व जन जाति की सहकारी समिति को दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? और यदि हां, तो किस किस को कितना कितना व किस किस वर्ष?

राज्य मंत्री, समाज कल्याण (श्री विश्वम्भरनाथ जोशी) : (1) यह सही नहीं है। ऋण केवल एक ही वर्ष सन् 1967-68 में दिया गया था। अन्य वर्षों में केवल अनुदान ही दिया गया है।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : मेल-गाड़ी चल रही है।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : धीरे धीरे बोलें।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : सूची संलग्न है।

जी नहीं। इसका कारण यह है कि यह एक शीर्ष (अपैक्स) संस्था है। इसका कार्यक्षेत्र समूचा राजस्थान है। अन्य इस प्रकार की कोई संस्था नहीं है। अनुदान कोपरेटिव विभाग की सिफारिश पर स्वीकृत किया जाता है व धनराशि का आवंटन भी सहकारिता विभाग को ही दिया जाता है।

कृपया परिशिष्ट 1 (देखिये)

श्री जयनारायण सालोदिया : आपने इस संस्था को एक करोड़ के करीब अनुदान दिया है चार सालों में, यह किस किस काम के लिए दिया है और उस काम में खर्च हुआ

(श्री जयनारायण सालोदिया)
है या नहीं ? यह देखा है विभाग ने ? एक करोड़ का अनुदान दिया, एक करोड़ का कर्ज दिया, जो जिस काम के लिए अनुदान दिया गया उसी काम में खर्च किया गया है—यह देखा है आपने ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी एक करोड़ का बताया—यह तो सही नहीं है।

श्री जयनारायण सालोदिया : आपकी यह लिस्ट है, उसमें एक करोड़ है जी। ठीक एक करोड़ है।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : 99 लाख भी हो सकता है।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : संस्था को जिस काम के लिए दिया है उसका यूटीलाईजेशन यह संस्था बराबर देती रही है। इसके अलावा जो ऋण दिया गया है उसको एक किश्त ड्यू हुई है वह चुका दी है।

श्री जयनारायण सालोदिया : संस्था को चालीस हजार रुपया गोदाम के लिए दिया गया, तो यह गोदाम का क्या करती है ? यह फेडरेशन जैसी संस्था है, यह गोदाम का क्या करती है ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : यह माल और सामान को हिफाजत से रखने के लिए है ताकि वह नष्ट न हो और संस्था को नुकसान न उठाना पड़े।

श्री जयनारायण सालोदिया : यह कोओपरेटिव सोसाइटी का संघ है, यह खुद का काम नहीं करता है, यह कोओपरेटिव सोसाइटी का संघ है, तो इसमें गोदाम का क्या काम है ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : कोओपरेटिव सोसाइटी का संघ है, इसके अलावा जो फेडरेशन की मेम्बर हैं सोसाइटीज उनके लिए गोदाम की आवश्यकता है। इसके अलावा खुद का काम करता है उसके लिए गोदाम की जरूरत पड़ती है, जीप रखते हैं, ट्रक रखते और सामान इधर से उधर पहुंचाते हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या आप यह उचित नहीं समझते कि इस सहकारी संघ के अन्तर्गत जितनी कोओपरेटिव सोसाइटीज हैं, वह आदिवासियों की हैं, शाहबाद और दूसरी कोओपरेटिव सोसाइटीज हैं उनकी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए इस संघ को अनुदान न देकर उन संस्थाओं को अनुदान दें, ताकि जिनके द्वारा यह संघ बना है उनकी स्थिति ठीक तरह से चले और आदिवासियों की और अनुसूचित जाति के लोगों की आर्थिक हालत और व्यवस्था ठीक हो ? इसलिए क्या आप यह उचित नहीं समझते कि उनको अनुदान दिया जाय ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : संस्थाओं की मांग ठीक तौर पर सहकारिता विभाग की मार्फत भिजवायें तो उसके ऊपर विचार कर सकते हैं और देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सहकारी विभाग की मार्फत अभी तक कोई मांग नहीं आई है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 28।

श्री जयनारायण सालोदिया : यह जो 26 हजार रुपया प्रशिक्षण के लिए अनुदान दिया तो इसके द्वारा क्या प्रशिक्षण होता है ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : वर्कर्स के समय समय पर कैम्प लगते हैं, और कैम्प लगते हैं उस काम के लिए यह देते हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : कोग्रोप-रेटिव वर्कर्स को प्रशिक्षण दिया जाता है यह कोग्रोपरेटिव डिपार्टमेंट देता है।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : प्रपैक्स सोसाइटी की जो मेम्बर सोसाइटीज हैं उनके मंत्री ग्रौर मैनेजर, सैक्रेटरी वगैरह वर्कर्स को ट्रेनिंग दी जाती है।

श्री ग्रध्यक्ष : प्रश्न संख्या 28। याता-यात मंत्री।

श्री जयनारायण सालोदिया : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, मैनेजर ग्रादि के लिए ग्रलग से प्रावधान है। यह प्रावधान है 26 हजार का ट्रेनिंग के लिए—यह समझ में नहीं ग्राया।

श्री ग्रध्यक्ष : यह बतला दिया है।

श्री जयनारायण सालोदिया : ग्रापने 1 हजार रुपया सालाना फर्नीचर ग्रादि के लिए दिया है। वहां कौनसा फर्नीचर चाहिए, वहां कौनसी ग्रसेम्बली बैठती है ?

श्री ग्रध्यक्ष : यातायाता मन्त्री !

बाड़मेर—फलसूंड मार्ग पर बसें

28. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाडमेर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर-फल-सूंड रूट पर बसों में यात्रियों की संख्या बहुत ग्रधिक रहती है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त रूट पर दो परमिट होल्डर हैं ग्रौर दिन में दो बार सुबह ग्रौर शाम गाड़ी (बस सर्विस) बाड़मेर से फलसूंड ग्रौर उसी प्रकार फल-सूंड से बाड़मेर जाने एवं ग्राने के परमिट हैं ?

(3) क्या यह सही है कि बस सर्विस दिन में एक बार ही बाड़मेर से फलसूंड जाती है ग्रौर इसी प्रकार एक बार ही फलसूंड से बाड़मेर जाती है ?

(4) क्या राज्य सरकार रीजनल ट्रान्सपोर्ट ग्राथोरिटी द्वारा उक्त रूट पर दो बार सुबह ग्रौर शाम बस सर्विस जाने एवं ग्राने की तुरन्त व्यवस्था करने के लिये ग्रादेश देने का विचार रखती है ?

(5) क्या यह सही है कि उक्त मार्ग पर पुराने मोडल की गाड़ियां चलती हैं ?

(6) क्या राज्य सरकार रीजनल ट्रान्सपोर्ट ग्राथोरिटी द्वारा उक्त मार्ग के परमिट होल्डरों को नये मोडल ली-लैन्ड ग्रौर ग्राई. एज. बी. की गाड़ियों के प्रबन्ध करने के लिये ग्रादेश देने का विचार रखती है।

उपमंत्री, यातायात (श्री समर्थलाल): (1) जी नहीं। कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

(2) जी, यह सही नहीं है। बाड़मेर फलसूंड मार्ग पर चार परमिट होल्डर हैं जो ग्राजकल एक ही रिटर्न ट्रिप करते हैं यद्यपि ग्रार. टी. ए. जोधपुर द्वारा दो रिटर्न ट्रिप निर्धारित किये हुए हैं।

(3) जी हां।

(4) जी हां, ग्रार. टी. ए. जोधपुर द्वारा इस मार्ग पर दो रिटर्न ट्रिप्स निर्धारित

(श्री समर्थलाल) की हुई हैं। निर्धारित समय सारिणी की पालना न करने के कारण ओपरेटरों को मोटर व्हीकल्स एक्ट 1939 की धारा 60 के अन्तर्गत नोटिस दिया गया जिसकी सुनवाई आर. टी. ए. जोधपुर द्वारा 4-6-70 को होने वाली बैठक में होगी।

(5) जी हां। चार गाडियों में से दो गाडियां क्रमशः मिलिट्री डिस्पोजल एवं 1942 मोडल की हैं। मिलिट्री डिस्पोजल गाड़ी के मालिक ने इसकी जगह 1960 मोडल की गाड़ी लगाने की स्वीकृति मांगी है जो आर. टी. ए., जोधपुर के विचाराधीन है। 1942 मोडल की गाड़ी की जगह 1954 से ऊंचे मोडल की गाड़ी लगाने के आर. टी. ए. के आदेश के विरुद्ध एस. टी. ए. द्वारा स्टे-आर्डर दे देने के कारण नई गाड़ी नहीं लग पाई है।

(6) जी हां। इस हेतु आर. टी. ए., जोधपुर द्वारा पहिले ही कार्यवाही की जा रही है।

श्री वृद्धिचन्द जैन : अध्यक्ष महोदय, आर. टी. ओ., जोधपुर द्वारा उक्त मार्ग पर रिटर्न ट्रिप्स के लिए कब निर्णय हुआ?

श्री अध्यक्ष : माइक को हाइट के मुताबिक करें।

श्री वृद्धिचन्द जैन : आर. टी. ओ. द्वारा उक्त मार्ग पर रिटर्न ट्रिप्स के लिए कब निर्णय हुआ?

श्री समर्थलाल : ऐसी तो मेरे पास जानकारी नही है।

श्री अध्यक्ष : दूसरा प्रश्न पूछ लें।

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन : दो रिटर्न ट्रिप्स के बारे में कब तक इम्प्लीमेंटेशन होगा?

श्री समर्थलाल : 4-6-70।

श्री अध्यक्ष : माइक को हाइट के मुताबिक करें।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : 1960 मोडल की गाड़ी के लिए कब तक परिणत किया जायगा?

श्री समर्थलाल : इसके लिए 3-7-69 को फैसला हुआ है।

श्री विजयसिंह मकराना : मंत्री हो या राज्य सरकार के खिलौने?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : 3-7-69 को फैसला हुआ, कब तक क्रियान्वित किया जायगा?

श्री बालसिंह सोढ़ा : कुछ मंत्रियों को याददाश्त नहीं रहती है, इसकी व्यवस्था की जाय।

श्री समर्थलाल : 6-11-68।

श्री विजयसिंह : दलबदलू हैं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : नई गाड़ी के बारे में कब तक क्रियान्वित किया जायगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री दिग्विजयसिंह (उणियारा) : यह जो श्री वृद्धिचंद जैन ने प्रश्न किया था बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष : महत्व खत्म हो गया।

Page No 20

पंचायत समिति भोपालगढ़ द्वारा दिया गया ऋण ।

29. श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पंचायत समिति, भोपालगढ़ में आज तक कुओं पर पम्पिंग सैट्स के लिए कितना किस किस को कब कब ऋण दिया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त पंचायत समिति द्वारा कितनी राशि किस किसको ऋण व सहायता (सब्सिडी) कुए खोदने व गहरा करने के लिये आज तक दी गई है ? सूची सदन की मेज पर रखें। इनमें कितने कार्य के उपयोग प्रमाण-पत्र दिए जा चुके ?

उपमंत्री पंचायत (श्रीमती प्रभा मिश्रा);

(1) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूचना सदन की मेज पर रखो दी गई है। उपयोगिता प्रमाणपत्रों के बारे में सदन की मेज पर रखी गई सूचना में उल्लेख कर दिया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री बालसिंह सोढा : क्या यह सही है कि कोई भी ऋण चाहे पुराने कुओं के लिये चाहे नये कुओं के लिये दिया जाता है, वह किश्तों में दिया जाता है ? ऐसा कोई नियम ?

पंचायत मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : जी हां।

श्री बालसिंह सोढ़ा : क्या यह सही है कि इस सूची में भुगतान में पूर्ण ऋण एक ही दिन दिया गया है ?

श्री परसराम मदेरणा: जी हां।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि रुपया अकाल राहत विभाग से दिया गया है ?

श्री परसराम मदेरणा : इसका भुगतान एक ही किश्त में किया गया है, इस प्रकार के राज्य सरकार के आदेश हैं।

श्री भैरोंसिंह : रुपया अकाल राहत विभाग से दिया गया है या नहीं ?

श्री परसराम मदेरणा : 1969 में जो दिया गया है अकाल राहत से भी और पंचायत विभाग से भी है।

श्री भैरोंसिंह : इसमें कितना रुपया पंचायत विभाग का और कितना रुपया अकाल राहत का है ?

श्री परसराम मदेरणा : मुझे जानकारी नहीं है लेकिन पंचायत विभाग से जो रुपया दिया गया है उसके लिए नियम लागू किया गया था जिनमें किश्त पर दिया जाता है और अकाल राहत विभाग से तकाबी दी जाती थी इसलिए एक ही किश्त में दिया गया है। नए कुओं के लिए या अधूरे कुओं को पूरा करने के लिए एक ही किश्त में दिया गया।

श्री बालसिंह सोढ़ा : तो क्या यह सही है कि जो पंचायत विभाग द्वारा दिया गया वह एक ही किश्त में दिया गया।

Page No 21

श्री परसराम मदेरणा : पंचायत विभाग से किश्तों में दिया गया है । जबकि मंत्री महोदय ने फरमाया. वह किश्तों में दिया जाना चाहिए था ?

श्री बालसिंह सोढा : क्या भोपालगढ में 1960 से 1969 तक अकाल था ?

श्री परसराम मदेरणा : जो रुपया दिया गया 1960 से लेकर, जिस जिस साल में दिया गया वह लिस्ट आपको दे दी है । अलग अलग सालों में अलग अलग रुपया दिया गया है लेकिन 1969 के अन्दर पंचायत विभाग से कुछ रुपया ट्रांसफर हुआ था और कुछ रुपया अकाल विभाग से वितरित किया गया था । अकाल विभाग से जो दिया गया वह एक किश्त में और पंचायत विभाग से जो दिया जाता है पंचायत समितियों को वह तीन किश्तों में दिया जाता है ।

श्री बालसिंह सोढा : इस सूची में 1960 से 1967 तक ऋण दिया गया है और सारा भुगतान एक ही तिथि में एक ही किश्त में किया गया है चाहे पंचायत विभाग हो चाहे अकाल विभाग । परन्तु क्या कारण है एक दिन पूरा ऋण दिया गया, जबकि नियमानुसार किश्तों में देना चाहिये ?

श्री भैरोंसिंह : कारण साफ है, वह उसका निर्वाचन क्षेत्र है ।

श्री परसराम मदेरणा : यह जानकारी मेरे पास नही आई है । जो जानकारी आज आई है अथवा 14 तारीख से पहले की थी उस समय अपूर्ण इन्फरमेशन आई, मैंने बी. डी.ओ. का एक्सप्लेनेशन काल किया था आज फिर अपूर्ण जानकारी भेजी है इसलिए बी0 डी0 ओ0 को मैंने वापस अपने विभाग में रिवर्ट कर दिया है क्यों कि कम्पलीट इन्फरमेशन उन्होंने नहीं भेजी है आया उसका रुपया किन किन किश्तों में कब कब दिया गया ? खातेवार जानकारी हमने मांगी थी । हमने यह भी जानकारी चाही थी कि जो रुपया उपयोग नहीं किया गया उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की, वह जानकारी भी नहीं है । यह जानकारी लाने के लिए एक पत्र कलक्टर को लिखा था उसके बाद भी पूर्ण जानकारी जब बी.डी.ओ. ने नहीं भेजी है और स्पेशल मेसेन्जर जो आया है, अपूर्ण जानकारी फिर लेकर आया है इस लिए उस बी. डी. ओ. को वापस एग्रीकल्चर विभाग में मैंने रिवर्ट कर दिया है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि अकाल राहत विभाग द्वारा जो धनराशि वितरित की गई है उसके वितरण के संबंध में सरकार की उपयुक्त अनुमति नहीं थी । उससे पहले रुपया वितरित किया गया ।

श्री परसराम मदेरणा : सरकार ने रुपया पहले वितरित नहीं किया । सरकार ने रुपया कलक्टर को दिया । कलक्टर ने उसको पंचायत समिति वाइजब्रेक-अप करके एलाट किया । पंचायत समिति को फिर रुपया गया ।

श्री भैरोंसिंह : अकाल राहत विभाग द्वारा आपने रुपया पंपिग सेट्स के लिए वितरित किया है, क्या इस संबंध में सरकार की उपयुक्त अनुमति थी और उससे पहले ही रुपया वितरित कर दिया गया पंपिग सेट्स के लिए ?

श्री परसराम मदेरणा : सरकार द्वारा जो धन राशि आंवटित की गई थी जिलाधीशों को उसमें पंपिग सैट्स के लिये कितना रुपया और कुओं के लिए कितना, या राशि ब्रेक-अप करके निर्धारित करके पैसा भेजते हैं और राज्य सरकार के पंपिग सेट्स के लिए ऋण देने के आदेश थे। आपकी शंका कि इस तरह से बाद में पंपिग सेट्स के लिए राज्य सरकार द्वारा आदेश जारी कर दिए गए, यह सही नहीं है।

श्री भैंरोंसिंह : अकाल राहत विभाग के अन्तर्गत किस मद में कितना रुपया खर्च किया जाय मंत्री-मण्डल से स्वीकृति होती है, मैं जानना चाहता हूं कि इस स्वीकृति से पहले रुपया वितरित किया गया था या कलक्टर से रुपया का एलाटमेंट किया गया था।

श्री परसराम मदेरणा : केबीनेट के पास पूरा बजट जाता है और इस हैड के अन्दर जो कुछ रुपया था नए कुओं के लिए या अधूरे कुओं को पूरा करने के लिए, उसके साथ ही साथ जो इस हैड में पैसा था, वह पंपिग सेट्स के लिए दिया गया। जहां तक कुओं को गहरा करने के लिए पैसे देने का प्रश्न था, वह केबीनेट में जाने का प्रश्न नहीं था लेकिन जिलाधीशों को जो धनराशि आवंटित की गई थी, उसमें मेन्शन किया गया था कितना स्पेसीफिक एकाउन्ट कुओं के लिए और इतना पंपिग सेट्स के लिए हैं।

(12 मध्याह्न)

श्री भैंरोंसिंह : क्या यह सही है कि बजट जब बनाया था रुपये तकसीम करने का उसमें पम्पिग सेट का उल्लेख नहीं है ?

श्री परसराम मदेरणा : यह जानकारी मेरे पास में नहीं है।

श्री बार्लसिंह सोढा : क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे पम्पिग सेट जो खरीदे जाते हैं ऋण लेते समय रसीद को प्रस्तुत करना पड़ता है ?

एक मा. सदस्य : यह भोपालगढ वालों के लिए आवश्यक नहीं होता है।

श्री परसराम मदेरणा : पम्पिग सेट के लिए रसीद लेते हैं या नहीं यह मैं नहीं कह सकता। सन 64 से पैसा दिया गया है यह किस तरह से दिया गया है इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री बार्लसिंह सोढा : नये कुए खोदने के लिये 213 को ऋण दिया गया उसमें से केवल 40 आदमियों ने उसका उपभोग किया है बाकी ने उपयोग नहीं किया इसके क्या कारण हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : इसका उत्तर पूर्व दे चुका हूं क्या कारण थे। इसके लिए क्या एक्शन लिया गया यह सूचना मेरे पास में नहीं है यह मुझे बी. डी. ओ. ने नहीं भेजा है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): माननीय मंत्री महोदय ने अभी उत्तर देते समय यह कहा कि अमुक पम्पिग सेट की रकम पूरी की पूरी दे दी गई है उस पर यह आरोप लगाया गया। क्या यह सही है कि छः सात साल तक हरेक को पम्पिग सेट के लिए पूरी की पूरी रकम दे दी गई यह जो प्रश्न कर्ता ने पूछा क्या यह प्रश्नकर्ता का कथन सही है ?

श्री परसराम मदेरणा : आपका पूरी रकम से क्या मतलब है ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : कितनी पम्पिग सेट की कीमत होती है उतनी की उतनी किश्तों द्वारा न देते हुए पूरी रकम एक साथ दे दी गई ?

श्री परसराम मदेरणा : पम्पिग सेट पांच हजार में भी आता है और दस हजार में भी आता है। पम्पिग सेट में खरीदने वाले व्यक्ति को कन्ट्रीब्यूशन देना पड़ता है। हम पूरी की पूरी रकम नहीं देते हैं। कुछ लोनी को अपनी तरफ से कन्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। किसको पूरी रकम दी और किसने पम्पिग सेट खरीदा या नहीं खरीदा यह सूचना मेरे पास नहीं है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : माननीय मंत्री जी के उत्तर के साथ मुझे सहानुभूति है माननीय मंत्री महोदय हरेक पम्पिंग सेट की कीमत नहीं जानते। पम्पिग सेट की कीमत नहीं जानते। पम्पिग सेट के लिए जो रकम दी गई वह पूरी दी गई या उसमें कुछ हेरफेर है यह भी आप नहीं जानते तो क्या आप प्रश्नकर्ता ने जिन बातों की ओर आपका ध्यान खींचा है उसको आप जानकारी प्राप्त करेंगे ? अध्यक्ष महोदय, यह अजीब सी बात नहीं कि राज्य सरकार के नियमों के विपरीत अमुक वर्ष तक लगातार हरेक पम्पिग सेट का पूरा का पूरा भुगतान कर दिया गया इस सम्बन्ध में आप जानकारी देंगे। यह प्रश्न ऐसा है जिसका उत्तर देकर आपको प्रश्नकर्ता को सन्तोष देना चाहिये।

श्री परसराम मदेरणा : इस प्रश्न का पूरा उत्तर प्राप्त नहीं हुआ जिस तरह से माननीय सदस्य चाहते हैं।

एक मा. सदस्य : क्या यह सही है कि इसको स्थगित किया जाय ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अनियमितता होने के कारण माननीय मंत्री महोदय ने इसका उत्तर देना उचित नहीं समझा होगा।

श्री बालसिंह सोढा : भोपालगढ़ माननीय मंत्री महोदय का क्षेत्र है इसी क्षेत्र में सब से ज्यादा सबसिडी और लोन का उपयोग किया गया हैं।

श्री परसराम मदेरणा : भोपालगढ़ मेरा क्षेत्र है। वहां की पंचायत समिति द्वारा ऋण दिया गया है। इसकी मुझे जानकारी नहीं है इसके लिये इलेक्टेड स्टेण्डिग कमेटी है जो अलग अलग स्थानों के लिए ऋण देती है। मैंने कभी वहां की मीटिंग में भाग नहीं लिया और न मैंने किसी को फोन देने के लिए कहा। मैंने इसकी जानकारी के लिए कलेक्टर को चिट्ठी लिखी थी वहां से जो सूचना आयी वह इन-कम्पलीट थी मैं चाहता था कि माननीय अध्यक्ष से इसको पोस्टपोन करने के बारे में निवेदन करता लेकिन कल जैसा कि जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा सबसे ज्यादा पोस्टपोनमेण्ट मैं ही मांगता हूं। इसलिए मैंने उचित समझा जो सूचना मेरे पास है उसको ही मैं सदन को दूं। मेरे क्षेत्र में किसी के द्वारा रूल्स का वायोलेशन होता है और कोई दोषी पाया जाता है तो उसको सजा दी जायगी यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।

श्री बालसिंह सोढा : यह प्रश्न मेरा गत सत्र का था यह दूसरी बार रिपीट हुआ

Page No 24

(श्री बालसिंह सोढा)
रूल्स का वायोलेशन कर आपके क्षेत्र में अनाप शनाप पैसा खर्च किया गया है।

श्री दुर्गालाल बाड़दार : (हवा महल, जयपुर) : 213 को लोन दिया गया जिसमें से केवल 40 ने युटिलाइज किया बाकी सब का क्या हुआ ?

श्री रामचन्द्र आर्य : एक मेरा महत्वपूर्ण प्रश्न रह गया है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखिये

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राज्य पर ओवर ड्राफ्ट

20. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य पर कुल कितना ओवरड्राफ्ट है, उस पर कितना सालाना ब्याज देना पड़ता है और उसे चुकाने के लिए सरकार के पास क्या क्या योजना है ?

(2) क्या राज्य को दयनीय आर्थिक स्थिति को देखकर बड़ी गाड़ियां, बिजली, पानी, कूलर, खस की टट्टियां, पैट्रोल, टेलीफोन आदि पर होने वाले व्यय पर सीलिंग लगाने का सरकार का विचार है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1969—70 में एक करोड़ 31 लाख के मार्गोपाय अग्रिम को छोड़ते हुए अधिकतम ओवरड्राफ्ट 61.16 करोड़ का रहा और इस पर ब्याज के रूप में इस वर्ष 192.96 लाख का चुकारा किया गया। ओवरड्राफ्ट की स्थिति स्थिर न रह कर विकासीय व केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं तथा अकाल राहत कार्यों पर हो रहे व्यय की प्रतिपूर्ती में केन्द्रीय सहायता प्राप्ति के अनुसार घटती बढ़ती रहती है। वर्ष की समाप्ति पर 24.13 करोड़ का ओवरड्राफ्ट था। केन्द्रीय सरकार से अकाल राहत व गैर योजना व्यय की प्रतिपूर्ति में मिलने वाले ऋण व अनुदान प्राप्त हो जाने पर ओवरड्राफ्ट स्वतः ही समाप्त हो जायेगा, यह विषय केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है।

(2) विभागों के आकार व प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही आय-व्ययक में प्रावधान रक्खे जाते हैं। आकार व आवश्यकताओं में भिन्नता होने के कारण एक समान सीमायें निर्धारण करना न तो युक्तियुक्त ही होगा और न ही सम्भव है। बड़ी गाड़ियों कूलर आदि के उपयोग के सम्बन्ध में पहले से ही आदेश प्रसारित हैं और अन्य व्यय के लिए भी प्रत्येक विभाग से मितव्यता से कार्य किया जाना अपेक्षित है।

सिनेमाघरों में मनोरंजन कर की बकाया

21. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) ; क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) किन किन सिनेमाओं में सरकारी मनोरंजन कर बकाया है और कितना और कब से ? उसकी वसूली की क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(श्री जयनारायण सालोदिया)

(2) जयपुर के राम प्रकाश सिनेमा में सरकार की कितनी बकाया कब से है? उसकी वसूली की क्या कार्यवाही चल रही है ?

उत्तर

(1) जिन जिन सिनेमा घरों में मनोरंजन कर बकाया है उसकी सूचि संलग्न है। वसूली की कार्यवाही का विवरण हर बकाया के सामने अंकित है।

(2) जयपुर शहर के राम प्रकाश सिनेमा में मनोरंजन कर की कोई रकम बकाया नहीं है। शास्त्री के केवल 11/- रु. बकाया है जिसकी वसूली की कार्यवाही केस का निर्णय होने पर की जावेगी। यह बकाया दिनांक 11-1-67 से चली आ रही है।

अकाल राहत के लिए चारे की खरीद व वितरण

22. श्री भैरोंसिंह शेखावत (किशनपोल, जयपुर) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) 68-69 व 69-70 में अब तक अकाल राहत के लिये किस-किस माह में कहां-कहां से किस भाव में, कितने-कितने मूल्य का किस-किस प्रकार का चारा खरीदा गया और किस-किस जिले में कितना-कितना दिया गया ?

(2) किस-किस जिले में कहां-कहां चारा भण्डार (फीडर डिपोज) खोले गये और उनमें प्रत्येक में किस-किस माह में कितना-कितना चारा भेजा गया ?

(3) चारा भण्डार खोलने का आधार क्या था ? किस-किस भण्डार के संबंध में जिला अकाल राहत समिति का सुझाव था और किस किस के संबंध में नहीं है ?

(4) चारा किस-किस आधार पर कितने-कितने मूल्य पर पशुपालकों को दिया गया ?

उत्तर

(1) वर्ष 68-69 व 69-70 में अकाल राहत के लिए जिस-जिस भाव से जिस-जिस प्रकार का चारा खरीदा गया और जिस-जिस जिले में जितनी-जितनी मात्रा में भिजवाया गया उसकी तालिका 'क' एवं 'ख' सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) जिस-जिस जिले में जहां-जहां पर चारा भण्डार खोले गए, तालिका संख्या 'ग, घ, ङ, च, छ' पर सूचना प्रस्तुत है। जिस-जिस चारा विक्रय डिपो पर जिस-जिस माह में जितना जितना चारा भेजा गया यह सूचना भी उक्त तालिका में उपलब्ध है।

(3) चारा विक्रय डिपो संबंधित जिलाधीशों द्वारा अकाल/अभाव स्थिति की व्यापकता, पशुधन की संख्या, विक्रय डिपो से ग्रामों की दूरी व सुविधा एवं पशुपालकों की मांग को ध्यान में रखा जाकर सामान्य रूप से खोले गये हैं। सामान्य रूप से जिला राहत सलाहकार समितियों के सुझावों को ध्यान मे रखते हुए जिलाधीशों द्वारा चारा विक्रय डिपो खोले गए हैं।

(4) स्थिति की गंभीरता एवं स्थानीय

(अकाल राहत मंत्री)

आवश्यकता तथा पूर्ति की मात्रा को देखते हुए निम्न दरों पर चारा विक्रय किया गया :—

क्रमांक	चारे का नाम	चारे की बिक्री दरें (प्रति क्विन्टल में) म्युनिसिपल (शहरी) क्षेत्र (रुपये)	ग्रामीण क्षेत्र (रुपये)
1.	गेहूँ की तूडी	11-00	8-00
2.	कडवी	13-00	10-00
3.	घास	15-00	12-00
4.	सोयाबीन घास	11-00	8-00
5.	पाला	20-00	16-00
6.	ग्वार की फलवटी	15-00	12-00
7.	लूंग	17-00	14-00
8.	चने का खार	11-00	8.00

लेकिन चना खार की विक्रय दरें बीकानेर जिले के शहरी क्षेत्रों में 20) रु० प्रति क्वि० एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 16) रु. प्रति क्वि० हैं।

फलौदी, जैसलमेर एवं पोकरण में चारे की बिक्री दरें म्युनिसिपल एरियों की दरें नहीं होकर ग्रामीण क्षेत्रों की दरें ही हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

अकाल राहत कार्य और उन पर व्यय

23. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) 1 अक्टूबर 1968 से अब तक किस-किस जिले में किस-किस प्रकार के कितने-कितने अकाल राहत कार्य खोले गये और इनमें प्रत्येक पर कितना-कितना व्यय हुआ है ?

(2) इस अवधि में किस-किस जिले में जिला अकाल राहत समिति की कब-कब बैठकें हुई ?

(3) किस-किस जिले में किस-किस प्रकार के कितने-कितने अकाल राहत कार्य ऐसे हैं जिनकी जिला अकाल राहत समिति द्वारा सिफारिश नहीं की गई ? कृपया ऐसे कार्यों की तहसीलवार तालिका सदन की मेज पर प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

(4) किस-किस जिले में किस-किस प्रकार के ऐसे कितने अकाल राहत कार्य हैं जिनको जिला अकाल राहत समिति की सिफारिश के बावजूद नहीं खोला गया और क्यों ?

उत्तर

(क) सूची 'क' पर है।
(ख) सूची 'ख' पर है।
(ग) सूची 'ग' पर है।
(घ) सूची 'घ' पर है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

कृषि कुओं के लिए ऋण

24. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं): क्या पंचायत एवं विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति लाडनूं जिला नागौर द्वारा कृषि

(श्री हरजीराम बुरड़क)

कुओं के निर्माण के लिए कोई ऋण दिया गया है ? यदि हां, तो फरवरी, 1965 से लेकर अब तक किस-किस व्यक्ति को कितना-कितना ऋण किस-किस मद से कब-कब कितना दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त ऋण को कब कब कार्य में लेना चाहिए था और कब लिया गया ?

(3) उक्त ऋण कब कब किन किन से वसूल होना चाहिए था और कब कब कितना कितना वसूल हुआ ?

(4) जिन ऋण प्राप्तकर्ताओं ने उक्त ऋण काम में नहीं लिया उनका पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) उपरोक्त ऋण की वसूली के लिए तहसील को डिमाण्ड वास्ते वसूली के कब कब भेजनी थी और कब कब भेजी गई ?

(6) क्या यह सत्य है कि वसूली के लिए डिमाण्ड तहसील को भेजने में विकास अधिकारी ने अपने कर्त्तव्य को नहीं निभाया ? यदि हां, तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां। सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(5) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(6) वसूली के लिए डिमाण्ड भेजने में कर्तव्य न निभाया हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

पंचायत समितियों में कर से आय

25. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या पंचायत एवं विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राज्य में किस किस पंचायत समिति ने कौन कौन सा कर कब कब से लगा रखा है और उन करों से उनको कितनी कितनी सालाना आय होती है। सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

एक ही जमीन की दो व्यक्तियों के नाम नीलामी

26. श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री मोहनलाल मोदी)

(1) क्या ग्राम पंचायत कांवट में दिनांक 23-1-64 को श्री रामनिवास पुजारी को ग्राम कांवट में 184 कुल 72 वर्ग गज का पट्टा नीलामी में सबसे ऊंची बोली होने पर जारी करके रजिस्ट्री कराई गई थी ?

(2) क्या ग्राम पंचायत कांवट ने 30-3-68 को इसी जमीन का पट्टा अन्य दीगर व्यक्तियों को पुनः जारी कर दिया ? यदि हां, तो किन किन व्यक्तियों को किस दर पर जारी किया गया ?

(3) क्या तहसीलदार, श्री माधोपुर द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग की प्रार्थना पर उक्त जमीन को पी. डब्लू. डी. की सीमा में मानते हुये कोई कार्यवाही नीलामी न करने हेतु स्थगन आदेश पंचायत कांवट के विरुद्ध जारी किया गया था ?

(4) क्या सरपंच को उक्त स्थगन आदेश संख्या 87 दिनांक 6-3-68 का प्राप्त हो जाने के बाद भी 30-3-68 को पट्टा जारी कर दिया ? यह स्थगन आदेश सरपंच को किस तारीख को प्राप्त हुआ ?

(5) क्या यह सही है कि उक्त जमीन खसरा नम्बर 1369 कृषि भूमि है एवं इसका खातेदार काश्तकार भींवाराम है । क्या पंचायत ने इन्हें कोई नोटिस दिया या इनकी भूमि अवाप्त करके मुआवजा अदा किया ? यदि नहीं, तो पंचायत ने इनकी जमीन का पट्टा किस अधिकार से दिया है ।

(6) सरकार सरपंच के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने की सोच रही है ।

(स्थगित किया गया)

बाल निकेतन अर्डावता का संचालक मण्डल और पदाधिकारी

27. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): क्या समाज-कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) इन्दिरा गांधी बाल निकेतन अर्डावता कब से क्या क्या कार्य कर रहा है ? इसके संचालक कौन हैं, संचालक मण्डल का गठन कैसे किया जाता है और पदाधिकारी कौन कौन हैं ? नामवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या इस संस्था के संचालक मण्डल में अनुसूचित जातियों या विभाग का कोई प्रतिनिधि है ? यदि हां, तो कौन और यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) इस संस्था को समाज-कल्याण विभाग से गत पांच सालों में किन किन कामों के लिये कितना कर्जा व सहायता दी गई ?

(4) क्या संस्था को जिन कामों के लिये राशि दी गई थी उसे उन्हीं कामों में समय पर खर्च करके विभाग को प्रमाण-पत्र भेजे ?

(5) क्या इस संस्था का नियमानुसार ऑडिट होता है ?

Page No 29

(श्री जयनारायण सालोदिया)

(6) क्या संस्था द्वारा ऑडिटशुदा हिसाब विभाग को भेजे जाते हैं ? यदि हां, तो इस व्यवस्था पर हर साल कितना खर्चा किया जाता है ?

उत्तर

(1) इन्दिरा गांधी बाल निकेतन अर्द्ध-नता बालिकाओं की शिक्षा का कार्य वर्ष 1959 से कर रहा है। इसकी संचालिका श्रीमती सुधा देवी हैं। संस्था के संचालक मण्डल का गठन किस प्रकार किया जाता है तथा पदाधिकारी कौन कौन हैं यह जानकारी विभाग को नहीं है, क्योंकि इसका सम्बन्ध शिक्षा विभाग से है।

(2) जी नहीं, क्योंकि संस्था सार्वजनिक है न कि जाति विशेष के लिये।

(3) संस्था को छात्रावास में रहने वाली अनुसूचित जाति की छात्राओं तथा छात्रावास भवन को बनाने के लिये गत 5 सालों में 1,16,273.9 पैसे का अनुदान दिया गया।

(4) जी हां।

(5) जी हां।

(6) जी हां। पूरी संस्था का व्यवस्था पर कुल खर्च सन् 1968-69 में 27,419 रुपये बताये जाते हैं।

हरिजन सेवक संघ का संचालक मण्डल एवं कार्य

28. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): क्या समाज कल्याण मंत्री य बताने की कृपा करेंगे :—

(1) हरिजन सेवक संघ राजस्थान कब से क्या क्या कार्य कर रहा है, इसके संचालक कौन हैं, संचालक मण्डल का गठन कैसे किया जाता है और पदाधिकारी कौन कौन हैं ? नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इस संस्था के संचालक मण्डल में अनुसूचित जातियों या विभाग का कोई प्रतिनिधि है ? यदि हां, तो कौन और यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) इस संस्था को समाज कल्याण विभाग से पांच सालों में किन किन कामों के लिए कितना कर्जा व सहायता दी गई ? तालिका सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या इस संस्था को जिन कामों के लिए राशि दी गई थी उसे उन्हीं कामों में समय पर खर्च करके विभाग को प्रमाण-पत्र भेजा गया है ?

(5) क्या इस संस्था का नियमानुसार ऑडिट होता है ?

(6) क्या इस संस्था द्वारा ऑडिटशुदा हिसाब विभाग को भेजे जाते हैं ? यदि हां, तो व्यवस्था पर हर साल कितना खर्चा किया जाता है ?

उत्तर

(1) हरिजन सेवक संघ, राजस्थान 1 मार्च, 1951 से पुनर्गठित रूप से कार्य कर रहा है। यह संगठन अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की शाखा है और उसी के विधान

Page No 30

(समाज कल्याण मंत्री)

व नियमों के अन्तर्गत कार्य करता है। शाखा के अध्यक्ष का मनोनयन अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष, प्रादेशिक शाखा के संचालक मण्डल का गठन करते हैं। वर्तमान संचालक मण्डल के निम्न सदस्य हैं:–

1.	श्री भागीरथ कानोडिया	अध्यक्ष
2.	श्री केसरपुरी गोस्वामी	उपाध्यक्ष
3.	श्री जवाहरलाल जैन	मन्त्री
4.	श्री सिद्धराज ढड्ढा	सदस्य
5.	श्री पूर्णचन्द जैन	,,
6.	श्री हरिभाऊ उपाध्याय	,,
7.	श्री भोगीलाल पण्ड्या	,,
8.	श्री भंवरलाल भदादा	,,
9.	श्री अमृतलाल यादव	,,
10.	श्री मास्टर रामचन्द्र	,,
11.	श्री अचलेश्वर प्रसाद	,,
12.	संचालक, समाज कल्याण विभाग	,,
13.	श्रीमती नगेन्द्र बाला	,,
14.	श्री फूलचन्द बाफना	,,
15.	श्री हरिराम धारू	,,

(2) जी हां। समाज-कल्याण विभाग के संचालक विभागीय प्रतिनिधि हैं एवं अनुसूचित जाति के निम्न सदस्य हैं:–

1. श्री अमृत लाल यादव
2. श्री मास्टर रामचन्द्र
3. श्री हरिराम धारू।

(3) संस्था को गत पांच सालों में दी गई सहायता संलग्न सूची में अंकित है।

(4) जी हां।

(5) जी हां। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा।

(6) जी हां। व्यवस्था पर लगभग 15,000 रुपये खर्च होता है।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

विभिन्न संस्थाओं पर व्यय

29. राजश्री श्री रूपसिंह (सरदार शहर): क्या समाज-कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्थान में प्रोजन वेल्फेयर कमेटी, केयर होम, रिजर्व होम, बेगर्स होम, डिस्ट्रिक्ट शेल्टर्स तथा ऑरफनेज शेल्टर किस-किस जिले में बने हुए हैं और उन पर माहवार कितना कितना खर्चा सरकार को करना पड़ता है? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जहां जहां ये होम्स या शेल्टर्स बने हुए हैं, वहां उनमें अलग अलग जगहों पर कितनी औरतें, बच्चे या आदमी रहते हैं?

उत्तर

(1) राजस्थान में केयर होम्स, बेगर्स होम्स, डिस्ट्रिक्ट शेल्टर्स तथा ऑरफनेज जिस जिस जिले में हैं उसकी सूची संलग्न है। उन पर होने वाला औसतन मासिक खर्च सूची में दर्शाया है। वर्तमान में विभाग के अन्तर्गत कोई प्रोजन वेल्फेयर कमेटी व रिजर्व होम्स नहीं है।

(2) होम्स व शेल्टर्स के आवासियों की संख्या संलग्न सूची संख्या 2 में दर्शायी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

वन श्रमिक सहकारी संघ, जयपुर

30. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वन श्रमिक सहकारी संघ, जयपुर कब से क्या क्या कार्य कर रहा है? इसके संचालक कौन हैं? संचालक मण्डल का गठन कैसे किया जाता है और पदाधिकारी कौन कौन हैं? नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इस संस्था के संचालक मण्डल में अनुसूचित जातियों या विभाग का कोई प्रतिनिधि है? यदि हां, तो कौन और यदि नहीं, तो क्यों?

(3) इस संस्था को समाज कल्याण विभाग से गत पांच सालों में किन किन कामों के लिये कितना कर्जा व सहायता दी गई? तालिका सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या संस्था को जिन कामों के लिये राशि दी गई थी, उसे उन्हीं कामों में समय पर खर्च करके विभाग को प्रमाण-पत्र भेज दिये हैं?

(5) क्या इस संस्था का नियमानुसार ऑडिट होता है?

(6) क्या इस संस्था द्वारा ऑडिटशुदा हिसाब विभाग को भेजे जाते हैं? यदि हां, तो इस व्यवस्था पर हर साल कितना खर्चा किया जाता है?

उत्तर

(1) राजस्थान वन श्रमिक सहकारी संघ की स्थापना 17-3-60 को हुई थी। संघ निम्न कार्य कर रहा है—

(क) सहकारी समितियों का गठन व उनका मार्गदर्शन।

(ख) सदस्य समितियों को वनों एवं वन सम्पत्ति के ठेके प्राप्त करने में मदद।

(ग) उत्पादित माल को संवारने व बेचने का प्रबन्ध जिसके लिए 10 बिक्री केन्द्र व एक तेल मिल है।

(घ) औजार उपलब्ध कराना तथा वनों का संरक्षण व प्रसार।

(ङ) सदस्य समितियों को कार्य पूंजी उपलब्ध कराना।

(च) सदस्य समितियों के माल को सुरक्षित रखने हेतु गोदामों का निर्माण करना।

(छ) माल ढोना व वांछित स्थानों पर पहुंचाना।

(ज) कार्यकर्ता प्रशिक्षण।

इसके संचालक मण्डल के निम्न सदस्य हैं:—

1.	श्री ब्रह्मदत्त शर्मा	अध्यक्ष
2.	श्री रामपाल, म. ज. जा.	प्रतिनिधि प्राथमिक समिति
3.	श्री चन्दू	"
4.	श्री प्रतापसिंह	"
5.	श्री डालचन्द	"
6.	श्री जयनारायण रोत	"
7.	श्री कमला लाल	"
8.	श्री बनवारीलाल गौड़	राजस्थान आदिम जाति सेवक संघ।

(समाज कल्याण मंत्री)

9. श्री संचालक, सदस्य तेल व साबुन उद्योग, खादी कमीशन।

10. उप-रजिस्ट्रार, उद्योग, सहकारी समितियां।

11. श्री भरतसिंह वन विभाग

12. श्री ओंकारलाल शर्मा मन्त्री

13. संचालक, समाज कल्याण विभाग।

संचालक मण्डल का गठन निम्न प्रकार से होता है :—

वन श्रमिक सहकारी समितियों के सदस्य	5
अन्य	1
अन्य संस्थाओं के	1
व्यक्तिगत	1
सरकारी	2
वन सहकारी व समाज कल्याण विभाग के प्रतिनिधि	3
कुल	13

यह गठन सहकारी समितियों के नियमों के अनुसार होता है।

(2) प्रश्न भाग 1 के उत्तर के अनुसार।

( ) संस्था को गत 5 वर्षों में दिये गये अनुदान व ऋण की तालिका संलग्न है।

(4) जी हां।

(5) जी हां।

(6) जी हां। यह ऑडिट सहकारी विभाग द्वारा होता है। इस कारण संस्था का कोई व्यय इस पर नहीं होता।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

महिला शिक्षा सदन हटूण्डी

31. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): क्या समाज-कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) महिला शिक्षा सदन, हटूण्डी कब से काम करती है, इसके संचालक कौन हैं, संचालक मण्डल का गठन कैसे किया जाता है और पदाधिकारी कौन हैं ?

(2) क्या इस संस्था के संचालक मण्डल में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति या विभाग का प्रतिनिधि है ? यदि हां, तो कौन और नहीं, तो क्यों ?

(3) इस संस्था को समाज कल्याण विभाग से किन किस कामों के लिए पांच सालों में कितना कर्जा व सहायता दी गई ? तालिका सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सच है कि संस्था को जो धनराशि जिन कामों के लिए दी थी उसे समय पर उन्हीं कामों पर खर्च करके विभाग को प्रमाण-पत्र भेज दिया था ?

(5) क्या यह भी सच है कि संस्था का नियमानुसार ऑडिट होता है ?

उत्तर

(1) महिला शिक्षा सदन हटूण्डी 1947 से कार्य कर रहा है विभाग द्वारा इस संस्था को अनुदान वर्ष 1954–55 से दिया जा रहा है इसका संचालन एक प्रबन्ध कारिणी कमेटी द्वारा किया जाता है, जिसका गठन निर्वाचन द्वारा होता है। इसके पदाधिकारी निम्न हैं:–

1. श्रीमती भागीरथी उपाध्याय अध्यक्ष

Page No 33

(समाज कल्याण मन्त्री)

2. श्री बी. एन. भार्गव उपाध्यक्ष
3. ,, बालकृष्ण गर्ग मंत्री
4. श्रीमती शकुन्तला पाठक सहमंत्री
5. श्रीमती शीला भार्गव सहमंत्री
6. श्रीमती के. के. द्विवेदी सहमंत्री

(2) शिक्षा विभाग का एक प्रतिनिधि संचालक मण्डल में है।

(3) गत पांच सालों में भिन्न कार्यों के लिए सहायता दी गई :-

1. अनुसूचित जन जाति की 25 बालिकाओं का आश्रम स्कूल संचालन करने हेतु 52,199.00 रुपये।

2. अनुसूचित जाति की 50 बालिकाओं का छात्रावास चलाने हेतु 89,281.00 रुपये की सहायता दी गई। कर्जा कोई नहीं दिया गया।

(4) जी हां, केवल 14,000 रुपये भवन निर्माण हेतु दी गई राशि के प्रमाण-पत्र बकाया है।

(5) जी हां।

राज्य में भिक्षुक गृह

32. श्री जयनारायण खालोडिया (निवाई) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में कहां कहां विभाग द्वारा भिक्षुक गृह चलाये जाते हैं उनमें कितने भिक्षुक कब से रहते हैं और उनको क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं? अब तक इन पर कितना खर्चा किया गया है?

(2) इन गृहों में भिक्षुक की भर्ती का क्या आधार है?

(3) क्या भिक्षुकों को इन गृहों में कोई काम सिखाया जाता है? यदि हां, तो क्या क्या?

(4) क्या इस तरह के गृह राज्य के हर जिले में चलाने का विचार है? क्या भिक्षावृत्ति निवारण कानून बनाने का भी विचार है? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) इस विभाग द्वारा राजकीय सेवा सदन, अजमेर (भिक्षुक गृह) चलाया जा रहा है। इसमें वर्ष 69-70 में 59 आवासी रह रहे हैं और उनको निःशुल्क आवास, भोजन, वस्त्र एवं अन्य अतिआवश्यक वस्तुएं दी जाती हैं। इस पर अभी तक 1,48,008 रु. का खर्चा हुआ है। व्यय का विस्तृत ब्योरा संलग्न है।

(2) राजकीय सेवा सदन, अजमेर भिक्षुक गृह में केवल उन्ही भिक्षुओं को प्रवेश किया जाता जो स्वेच्छा से प्रवेश लेने हेतु राजी हो जाते हैं और भिक्षावृत्ति छोड़ने के लिए तैयार होते हैं तथा उन्हें प्रशिक्षण अथवा आवास आदि की आवश्यकता होती है।

(3) राजकीय सेवा सदन, अजमेर द्वारा संचालित प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र में निम्नलिखित कार्य सिखाया जाता है:--

(1) बुनाई, बागवानी, काष्ट कला लोहारी, इत्यादि।

Page No 34

(समाज कल्याण मन्त्री)

(4) राज्य के हर जिले में इस प्रकार का भिक्षुक गृह चलाने का राज्य सरकार को इस समय कोई विचार नहीं है। भूतपूर्व जयपुर राज्य (जयपुर भिक्षावृत्ति निवारण कानून 1947) इस समय तक रद्द नहीं हुआ है इसको ही जयपुर शहर में लागू करने के बारे में विचार किया जा रहा है।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिए)

मन्दिरों की आय

33. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या देवस्थान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्तों की बैठक दिनांक 6, 7 फरवरी, 1969 को उदयपुर में हुई ?

(2) क्या यह भी सही है कि उसमें बीकानेर से कुल मन्दिरों के किराये की आय सन् 1967-68 में 1,45,364 रुपये व 1968-69 में 1,92 394 रुपये होना बतलाया गया है ?

(3) यदि हां, तो दो वर्ष 1967-68 व 1968-69 की वार्षिक आय में 47,030/- रुपये का अन्तर क्यों है ?

उत्तर

(1) सहायक आयुक्तों की बैठक दिनांक 6, 7 फरवरी, 1969 को उदयपुर में हुई थी।

(2) जी हां।

(3) किराया में वृद्धि एवं एरियर वसूल होने से ?

मन्दिरों, धार्मिक तथा सांस्कृतिक संस्थाओं को अनुदान

34. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में ऐसे कितने मन्दिर हैं जिनको सरकार द्वारा 76 विविध गुजारा एवं कम्पेनसेशन धार्मिक तथा सांस्कृतिक संस्थाओं के अनुदान की मद से हर माह अनुदान दिया जाता है ? हर मन्दिरवार सूचना सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इस अनुदान देने का तरीका देरी वाला व खर्चीला है जिससे कई मन्दिर वाले तो अनुदान से ज्यादा खर्च होने से अनुदान ही नहीं लेते हैं, क्योंकि बिल तहसील में बनकर पास होने जिला ट्रेजरी जाता है और फिर तहसील में आकर पेमेन्ट होता है ? क्या इस तरीके को आसान करने का सरकार विचार रखती है ?

(3) देवस्थान विभाग, उदयपुर में हर जिले के कितने केस स्थानान्तरण के कब से पेन्डिग है और क्यों ?

(4) निवाई तहसील में कितने मन्दिरों को कितना माहवार अनुदान दिया जाता है ? मंदिर वार सूचना सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सरकार द्वारा बजट हैड 76 विविध गुजारा एवं कम्पेन्सेशन तथा सांस्कृतिक संस्थाओं के अनुदान की मद से हर माह कोई अनुदान नहीं दिया जाता है।

(देवस्थान मन्त्री)
नियमानुसार वर्ष में 2 बार (जनवरी व अगस्त) में भुगतान किया जाता हैं। ऐसे 42,560 मंदिरों की जिलेवार संख्या तथा वार्षिक अनुदान की राशि का विवरण संलग्न है।

(2) जी हां

(3) देवस्थान विभाग, उदयपुर में कुल 356 मामले नामान्तरण आदि के पेन्डिंग हैं इनकी जिले वाईज संख्या की सूची संलग्न है। इनमें से कुछ केसेज में संबंधित अधिकारी से आदेशों की पूर्ति कराई जा रही है तथा कुछ केसेज में नियमानुसार जांच की जा रही है।

(4) निवाई तहसील में 278 मंदिरों को धार्मिक अनुदान दिया जाता है। जिनकी सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

35. राजवी श्री रूपसिंह (सरदारशहर): क्या निर्वाचन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

श्री के. के. जोशी, श्री छैलबिहारी लाल माथुर, श्री टी. एन. चतुर्वेदी व श्री शीतलाप्रसाद जिनके विरुद्ध माननीय न्यायाधीश श्री जगतनारायण ने श्री भानुप्रकाश शास्त्री की चुनाव याचिका में स्ट्रक्चर पास किए उनके विरुद्ध सरकार ने क्या एक्शन लिया? यदि कोई ऐक्शन नहीं लिया तो एक्शन न लेने का क्या कारण है।

उत्तर

मामले की अपील सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीन होने से अंतिम निर्णय तक अनुशासनिक कार्यवाही संभव नहीं है।

मुख्य अभियन्ता सिंचाई विभाग द्वारा कनिष्ठ लिपिकों का स्थायीकरण

36. श्री गंगासहाय (कठूमर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मुख्य अभियंता सिंचाई विभाग, राजस्थान ने अपने मुख्यालय के कुछ कनिष्ठ लिपिकों का वर्ष, 1967 माह अक्टूबर नवम्बर में स्थायीकरण किया था? यदि हां, तो स्थायी कृत व्यक्तियों के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह स्थायीकरण सिंचाई विभाग में समस्त राजस्थान में कार्य कर रहे कनिष्ठ लिपिकों की वरिष्ठता सूची के आधार पर किया गया है? यदि नहीं, तो इसका आधार क्या था?

उत्तर

(1) जी नहीं। अक्टूबर या नवम्बर सन् 1967 में कोई स्थायीकरण नहीं किया गया।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

Page No 36

पाठशाला में संस्कृत विषय पढ़ाने वाले का अभाव

87. श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि राजकीय जूनियर सेकण्डरी कन्या पाठशाला सवाई माधोपुर में संस्कृत एक आवश्यक विषय है किन्तु इस पाठशाला में कोई भी संस्कृत अध्यापिका की नियुक्ति आरम्भ से अब तक नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों ? और इस अवधि में संस्कृत विषय के पाठन का क्या प्रबन्ध किया जाता रहा है ?

उत्तर

जी हां। यह सही है कि संस्कृत अध्यापिका की आरम्भ से नियुक्ति नहीं की गई है। एक अध्यापक श्री घनश्याम शर्मा सब कक्षाओं को संस्कृत पढ़ाते हैं संस्कृत पढ़ाने के कार्य में कोई दिक्कत नहीं है।

नेशनल डिसिप्लिन स्कीम

38. श्री दुर्गालाल बाड़धार (हवा महल, जयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या केन्द्र द्वारा नेशनल डिसिप्लिन स्कीम चालू की गई थी जिसका तदुपरांत नाम नेशनल फिटनेस कोर रखा गया ?

(2) क्या यह योजना केन्द्रीय सरकार ने विकेन्द्रीकरण द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों को चलाने के निर्देश दिये हैं ?

(3) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस योजना को चलाने के लिये राजस्थान राज्य को कोई आर्थिक सहायता दी गई है ? यदि हां, तो किस किस प्रकार से ?

(4) राज्य सरकार द्वारा इस योजना को किस प्रकार चलाने का विचार रखती है ? और इस योजना के अन्तर्गत कार्य करने वाले व्यक्तियों की सेवाओं के विषय में क्या विचार है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) 1969-70 तक शत प्रतिशत सहायता दी गई है।

(4) यदि केन्द्र सरकार अतिरिक्त व्यय का भार वहन करने को तैयार हो तो राज्य सरकार को उन्हें अपने अधिकार में लेने में कोई आपत्ति नहीं है।

डूंगरगढ़ एवं सरदारशहर में प्राईवेट स्कूलें

39. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) डूंगरगढ़ और सरदारशहर में कुल कितनी राजकीय एवं प्राइवेट मिडिल स्कूल, सैकन्ड्री स्कूल और हायर सैकन्ड्री स्कूल हैं और कब से उनमें क्या क्या विषय हैं ? प्रत्येक की छात्र संख्या क्या है ?

(2) डूंगरगढ़ और सरदारशहर में हायर सैकन्ड्री स्कूल न खोलने के क्या कारण हैं ?

(श्री दौलतराम सारण)

(3) क्या आगामी शिक्षा सत्र से डूंगरगढ़ और सरदारशहर में एक एक हायर सेकन्ड्री स्कूल की व्यवस्था की जायगी ?

उत्तर

(1) डूंगरगढ़ और सरदारशहर में राजकीय व प्राइवेट उच्चतर माध्यमिक शालाओं की सूची मय पढ़ाये जाने वाले विषयों के संलग्न है। मिडिल स्कूलों की भी सूची संलग्न है। मिडिल स्कूलों में अनिवार्य विषय ही पढ़ाये जाते हैं। इनमें वैकल्पिक विषय नहीं है। राजकीय कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय, सरदारशहर व डूंगरगढ़ की छात्र संख्या उपलब्ध नहीं है।

(2) गत वर्ष हाई स्कूल से हायर सैकेन्ड्री करने का कोई प्रावधान नहीं था। केवल 2 शालाओं को प्रवनत कर 2 शालाओं की क्रमोन्नति की गई थी।

(3) इस वर्ष अन्य प्रस्तावों के साथ औचित्य के अनुसार विचार किया जावेगा।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिए)

सरदारशहर राजकीय कालेज

40. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ):

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) सरदारशहर राजकीय कालेज में कितने छात्र हैं ? कितनी कक्षाएं हैं कितने व कौन से विषय हैं ? कितने कमरे हैं ?

(2) यह कालेज कब खुला था और कालेज भवन कब किसके द्वारा बनाया गया था इस कालेज भवन को शिक्षा विभाग ने कब अपने अन्तर्गत ले लिया ? इस भवन की कब कब मरम्मत की गई और उस पर कितना कितना व्यय हुआ ?

(3) क्या यह सही है कि कालेज भवन आवश्यकता के अनुरूप नहीं है ? इस भवन में विभाग की दृष्टि और निर्धारित आधार के अनुसार क्या क्या कमियां हैं ? इन कमियों को पूरा करने के लिये विभागीय कार्यक्रम क्या है ? कब तक ये कमियां पूरी कर दी जायेगी ?

(4) क्या वर्तमान में स्थानाभाव के कारण छात्रों की शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ?

(5) क्या कालेज के साथ किसी छात्रावास की व्यवस्था है ? यदि हां, तो कितने छात्रों के लिए ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? क्या छात्रावास व्यवस्था विभाग की दृष्टि में आवश्यक नहीं है ?

(6) क्या यह सही है कि इस कालेज में विज्ञान विषय खोलने की मांग वर्षों से है क्या यह भी सही है कि सरदारशहर की शैक्षणिक स्थिति देखते हुए विज्ञान विषय खोलना आवश्यक है ? क्या यह भी सही है कि एक बार सरकार ने वहां विज्ञान विषय खोलने का निश्चय भी किया था ? अब कब तक विज्ञान विषय खोल दिया जायगा ?

उत्तर

(1) 225 छात्र हैं। ग्रुप वाणिज्य में तीन श्रेणी में डिग्री की कक्षाएँ हैं। कुल 13 कमरे हैं।

(शिक्षा मन्त्री)

(2) वर्ष 1959 में खुला। श्री सागरमल दूगड ने सन् 1960 में बनाया। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अभी तक अपने अधिकार में नहीं लिया अभी तक कोई मरम्मत नहीं की।

(3) जी हां। कमरों की कमी है सरकार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण भवन निर्माण करना फिलहाल संभव नहीं है।

(4) स्थान की कमी के कारण छात्रों को असुविधा अवश्य है।

(5) किराये के भवन में है जहां 20 छात्रों के रहने की व्यवस्था है।

(6) जी हां। स्थानाभाव तथा आर्थिक कठिनाई के कारण फिलहाल सम्भव नहीं है।

(12.06 म. प.)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें प्राप्त हुई हैं:—

पहले स्थगन प्रस्ताव की सूचना डा. गंगा सहाय तथा श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता सदस्य विधान सभा से प्राप्त हुई है जिसमें उन्होंने अलवर शहर में पानी का संकट उत्पन्न हो जाने तथा शहर में गन्दगी फैलने का उल्लेख किया है।

दूसरे स्थगन प्रस्ताव की सूचना कस्बा लाडनूं में एक ही स्थान पर ज्यादा नलकूप खोदने के कारण स्थानीय कूओं में पानी का स्तर नीचे चले जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री हरजीराम बुरड़क, सदस्य विधान सभा से प्राप्त हुई है।

तीसरे स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री रामचन्द्र आर्य, सदस्य विधान सभा ने दी है जिसमें सिंचाई विभाग में फैले भ्रष्टाचार के कारण जिला गंगानगर के सिंचाई क्षेत्र में किसानों को समय पर पानी न मिलने से काश्तकारों को फसल की बुआई से महरूम रहने से उत्पन्न स्थिति का उल्लेख किया गया है।

चौथे स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य विधान सभा से प्राप्त हुई है जिसमें उन्होंने गत 24 अप्रेल 1970 को भरतपुर जिले के सेवरथाने की हिरासत में होतीलाल नामक एक हरिजन युवक की कथित मृत्यु का उल्लेख किया है।

एक अन्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री दुर्गालाल बाढ़दार, सदस्य विधान सभा से इस वर्ष ग्रीष्मकाल के प्रारम्भ होते ही जयपुर नगर में पेयजल की समस्या के सम्बन्ध में प्राप्त हुई है।

उपरोक्त सभी स्थगन प्रस्ताव इतने अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित की जाकर इन पर विचार किया जा । अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

इनके अतिरिक्त कुछ स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त ने

(श्री अध्यक्ष)

हेतु निर्णय पेण्डिंग रक्खा गया है। इनका उल्लेख नीचे किया जाता है:—

(1) श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सदस्य विधान सभा ने प्रदेश कांग्रेसाध्यक्ष द्वारा राज्य मंत्री-मण्डल के सदस्य पर जातीयता आदि के आरोप लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव को सूचना दी थी। जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है राजनैतिक मामलों में प्राय: दल के नेताओं द्वारा स्टेटमेन्ट दिये जाते रहे हैं और उनके दल विशेष की नीति रीति से सम्बन्धित होने के कारण प्रशासन से कोई ताल्लुक नहीं रखता। ऐसे ही संदर्भ में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष का प्रस्तुत स्टेटमेण्ट भी उनके संगठन का अन्दरूनी मामला है जिसे राज्य सरकार का कोई प्रशासनिक सम्बन्ध होना नहीं कहा जा सकता।

(2) श्री विजयसिंह, सदस्य विधान सभा ने नसीराबाद उप चुनाव के बाद नसीराबाद पुलिस द्वारा स्वतन्त्र पार्टी के कार्यकर्ताओं को तंग किये जाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। राज्य सरकार से जो उत्तर प्राप्त हुआ है उसमें यह मामला साधारण स्थिति का बतलाया गया है तथा यह तथ्यों पर आधारित नहीं है।

(3) राजस्थान कैनाल से हरियाणा को पानी देने के सम्बन्ध में श्री रामचन्द्र आर्य, श्री बालसिंह सोढ़ा, श्री हरजीराम बुरड़क, श्री केदारनाथ व श्री कृष्णकुमार गोयल, सदस्य विधान सभा ने स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें दी थी। राज्य सरकार के उत्तर में यह कहा गया है कि जो बयान इस सम्बन्ध में समाचार पत्रों में छपा है वह निराधार है। राजस्थान के हिस्से का पानी राजस्थान में ही इस्तेमाल किया जायेगा और वह किसी अन्य प्रान्त को नहीं दिया जायेगा।

(4) अजमेर की अमलगमेटेड बिजली कम्पनी द्वारा कीमती मशीनरी व बहुमूल्य चीजों के हेरफेर किये जाने के सम्बन्ध में श्री भगवानदास शास्त्री, सदस्य विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। यह मामला मुख्यतया एग्रीमेण्ट पर निर्भर करता है।

(5) पश्चिमी राजस्थान के अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में दी जा रही असहाय सहायता बन्द किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री हरजीराम बुरड़क, श्री रामचन्द्र आर्य, श्री दौलतराम सारण, व श्री देवीदत्त गाडिया सदस्य विधान सभा ने स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें दी थी। राज्य सरकार के उत्तर में यह बताया गया है कि जिन जिलों में विशेष अकाल सहायता जारी है वह लागू रखी जावेगी। किन्तु विभिन्न विभागों के परामर्श से सिंचाई, भू-संरक्षण एवं वन विकास के कार्यों की सूचियां तैयार कराई जा रही है। जिन जिलों में उपयोगी कार्यों में काम लिया जावेगा वहां यह सहायता उपलब्ध नहीं होगी।

(6) श्री भैरोंसिंह, सदस्य विधान सभा जयपुर ने नगर में पीने के पानी के अभाव व नगर में व्याप्त गन्दगी को हटाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। गन्दगी को हटाने सम्बन्धी मामला नगर-पालिका का है।

Page No 40

(श्री अध्यक्ष)

उपरोक्त सभी मामले अविलम्बनीय लोक महत्व के भी नहीं है। अतः इन स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : जयपुर में पानी और गन्दगी के बारे में मेरा स्थगन प्रस्ताव है उसके बारे में जानकारी क्या मिली ?

श्री अध्यक्ष : मेज पर रक्खे जाने वाले पत्र।

श्री दुर्गालाल बाड़दार (हवामहल, जयपुर) : पानी जीवन है और यह जीवन-दायिनी पानी की समस्या लोक महत्व की नहीं हो सकती तो फिर कौनसी समस्या लोक महत्व की होगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : जो सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जयपुर में हुई है।

श्री दुर्गालाल बाबदार : पानी जीवन से सम्बन्ध रखता है।

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त है माननीय सदस्य।

मैंने व्यवस्था दे दी है माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में।

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : पी. एल. 480 के ....

श्री अध्यक्ष : आपका स्थगन प्रस्ताव लम्बा चौड़ा है, कई तथ्य उसमें हैं वह अभी नहीं देख पाया हूं।

श्री विजयसिंह (मकराना) : राज्य सरकार झूठ बोलती है। चुनावों के पहले लोगों को कहा गया कि देख लेंगे। लड्ढाजी साहब से मैंने कहा बाहर तो कब मिलेंगे अन्दर में भी आकर देख लें।

डॉ. अम्बालाल (अजमेर) : मेरा स्थगन प्रस्ताव। अजमेर वाला।

श्री अध्यक्ष : मेरे ध्यान में है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नाथूरामजी मिर्धा द्वारा जातीयता के प्रचार के सम्बन्ध में मेरा प्रस्ताव था। उसकी व्यवस्था के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा है। आपने इसमें सम्भवतया मेरे स्थगन प्रस्ताव को यह समझा की कांग्रेस पार्टी का यह अन्दरूनी मामला है और उसे सदन में मैं उठाना चाहता हूं। यह मेरी मंशा नहीं है। कांग्रेस के अन्त र्द्वन्द्व का मामला यह हो तो यह उनके देखने की बात है। मेरा उससे सरोकार वास्तव में नहीं है। इस सदन के सदस्य के नाते मेरा इससे सम्बन्ध नहीं है। पर सम्भवतया आपने इस वक्तव्य में कही गई बातों को गहराई से नहीं देखा। आप चाहें तो उस वक्तव्य की प्रतिलिपि मैं दे दूं जिसमें इस बात का उल्लेख है मुझे उनके अन्दरूनी झगड़ों से कोई चिन्ता नहीं है। जितने ज्यादा झगड़े बढ़ें राजनैतिक दृष्टि से मुझे लाभ हो सकता है। पर चिन्ता का विषय यह है कि इसमें उन बातों का उल्लेख किया गया है जिन पर

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

सदन अगर काग्नीजेन्स नहीं लेगा तो राजस्थान में अराजकता की स्थिति पैदा हो जावेगी। जन-जीवन नष्ट हो जावेगा। उनकी तीन लाइनें पढ़ कर सुनाना चाहता हूं; इसके बाद भी अगर आप इस नतीजे पर नहीं पहुंचते हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना होगा। लम्बा-चौड़ा उनका वक्तव्य है। इसमें खेद प्रकट करते हुए उन्होंने कहा है :

ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ मुंशी मुसद्दियों ने षडयन्त्र रचकर छात्रों के भोलेपन का पूरा दुरुपयोग किया है। इसके बाद में प्रकट किया है उस षडयन्त्र को। इस षडयन्त्र को क्रियान्वित करके पुलिस का पूर्ण दुरुपयोग किया गया है। कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में हथियारबन्द लोगों का जुलूस निकाला गया और उसमें ये नारे लगाये गये कि खून का बदला खून से लेंगे। जाटों का नाश हो आदि नारे लगाये गये। पुलिस की यह निष्क्रियता उच्च पदाधिकारियों की वजह से है। इन मुंशी मुसद्दियों के हाथ में पहले भी शासन की बागडोर रही है। कांग्रेस का राज है। कुछ बुद्धिजीवियों ने....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कांग्रेस का आन्तरिक मामला है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मुख्य मन्त्री चिन्ता प्रकट करते हैं। राज्य के गृह मन्त्री चिन्ता प्रकट करते हैं।

श्री अध्यक्ष : मैंने कहा है कि यह अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है। यह कांग्रेस पार्टी का आन्तरिक मामला है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस रूप में यह आन्तरिक मामला नहीं है, अध्यक्ष महोदय। बिलकुल नहीं है। आज राजस्थान में हथियारबन्द जुलूस निकाले जावें। जातियों का नाश हो, के नारे लगाये जावें। उसमें मंत्रियों का सम्मेलन हो इससे ज्यादा गम्भीर स्थिति राजस्थान में और क्या हो सकती है। यह ढोंग है इस पार्टी का कि...

श्री अध्यक्ष : मैंने स्वीकार नहीं किया है इसको।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : इस पर कोई विवेचन नहीं होगा।

श्री नत्थीसिंह : कल भी हमने इस विषय में आपका ध्यान आकर्षित किया था और आपने विषय के महत्व को देखते हुए कहा था कि निर्णय लूंगा इस पर। तो इस विषय को यह कह कर नहीं टाला जा सकता कि यह कांग्रेस का अन्दरूनी मामला है। यह जन जीवन से सम्बन्धित मामला है। मन्त्री लोग षडयन्त्र करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस पर कोई विवेचन नहीं होगा।

श्री नत्थीसिंह : मैं आसन से सुरक्षा चाहता हूं, चाहता हूं कि जन राजस्थान का जीवन किसी तरह से असुरक्षित न रहे।

Page No 42

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : अभी तो सदन स्थगित नहीं हो रहा है। बोलने का और अवसर भी मिलेगा। दो जगह से पिटे हुए हो, इस तरह से अपनी झेंप मिटाना चाहते हो। हमारी बात कहने का आपको कोई अधिकार नहीं है।

श्री देवीदत्त गाडिया (बारां) : राजस्थान में हथियारबन्द जुलूस निकले, खून का बदला खून से लेने के नारे लगाये जावें, जाति को भडकाया जावे, मुंशी मुसद्दी इस तरह विद्वेष का षडयन्त्र करके जन जीवन को अस्तव्यस्त कराना चाहें, मिनिस्टर इसमें भाग लें, राजस्थान में ये अराजकता की स्थिति पैदा करना चाहें और हम देखते रहें। आप यह चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, माननीय सदस्य। अंकित न हो।

(श्री गिरधारीलाल व्यास के बोलने पर अत्यन्त शोरगुल, अश्रव्य)

दोनों ओर से अंकित न हो।

श्री मूलचन्द डागा
श्री देवीदत्त गाडिया } × × ×

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

श्री नत्थीसिंह : प्वाइन्ट ऑफ ऑर्डर। अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है।

(अत्यन्त शोरगुल : अश्रव्य)

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैंने व्यवस्था का प्रश्न पहले उठाया है। अध्यक्ष द्वारा इस पर निर्णय हो चुका है।

XXXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

श्री नत्थीसिंह : इस पर बहस करनी चाहिये। कौनसी बात ऐसी है जिसका विरोध किया जा रहा है। हमने जो बात कही है वह वही है जो नाथूरामजी ने अपने वक्तव्य में कही है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, यह गलत है। इस पर व्यवस्था हो चुकी है।...

(अत्यन्त शोरगुल, लगातार शोरगुल, अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : दोनों ओर से अंकित न हो।

श्री गिरधारीलाल व्यास : × ×

श्री नत्थीसिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।.... ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय यह मामला गम्भीर है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : स्थगन प्रस्ताव पर 1/10 का प्रश्न खड़ा होता है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। आप विरोधी दल के नेता को खड़ा करेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं उनसे निवेदन कर सकता हूं। वह हमारे नेता हैं। मेरे प्रस्ताव के समर्थन में, मेरा पॉइण्ट खड़ा होता है। 18 सदस्यों का उल्लेख है।

श्री अध्यक्ष : इसको मैंने अस्वीकार नहीं किया था इसको मैंने स्वीकार नहीं किया है

Page No 43

श्री नत्थीसिंह : मन्त्रियों पर हमला हो, यह कमजोरी है।

(शोरगुल–अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। अंकित न हो।

श्री नत्थीसिंह : × × ×

श्री मूलचन्द डागा : (अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : दोनों ओर से अंकित न हो।

श्री मूलचन्द डागा : × × ×

श्री नत्थीसिंह : × ×

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, आपने जो व्यवस्था दी है, मैं नहीं समझता हूं कि आपकी व्यवस्था को, जिस सन्दर्भ में आप ने व्यवस्था दी है, यानी पुलिस पर आरोप· ·

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ऑर्डर प्लीज।

श्री रामकिशन : · · ·लगाये गये हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि विचार किया जाये। यह मामूली बात नहीं है। अगर विचार नहीं किया तो सदन में अव्यवस्था बनी रहेगी।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। ऐसी धमकी मत दीजिए।

श्री रामकिशन : यह केवल मुंशी और मुमद्दियों का सवाल नहीं है। यह सुरक्षा का सवाल है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। माननीय सदस्य।

श्री रामकिशन और कई माननीय सदस्य : (अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर,.. माननीय सदस्य।

श्री नत्थीसिंह : (अश्रव्य)

श्री मूलचन्द डागा : (अश्रव्य)

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, कभी कभी· · · ·

श्री मूलचन्द डागा : नियम तोड़ने का नियम बना रखा है क्या ?

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : मैंने न इधर से दिया है न उधर से दिया है।

श्री भैरोंसिंह : परम्परागत तरीके से स्थगन की बात सोच रहे हैं क्या ?

एक माननीय सदस्य : (अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री भैरोंसिंह : गलत परम्पराएं डाल रहें हैं।

कई माननीय सदस्य : (अश्रव्य)

श्री भैरोंसिंह : एक भोंपू यह बोल रहा है।

श्री जयनारायण सालोदिया : कौन है भोंपू ?

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

एक माननीय सदस्य : वह ज्यादा कीमती है।

श्री अध्यक्ष : किसी न किसी कीमत में सभी तो हैं।

श्री दौलतराम सारण : भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक प्रश्न रखा उसको सुनने से पहले ही आपने कह दिया, अंकित न हो। मैं यह जानना चाहता हूं · ·

श्री गिरधारीलाल व्यास : (अश्रव्य)

श्री दौलतराम सारण : अंकित नहीं होने का अधिकार किन नियमों के अन्तर्गत है ?

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर, आॅर्डर। स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था दिये जाने के बाद उस पर कोई वादविवाद नहीं होता है। यह परम्परा है, नियम है। नम्बर दो, स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था देने के बाद उस पर फिर व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता। नम्बर तीन, आसन की अवहेलना बराबर की जाने पर आसन के पास और क्या तरीका है, इधर से भी बोलें, उधर से भी बोलें · · ·

(शोरगुल-व्यवधान-अश्रव्य)

अंकित न हो।

बाकी फिर दूसरे नियम भी हैं। जिनका उपयोग मैं नहीं करता रहा हूं अब मैं सदन की अनुमति से दूसरा विषय लेता हूं।

श्री दुर्गालाल बादवार : अध्यक्ष महोदय, सदन की परम्पराओं का पालन किया जाय।

श्री अध्यक्ष : परम्पराएं सिकुड़ सिकुड़ कर कहां जा रही हैं, वह मैं सब जानता हूं।

श्री दुर्गालाल बादवार : अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर, आॅर्डर विधेयकों का विवरण।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, लोक सभा में स्थगन प्रस्ताव को स्वीकृति के लिए वोट पर रख देते हैं। आपकी कन्सेंट का सवाल है। इसमें रीसेंट अकरेन्स भी है। 14 ता0 का है। मेरे एडजोर्नमेंट मोशन में सभी बातें हैं।

श्री अध्यक्ष : पुनः आप उसी प्रश्न पर बोल रहे हैं। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि आप तीन बार बोल चुके हैं। एक बार, दो बार, तीन बार बोल चुके हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अभी तक इजाजत से बोले हैं, अब बिना इजाजत से बोलते हैं।

श्री अध्यक्ष : अब नहीं।

(शोर–व्यवधान)

श्री गिरधारी लाल व्यास : (अश्रव्य)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। इधर उधर के माननीय सदस्य, दोनों स्थान ग्रहण करें। आप भी (किन्हीं माननीय सदस्य की ओर संकेत) अब मैं, आपकी अनुमति हो तो दूसरा प्रश्न ले लूं ?

श्री विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने यह फरमाया था कि मैं व्यवस्था दूंगा। कल आपने कहा था कि एडमिट कर लेंगे।

अध्यक्ष : यह कहां से कह रहे हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने यह कहा था कि सरकार से जानकारी लेकर...

श्री अध्यक्ष : इसको यहां लिया जाना उचित नहीं है। माननीय सदस्य यह 5वीं बार है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री गिरधारी लाल व्यास : यह हमारे सदन की परम्परा नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन करना चाहूंगा, आखिर कौनसा संकट है जो विचार नहीं हो रहा है। मुख्य मंत्री ने स्वयं वक्तव्य दिया है। कानून, व्यवस्था और सुरक्षा के बारे में गम्भीर आरोप लगाये गये हैं। उस पर विचार नहीं हो।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

श्री रामकिशन : यह मामला बड़ा गंभीर है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री रामकिशन : यह मामला संविधान के खिलाफ है। मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आपको विचार करना चाहिए इस पर...

श्री गिरधारी लाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा चुका है...

श्री रामकिशन : यह प्रश्न बहुत गम्भीर है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : इसके ऊपर पहले निर्णय दे दिया गया है और इस सम्बन्ध में...

श्री रामकिशन : इसका स्पष्टीकरण हो जाय मुख्य मंत्री जी बयान दे दें...

श्री अध्यक्ष : दोनों ओर से...

श्री गिरधारी लाल व्यास : इसलिये यह डिस्कस नहीं किया जाय।

श्री अध्यक्ष : दोनों ओर से, अ किस नहीं हो। ऑर्डर प्लीज।

(शोरगुल-व्यवधान)

श्री रामकिशन : ऑर्डर किस बात का।

श्री मूलचन्द डागा : इस तरह यह कार्यवाही नहीं चलाना चाहते हैं।

श्री गिरधारी लाल व्यास : आज जो शिड्यूल्ड कास्ट्स की रिपोर्ट है उसको माननीय सदस्य डिस्कस नहीं करना चाहते

(श्री गिरधारीलाल व्यास)
हैं। कल भी इसी प्रकार की बात की।

श्री रामकिशन : देश की सुरक्षा का प्रश्न है, इस तरह से जातिवाद का प्रचार होता है। तो आप इस पर पुन: विचार करें।

श्री गिरधारी लाल व्यास : यह शिड्यूल्ड कास्ट्स से हमदर्दी नहीं रखते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : राजस्थान की हकूमत जातीयता के आधार पर चल रही है। राजस्थान में जातीयता का विष जन जीवन में बोया जा रहा है और नक्सलवादी यहां पैदा हो रहे हैं।

श्री गिरधारी लाल व्यास : जान बूझ कर शिड्यूल्ड कास्ट्स की रिपोर्ट को टाला जा रहा है।

(शोरगुल-व्यवधान)

इससे मालूम पडता है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स की रिपोर्ट को यह डिस्कस नहीं करना चाहते हैं।

(शोरगुल-व्यवधान)

कई माननीय सदस्य : शेम शेम।

श्री मूलचन्द डागा : क्या शेम शेम ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : डूब मरो।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री विजय सिंह : उधर सब मुंशी और मुसद्दी बैठे हुए हैं।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : अध्यक्ष जी, आपने इस एडजोर्नमेंट मोशन पर अपनी व्यवस्था दे दी है। मैं समझता हूं, माननीय सदस्य भी शायद इस बात से सहमत होंगे कि जो स्टेटमेंट आया उसके बारे में अखबारों में भी वह पढ चुके हैं कि उनके और मेरे बीच बातचीत हुई है और उसके बाद उन्होंने भी कोई वक्तव्य नहीं दिया है। क्या बात हुई है, क्या नहीं हुई है—इसके विस्तार में मुझे यहां जाने की आवश्यकता नहीं है...

श्री रामकिशन : क्यों ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : इसलिए कि वह हमारी पार्टी का इन्टरनल मेटर है...

श्री रामकिशन : नहीं इन्टरनल मेटर नहीं है।

श्री देवीदत्त गाडिया : गंगानगर में जुलूस निकाला है, इसलिए यह राजस्थान के जन जीवन से सम्बन्ध रखता है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : मेरी बात सुन लीजिए...

(शोरगुल-व्यवधान)

कई माननीय सदस्य : चुप रहें।

(शोरगुल-व्यवधान)

श्री मोहनलाल सुखाडिया : मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष जी कल से इस बात को देखा जा रहा है कि

Page No 47

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)

टौंक और नसीराबाद में हार के परिणाम स्वरूप इस तरह की बात उठाई जा रही है . . .

(शोरगुल—व्यवधान)

और इस तरह की बात पैदा करने का प्रयत्न करके धीरे धीरे एक . . .

(शोरगुल-व्यवधान)

बात सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष : सुन लीजिए।

श्री रामकिशन : जवाब बहुत बढ़िया है।

(शोरगुल-व्यवधान)

सुनेंगे नहीं अब आप ?

(शोरगुल-व्यवधान)

सुनना नहीं चाहते ?

(शोर गुल-व्यवधान)

श्री मोहनलाल सुखाडिया : मैं निवेदन करना चाहता हूं वास्तविक बात यह है कि नाथूरामजी के स्टेटमेंट को लेकर . . .

श्री आईदानसिंह (भीनमाल) : बाई-इलेक्शन में क्या हुआ है उससे इसका संबंध नहीं है। बाई इलेक्शन में शराबखोरी आपने भी देखी होगी।

(शोरगुल-व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : देखिये, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री विजयसिंह : उदयपुर में क्या हो रहा है यह भी छुपा हुआ नहीं है।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : मैंने इसलिए कहा, हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष जी जो राय जाहिर करें उसको विरोधी पक्ष में बैठे हुए माननीय सदस्य वेट कितना देते हैं, कितना उसको महत्व देते हैं—यह सब जानते हैं। आज जो महत्व दिया जा रहा है इसलिए मैंने कहा कि टौंक और नसीराबाद के हार का परिणाम है। गंगानगर के ऊपर बहस करने वाली बात होती तो मैं समझ कर चलता, लेकिन राजस्थान में चाहे वह जुलूस निकाले, चाहे और परिस्थितियां हों—यह मान कर चलिए कि राजस्थान में न तो नक्सलवाद का वातावरण है, न राजस्थान में जातिगत झगड़े की बात है। इन बातों को यहां रखकर चला जाता है तो यह इस भावना को उभारने की बात होती है, जो आज कहीं विद्यमान नहीं है। मैं समझता हूं कि इस स्टेटमेंट को, जो हमारी पार्टी का इन्टरनल सवाल है, सदन में बहस का सवाल नहीं बनाया जाय।

श्री भैरोंसिंह : एक जानकारी दे दीजिए, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने जो वक्तव्य दिया है उस वक्तव्य का आप समर्थन करते हैं ?

श्री रामकिशन : कह दिया यह तो।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : मैं उसका समर्थन कई मायनों में नहीं करता हूं।

श्री भैरोंसिंह : कौन से मायने में ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं उस विस्तार में जाना नहीं चाहता ...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यही तो प्रश्न है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं निवेदन कर दूं, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर के बारे में जो स्टेटमेंट दिया है उससे मैं सहमत नहीं हूँ।

श्री भैरोंसिंह : आप इससे सहमत नहीं हैं कि दो वर्गों में झगड़ा कराने में सरकार का हाथ रहा है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं सहमत नहीं हूं।

श्री भैरोंसिंह : तो जो इस प्रकार सरकार के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं उसके खिलाफ सरकार ने क्या एक्शन लिया है ? क्या इस पर कार्यवाही कर रही है सरकार?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने आप से कहा कि यह हमारी पार्टी का इन्टरनल मैटर है।

श्री देवीदत्त गाडिया : इन्टरनल नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : जब तक कोई स्पेसिफिक सवाल नहीं आता है तब तक कोई एक्शन लेने का प्रश्न नहीं है।

श्री देवीदत्त गाडिया : मुख्य मंत्रीजी कहते हैं कि यह पार्टी का आन्तरिक मामला है...

श्री गिरधारीलाल व्यास : आन्तरिक मामला है और उसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता।

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी के वक्तव्य के बाद में स्थिति बदल चुकी है। पहले कुछ कहा, उसके बाद में स्टेटमेंट के बारे में कहा और स्टेटमेंट के कुछ अंशों को गलत बताया। लेकिन जब आज सदन में इस पर विचार हो रहा है तो वह यह कहते हैं कि हमारे में चुनाव में बात हुई, केमरे में बात हुई ...

श्री अध्यक्ष : आप किस प्रश्न पर बोल रहे हैं ?

श्री नत्थीसिंह : और सरकार के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया ...

श्री अध्यक्ष : आप किस प्रश्न पर बोल रहे हैं ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय यह अव्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : आप किस प्रश्न पर बोल रहे हैं ?

श्री नत्थीसिंह : जो मुख्य मंत्री जी ने कहा ...

श्री अध्यक्ष : जैसे आपने विचार प्रकट किये उसी तरह से उन्होंने किये। बहस का कोई प्रश्न नहीं है।

(शोरगुल-व्यवधान)

श्री नत्थीसिंह : आपको नहीं बोलने देना था तो मुख्य मंत्री को भी नहीं बोलने देना चाहिए था।

Page No 49

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री नत्थीसिंह : यदि आप में साहस था तो मुख्य मंत्री जी को भी नहीं बोलने देना था।

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री नत्थीसिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री नत्थीसिंह : × × ×

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। माननीय नत्थीसिंह।

श्री गिरधारीलाल व्यास : इस प्रकार का प्रश्न है······

श्री अध्यक्ष : माननीय नत्थीसिंह जी ! स्थान ग्रहण करें।

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह साफ मालूम पड़ता है कि अपोजीशन के पास में···

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो, न इधर से न उधर से अंकित हो। दोनों ओर से अंकित नहीं हो।

श्री दौलतराम सारण : ×××

श्री नत्थीसिंह : ×××

श्री अध्यक्ष : कोई गौर तलब नहीं है।

श्री नत्थीसिंह : सब गौर तलब है।

श्री अध्यक्ष : नहीं है गौर तलब, स्थान ग्रहण करें। आर्डर प्लीज !

श्री दौलतराम सारण : मैं ×××

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री दौलतराम सारण : ×××

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री दौलतराम सारण : ×××

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर।

(शोर गुल–व्यवधान)

अंकित नहीं हो। न इधर से, न उधर से। स्थान ग्रहण करें। ऑर्डर प्लीज। ऑर्डर। अरे आप थक जायेंगे। स्थान ग्रहण करें। स्वास्थ्य के प्रति अच्छा नहीं है।

श्री मदनसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय····

श्री अध्यक्ष : अच्छी बात आ रही है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इजाजत है।

श्री मदनसिंह : मुझे अत्यन्त ताज्जुब हो रहा है कि नाथूराम कौन है, कौन बड़ी हस्ती है ? यह मेरी समझ में नहीं आया। जो वक्तव्य दे जाय और यहां गड़बड़ी हो जाय। नाथूराम जी वक्तव्य दे जायं और यहां गड़बड़ी हो जाय। यह कुचेरा गांव से लड़ाई स्टार्ट करवाई थी जाट और राजपूत में इन्हीं नाथूराम जी ने। अब लीपा-पोती करके स्टेटमेंट दे दिया और इस असेम्बली में बहस का प्रश्न बन गया·····

श्री अध्यक्ष : यह बात है।

श्री मदनसिंह : पहले भी कांग्रेस में ऐसे भाषण हुए हैं····

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

Page No 50

श्री दौलतराम सारण : यह अंकित होगा।

एक माननीय सदस्य : साजिश में शामिल हैं।

श्री मदनसिंह : नाथूराम स्टेटमेंट दे जाय, मदनसिंह स्टेटमेंट दे जाय और असेम्बली में प्रश्न खड़ा हो जाय, काट मार हो जाय। मैं समझता हूं कि यह जाट और राजपूत का सवाल कुचेरा से शुरू हुआ था। रोटी का सवाल था उस झगड़े में और····

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री मदनसिंह : मैं समझता हूं, नाथूराम का भाषण या वह दिलीपसिंह की हत्या को ढकने के लिए, उनको खुश करने के लिए··

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : मेरा एक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : क्या प्रश्न है वाद-विवाद का?

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : सदन के बाहर अथवा सदन के भीतर हम कुछ परंपराओं का निर्माण करने जा रहे हैं। दो परम्परायें सामने आने लगी हैं।

श्री अध्यक्ष : कौनसा विषय है परम्परा का? अभी सदन के सामने कोई विषय नहीं है। विधायी कार्य का प्रश्न मैं रखना चाहता हूं। वह प्रश्न समाप्त हो चुका। जहां तक व्यवस्थाओं का प्रश्न है, मैं दे चुका। वह प्रश्न अब सदन के सामने नहीं है। तो कौनसे प्रश्न पर आप व्यवस्था चाहते हैं?

श्री रामकिशन : विधान सभा के औचित्य पर।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : आज आप सदन के मारफत जैसी परम्परा इस देश में कायम करना चाहते हैं, कोई बड़ा आदमी वक्तव्य दे···

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। (श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल के बोलते रहने पर) अंकित न हो। श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : XXX

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : क्या अनुमति है सदन की?

(सरकारी पक्ष से)

श्री रामकिशन : विधान सभा के सदस्य हैं या सिनेमा देखने वाले हैं।

(व्यवधान)

श्री गिरधारी लाल व्यास : अध्यक्ष महोदय के निर्णय के बाद··

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यदि कोई प्रश्न खड़ा किया जाय··

X अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

Page No 51

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज। व्यवस्था का प्रश्न मैं समझ रहा हूं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : वाद विवाद भी अंकित न किया जाय · ·

श्री अध्यक्ष : मैं अपने शब्द कहता हूं।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : मैं निवेदन कर रहा था · ·

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय सदस्य · ·

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : छोटा व्यक्ति कोई आज · ·

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। अंकित न हो।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल XXX

श्री नत्थीसिंह : XXX

श्री अध्यक्ष : इसको एक्सपंज किया जाय वेहीमेंटली। इट इज टेरीबुल।

श्री नत्थीसिंह : शासन के व्यवहार में वेहीमेंट सुधार करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : इट इज टेरीबुल फार दी अनरेबल मेम्बर।

(शोरगुल)

जितना मैं अपने धैर्य को रख पाया हूं, कोई नहीं रख पाएगा।

श्री रामकिशन : प्रश्न साधारण है। सदन को इस पर विचार करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री रामकिशन : स्थान तो ग्रहण करूंगा।

श्री अध्यक्ष : बैठ जायं।

श्री रामकिशन : इस पर विचार करना चाहिए।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : नहीं होगा।

श्री रामकिशन : घर की बात है क्या ?

श्री बृजसुन्दरशर्मा : निर्णय हो चुका है।

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : मैं समझता हूं, आप सदन को नहीं चलने देना चाहते हैं ?

(श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल के बोलने पर)

अंकित न हो।

(साथ साथ श्री गिरधारीलाल व्यास के बोलने पर)

अंकित न हो इधर से भी उधर से भी।

माननीय सदस्यों की सद्भावना प्राप्त करने हेतु (श्री मूलचन्द डागा से) आप बैठे2 बोल रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : ये नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : यहां दो तरह के आदमी हैं XXXX

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

XXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार शब्द कार्यवाही से निकाले गये।

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल: XXXX

श्री अध्यक्ष: आर्डर, आर्डर।

श्री गिरधारी लाल व्यास: XXXX

श्री अध्यक्ष (श्री गिरधारीलाल व्यास के बोलने पर): इधर से और उधर से अंकित न हो

कार्पण्यदोषोपहतस्वभाव।
पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढ़ चेता।
यच्छ्रेय: स्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे
शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्॥

सदन की कार्यवाही इस डिसार्डर के संदर्भ में स्थगित करता हूं और स्थगित करने के बाद चिंतन करूंगा कि किस तरह से आर्डर रेस्टोर किया जाय। तब तक सदन की कार्यवाही स्थगित समझी जाय।

(सदन की कार्यवाही 12.45 पर स्थगित की गई)

सदन की कार्यवाही 1.55 म. प. पर पुनः प्रारम्भ

(1.55 म. प.)

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

व्यवस्था का प्रश्न-सदन की बैठक स्थगित करने सम्बन्धी

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): अध्यक्ष महोदय, मेरी व्यवस्था का सवाल है। सबसे पहले तो मेरा यह सवाल है कि अध्यक्ष महोदय के आगमन के समय मार्शल द्वारा जोर से शुभागमन की सूचना नहीं दी गई है जिसके कारण हम उनका समुचित आदर नहीं प्रदर्शित कर सके। यदि मार्शल द्वारा उच्च स्वर में मा. अध्यक्ष के आगमन की सूचना दी जाती तो हम खड़े होकर उनका उचित अभिवादन करते····

श्री अध्यक्ष: मैंने ही इन्कार कर दिया था····

श्री नत्थीसिंह: इसके लिये तो नियम बने हुए हैं।

श्री अध्यक्ष: मैंने मना कर दिया था, मार्शल का दोष नहीं है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल: मेरा दूसरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री मूलचन्द डागा: एक समय में एक ही व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष: मैं इजाजत देता हूं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल: नियमों के अनुसार जब कोई मीटिंग को डिसआर्डर के कारण या असाधारण स्थिति के कारण एडजोर्न करनी पड़े तो उसके लिये अध्यक्ष महोदय को नियम 293 के अन्तर्गत अधिकार है कि आप हाउस को एडजोर्न या सिटिंग को ससपेण्ड करदें। अभी ऐसा ही हुआ है। अध्यक्ष महोदय, जब ऐसी स्थिति में आपने हाउस को स्थगित किया उसमें समय नहीं बताया कि इतने समय के लिये इसको स्थगित किया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि सदन को कार्यवाही अनिश्चित काल

× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

(श्री मुकुट बिहारी गोयल)

के लिये आपने स्थगित कर दी जिसको हम अंग्रेजी में साइनेडाई कहते हैं। आपने समय निर्धारित नहीं किया इस कारण माननीय सदस्य ससपेन्स में रहे। कई तो माननीय सदस्य घर भी चले गये, इसलिये कि आप दूसरी सूचना द्वारा मिटिंग के लिये काल करेंगे। जो सदस्य चले गये वे महत्वपूर्ण कोन्ट्रीब्यूशन कर सकते थे, वे सदन में उपस्थित नहीं हैं। ऐसी स्थिति में दूसरी मिटिंग बुलाने के लिये आपको नोटिस देना चाहिये जो कि रूल 293 के अन्तर्गत जरूरी है जिस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

"In the case of a grave disorder arising in the House, the Speaker may, if he thinks it necessary to do so, adjourn the House or suspend any sitting for a time to be named by him."

अब प्रश्न यह है कि आपने सिटिंग को ससपेण्ड किया या हाउस को एडजोर्न किया क्योंकि आपने समय की अवधि निर्धारित नहीं की।

श्री अध्यक्ष : आप साइनेडाई मानते हैं क्या ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मेरी मान्यता के अनुसार कोई भी मिटिंग बुलाने से पहले आपको विधिवत् दूसरा नोटिस जारी करना चाहिये। वही ड्यूली कोन्स्टीट्यूटेड और प्रीसाइडेड ओवर बाई दी स्पीकर हो सकती है।

मैं इस बारे में दूसरी व्यवस्थाओं की ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इसी नियमावली के चेप्टर (4) में कुछ ऐसा ही प्रावधान है जिसके अन्तर्गत नियम नंबर (13) है और जो प्रोवीजो लगा है उसमें भी यही बात है। सिटिंग को एडजोर्न करने का अधिकार है उस के साथ साथ समय की अवधि निर्धारित होनी चाहिये। बगैर टाइम की घोषणा किये अगर ऐडजोर्न की जाती है तो दुबारा नोटिस देकर बुलाई जा सकती है। मेरा निहायत नम्रता के साथ यही अनुरोध है कि इस परम्परा को निभाया जाय।

श्री मदनसिंह (दाता रामगढ़) : मैं समझता हूँ, अध्यक्ष महोदय, आपने 14 अप्रेल को इसी प्रकार से असेम्बली को स्थगित किया था और बाद में हमें नोटिस मिला था। आज भी हम तो घर जा रहे थे लेकिन एक माननीय सदस्य ने कहा आज आपकी इस तरह की मन्शा नहीं थी। हम तो यह सोचते थे कि हमें घर पर फिर दुबारा मिटिंग का नोटिस मिलेगा। आपने जो सिटिंग को एडजोर्न किया उसमें समय की अवधि नहीं बतायी इसलिये यह सिटिंग हाउस की सिटिंग नहीं हो सकती। आप ही अगर इस तरह से नियमों का उल्लंघन करेंगे तो हमारी क्या हालत होगी ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय रूल (293) जिसके अन्तर्गत माननीय सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न खड़ा किया है वह 293 रूल इस प्रकार है:—

"In the case of a grave disorder arising in the House, the Speaker may, if he thinks it necessary to do so

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
adjourn the House or suspend any sitting for a time to be named by him."

This is most important, "for a time to be named by him"

(2 म. प.)

आपने, अध्यक्ष महोदय, सदन की कार्यवाही 1.55 बजे स्थगित की थी। आपने जो घोषणा की थी, वह इस प्रकार है:—

"सदन की कार्यवाही, डिसआर्डर के सन्दर्भ में स्थगित करता हूं और स्थगित करने के बाद चिन्तन करूंगा कि किस तरह से आर्डर को रैस्टोर किया जाये। तब तक सदन की कार्यवाही स्थगित समझी जाय"।

अध्यक्ष महोदय, आपने केवल चिन्तन की बात कही है, मनन की बात नहीं कही है। यह अधूरा काम किया है। इसलिए जब तक चिन्तन और मनन नहीं कर लें····

श्री भैरोंसिंह : मनन के साथ नियम का अध्ययन भी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : यह नियम का अध्ययन तो कोई नहीं मानेगा।

श्री मदनसिंह : आपने आदेश दिया, हम आ गये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आशा है, आप इस सम्बन्ध में जागरूक रहेंगे। इस नियम 293 के अन्तर्गत सदन की कार्यवाही स्थगित करने के लिए टाइम का उल्लेख करना आवश्यक है। अन्यथा जब तक नोटिस देकर मेम्बरान को दुबारा नहीं बुलाएंगे तब तक यह मीटिंग जो हो रही है, वह इल्लीगल है।

माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, वह उचित है। आप इनकी व्यवस्था के प्रश्न पर अध्ययन करेंगे। चिन्तन करेंगे। मनन करेंगे।

श्री अध्यक्ष : विधि मन्त्री जी।

श्री बरकतुल्ला खां : माननीय अध्यक्ष महोदय, रूल 293 के अन्तर्गत, इसके अन्दर एक निर्धारित समय देना जरूरी होता है समय निर्धारित करने की जरूरत होती है। इस रूल के अन्दर, या जब तक रूल को सस्पैंड नहीं किया जाये, मीटिंग बुलाने में दिक्कत आती है। पहले जब हाउस एडजोर्न किया, उसके अन्दर टाइम नहीं आया कि कितनी देर के लिए स्थगित किया है, इस कारण यह मीटिंग वैलिड है, इसका डाउट हो सकता है। इसलिए मेरी राय यह है कि इस रूल के तहत, यह मोर और लेस नये नोटिस देने की जरूरत है।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन···

श्री रामकिशन : यह नाटक क्या है?

एक माननीय सदस्य : ला मिनिस्टर ने क्या फरमाया है?

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, स्थगन के बारे में रूल्स में दो नियम हैं, पहला 293

(श्री शंकरलाल)
है और दूसरा 13 है। इन दोनों को पढ़ना आवश्यक है। नियम 13 में साइनेडाई के बारे में लिखा है—

"The Speaker shall determine the time when a sitting of the House shall be adjourned sine-die or to a particular day or to an hour or part of the same day:

"Provided that the Speaker may, if he thinks fit, call a sitting of the House before the date or time to which it has been adjourned or at any time after the House has been adjourned sine-die."

रूल 293 है वह इसलिए है कि अगर स्पीकर जरूरी देखता है:—

"In the case of a grave disorder arising in the House, the Speaker may, if he thinks it necessary to do so, adjourn the House or suspend any sitting for a time to be named by him."

यह कहते हैं कि साइनेडाई माना जाये या नहीं माना जाये? यह जिस कारण से हुआ है, वहां रूल 293 लागू होगा। हाउस डिसआर्डर होने की वजह से स्थगित कर दिया है तो वह साइनेडाई नहीं कहा जा सकता है। यह जरूर कहा जा सकता है— for a time to be named by him.

स्पीकर को टाइम निश्चित करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय ने टाईम घड़ियों में नहीं बता कर, कहा है, मैं चिन्तन करता हूं; किस तरह से हाउस को आर्डर में लाया जावे। वह एक टाइम हो गया है।

(शोरगुल—अश्रव्य)

एक माननीय सदस्य : एक और नई बात।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, निवेदन यह है कि साइनेडाई एडजर्नमेंट के लिए यह रूल लागू हो सकता है। रूल 13 में यह माना जा सकता है कि साइनेडाई एडजोर्न होने के बाद नया नोटिस दिया जाये। रूल 293 में नोटिस देने की जरूरत नहीं है। यह 293 में आयेगा, 13 में नही आयेगा। इसलिये साइनेडाई नहीं कह सकते हैं। इसलिए नये नोटिस की जरूरत नहीं है।

यह निश्चित समय के लिए स्थगित करने की बात है। घण्टे दो नहीं कहा है। लेकिन यह जरूर कहा है कि हाउस में डिसआर्डर है, उसको आर्डर में कैसे लाया जाये। वह तो स्वयं टाइम घड़ियों में हो जाएगा। वह चिन्तन का टाइम था। वह चिन्तन कर लिया है। वापिस हाउस के लिए घण्टी बजा दी है। आप आकर बैठ गये हैं। तो मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल नियम के अनुकूल है। लेकिन वैसे रूल 307 के अन्तर्गत जो पावर्स हैं उनके अन्तर्गत इनको रिलेक्स भी किया जा सकता है।

"All matters not specifically provided for in these ru es and all questions relating to the detailed working of these rules shall be regulated

(श्री शंकरलाल)

in such manner as the Speaker may from time to time direct"

टाइम जो चिन्तन के शब्दों से बताया है तो हम यह समझ बैठे हैं। माननीय सदस्य उपस्थित बैठे रहे हैं। तो अब चिन्तन कर लिया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसका मतलब यह है कि 293 में यह लिखा हुआ है कि--

"for a time to be named by him or जब तक कि अध्यक्ष महोदय चिन्तन मनन करते रहें"

श्री शंकरलाल : हाउस को कैसे आर्डर में चलायें...

कई माननीय सदस्य : (एक साथ बोलने के कारण, अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : आर्डर। श्री रामानन्द।

श्री शंकरलाल : मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि यह सदन सीलिंग बिल को पास करने के लिए बुलाया गया है।

श्री अध्यक्ष : मैं आपका प्रश्न समझ गया हूं।

श्री शंकरलाल : मैं यह नहीं चाहूंगा कि समाजवादी कानून लाने के लिए वह विरोध करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री रामानन्द।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि सीलिंग का कानून है। वह सदन में पेश हो उसमें ढिले न हो।

श्री अध्यक्ष : वह प्रश्न नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कांग्रेस पार्टी इस डिस आर्डर का बहाना लेकर हाउस से भागना चाहती है।

श्री नत्थी सिंह : यह स्थिति कांग्रेस पार्टी ने ही पैदा की है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अभी जन संघ के माननीय सदस्य ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सिलिंग का कानून टालना चाहती है। मैं तो निवेदन करता हूं कि अभी सीलिंग के कानून पर चर्चा शुरू कर दी जावे।

श्री राम किशन : हाउस एडजोर्न नहीं हो, हम तो चाहते हैं कि यह सीलिंग का कानून पास हो। वैसे कानून बढिया ला रहे हो? क्या मजाक कर रहे हो? राजस्थान के गरीब किसानों के साथ मजाक है यह आपका।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : खुलकर विचार रखने का हो तो अवसर देना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द। आर्डर प्लीज, आर्डर।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, हमारी प्रक्रिया और संचालन की नियमावली में दो नियम (293) और (13) हाउस को

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
स्थगित करने के सम्बन्ध में हैं। जहां तक मैं समझता हूं रूल (13) कम्प्रीहैन्सिव है। हर प्रकार के स्थगन, न केवल हाउस अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित किया जावे तभी, बल्कि रूल (13) उन तमाम परिस्थितियों में जब कि हाउस साइनेडाई स्थगित किया जावे या पर्टीक्यूलर डे के लिये स्थगित किया जावे या उस दिन किसी थोड़े समय घण्टे दो घण्टे के लिये स्थगित किया जावे, इसके लिये सब के लिये रूल (13) लागू होता है। मैं इसको पढकर सुना देता हूं :

"The Speaker shall determine the time when a sitting of the House shall be adjourned sine die or to a particular day or to an hour or part of the same day."

तो यह कहना सही नहीं है कि रूल (13) हर हालत में, जब हाउस अनिश्चित काल के लिये स्थगित किया जावे तभी लागू होता है। यह कम्प्रीहैन्सिव है इसमें यह भी व्यवस्था है कि अध्यक्ष महोदय को उस समय में परिवर्तन करने का भी अधिकार है। जिस समय के लिये स्थगित किया उससे पहले बुला लेने का अधिकार भी अध्यक्ष महोदय को दिया हुआ है। इसका जो परन्तुक है वह कहता है :

"Provided that the Speaker may, if he thinks fit, call a sitting of the House before the date or time to which it has been adjourned or at any time afte the House has been adjourned sine die"

श्री अध्यक्ष। माननीय रामानन्दजी, स्पीकर को जो टाइम एडजोर्नमेंट का दिया है उससे पूर्व भी बुलाने का अधिकार है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : जी हां है।

श्री मदनसिंह : तरीका क्या था ? घंटी बजाकर या सर्मन जारी करके।

श्री अध्यक्ष : मेरा वक्त आवेगा तब बता दूंगा।

श्री मदनसिंह : हम आदी हैं, घंटी बज जाती है और अन्दर घुस जाते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अगर आपने उस दिन चार बजे का समय निश्चित किया है और दो बजे बुलाना चाहते हैं आप, तो आप बुला सकते हैं।

अब अध्यक्ष महोदय, रूल (293) में जो कि ग्रेव डिसआर्डर की स्थिति में हाउस को एडजोर्न करने की बात कही गई है आपने उसके आधार पर एक्शन लिया। लेकिन यह (293) भी रूल (13) के अन्तर्निहित है।

यह सही है कि आपने पार्टीकूलर टाइम का नाम नहीं लिया लेकिन आपने यह कहा कि चिन्तन करके हाउस को वापिस बुलाऊंगा। आप चिन्तन करना चाहते हैं कि किस तरह से हाउस को कन्ट्रोल किया जावे। सभी माननीय सदस्य हाउस में मौजूद हैं तो इससे जाहिर है कि आपने कहा नहीं कि कितने समय के लिये एडजोर्न किया

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
जावे पर सेंस यही था कि थोड़े समय के लिये यानि कि एक दो घन्टे के लिये। फिर समय में परिवर्तन करने का अधिकार आपको (213) के तहत है। तो इस बुलाने में वायोलेशन आफ रूल्स नहीं है। फिर रूल्स को रिलेक्स करने का अधिकार भी आपको है। तो इस बिना पर यह लीगल सिटिंग है। इल्लीगल कान्स्टीट्यूशन की बात कहना दुरुस्त नहीं है।

इस सम्बन्ध में मैं इस बात को कहे बगैर नहीं रहूंगा कि इन बहस का ताल्लुक महत्वपूर्ण रूप में भी है कि इसके पोलिटिकल इम्प्लीकेशन्स भी हैं। इस हाउस के सामने कुछ इस महत्व का बिजनेस है जिसको इस सदन में बैठने वाले इस ओर के भी कुछ माननीय सदस्य और उस ओर बैठने वाले भी कुछ माननीय सदस्य हर तरीके डिस्प्यूट और डिलेइंग टैक्टिक्स से सेबोटेज करना चाहते हैं। वे सीलिंग का कानून इस सदन में लेना नहीं चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : दूसरे प्रश्न पर नहीं। माननीय सदस्य, ओनली लीगल पोजीशन आफ दिस इश्यू।

श्री रामानन्द अग्रवाल: जब हमारी तरफ से कहा जा रहा था कि इस बिल को इसी वक्त मन्जूर किया जावे, आज ही किया जावे, तब उसको नहीं सुना गया। गवर्नमेंट की अपनी पार्टी मीटिंग हुई।

श्री अध्यक्ष : मेरे सामने सिर्फ पोइन्ट आफ आर्डर है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पर इसे सिलेक्ट कमेटी को भेजकर लम्बा किया गया। इस ओर से भी कोशिश है कि हाउस को खतम कर दिया जावे और इसे न लिया जावे।

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं। लीगल पोजीशन आपने रख दी है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: हमेशा आपकी ओर से जब कोई भी डेडलाक क्रीएट किया जाता है उसे हल करने का प्रयत्न होता रहा है। आज ही ऐसी परिस्थिति क्या पैदा हो गई कि पोलिटिकल इस्यूज तय नहीं हो सकते हैं और आज न आपकी तरफ से न लीडर आफ दी हाउस की तरफ से यह प्रयत्न किया गया कि अपोजिशन पार्टी के लीडर को और अन्य लोगों को बुलाकर उसका हल निकाला जावे। यह क्यों हुआ। अगर माननीय सदस्य.....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह प्रश्न नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: जो सदन स्थगित हुआ तो इस का एस्पर्शन चेयर पर भी आता है। सदन के अधिकारों को बचाने के प्रयत्न में यह कटु सत्य भी मुझे कहना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, वरना समझ में नहीं आता आखिर इस हाउस में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग क्यों नहीं बुलाई गई। लीडर आफ दी अपोजीशन और दूसरे लोग इन्तजार कर रहे थे कि आप उनको कोई रास्ता ढूंढने के लिये इस बार भी पहले की तरह बुलावेंगे। हमेशा आप बुलाते रहे हैं। इस बार

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
कौनसी ऐसी बाधा आपके सामने आ गई और बिना बुलावे आप इसे स्थगित कराना चाहते हैं। किसी भी प्रोवोकेशन पर, किसी को प्रोवोकेशन दिलाकर हाउस को एडजोर्न कराना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हाउस को साइनडाई एडजोर्न कराकर उन लोगों को आप मौका देना चाहते हैं कि वे साल छः महीने में अपनी जमीनें बेचकर कानून की गिरफ्त से बच जावें। आप चाहते हैं कि ऐसे लोगों को अपनी जमीनों को बेच कर इस कानून की परिधि से निकलने का मौका मिल जावे।

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसलिये यह सिटिंग वेलिड है और कोई वजह नहीं कि इसे स्थगित किया जावे और बिजनेस नहीं चले।

श्री अध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द।

श्री वृद्धिचन्द जैन : अध्यक्ष महोदय, रूल (1) रूल्स आफ प्रासिजर एण्ड कन्डक्ट आफ बिजनेस में स्पष्ट है, जैसा रामानन्द जी अग्रवाल ने व्याख्या की है मैं उससे सहमत हूं कि यह जो एडजोर्नमेंट आफ हाउस का रूल है, यह कवर करता है साइन डाई को, टू ए पर्टीक्यूलर डे को और टू एन आवर को। आज के लिये सिटिंग बुला लें तो उसको भी कवर करता है। अब प्रश्न यह उठता है रूल (293) के माफिक स्पीकर महोदय ने आदेश दिया वह बिलकुल सही दिया है और उस आदेश को स्पीकर महोदय के इन्टेन्शन से जज करना पड़ेगा। आपका इन्टेन्शन क्या है–उसमें जाना पड़ेगा। अगर आपकी इन्टेंशन में आते हैं, आपके विचार हैं उनकी स्प्रिट में जाते हैं तो क्लीयर यह चीज सामने आती है, यद्यपि आपने समय मुकर्रर नहीं किया फिर भी यह स्पष्ट है कि हाउस एडजोर्न किया वह पार्टीक्यूलर डे, आज के लिए एडजोर्न किया। टाइम फिक्स नहीं किया गया परन्तु यह सही है कि हाउस को एडजोर्न किया वह आज के लिए एडजोर्न किया और चिन्तन के बाद में हाउस वापिस शुरू होगा। आपकी इन्टेन्शन को जज करने से यह क्लीयर अर्थ निकलता है। इसलिए जो सिटिंग बुलाई गई है वह बिल्कुल वेलिड है।

श्री अध्यक्ष : मैं समझ गया आपका व्यू पाइन्ट!

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : हम सीलिंग का कानून पास करना चाहते हैं। जैसा सतीश-चन्द्र जी ने कहा कि कांग्रेस सीलिंग का कानून पास नहीं करना चाहती। अगर कांग्रेस सीलिंग का कानून पास नहीं करना चाहती तो स्पेशल सेशन क्यों बुलाती। कांग्रेस ने स्पेशल सेशन इसीलिए बुलाया है कि वह सीलिंग के कानून को पास करना चाहती है।

श्री अध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर) आर्डर, आर्डर!

श्री विजय सिंह : सीलिंग कानून पास करने के लिए नहीं बुलाई है।

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, जो रूल (293) के तहत एतराज उठाया गया है उस एतराज को सही तौर से समझना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करूंगा, रूल (293) के अन्तर्गत यह जरूरी है कि समय निर्धारित किया जाय। और जब वह समय निर्धारित नहीं किया गया तो इस सदन में बैठने वाले माननीय सदस्यों का यह कर्त्तव्य है कि वह आसन का ध्यान इस ओर आकर्षित करें ताकि नियमानुसार सदन की कार्यवाही हो, कोई अनियमित कार्यवाही नहीं हो। इसलिए जो रूल (293) के अन्तर्गत मुकुट बिहारी जी ने आपत्ति उठाई है वह बिल्कुल सही आपत्ति है। लेकिन उसके साथ साथ माननीय रामानन्द जी का कहना कतई गलत है कि हम सीलिंग कानून पास नहीं करना चाहते हैं। इसी सदन में हमने मांग की थी, आज हो पास करो सीलिंग कानून को। और आपको मालूम होना चाहिए कि इस सदन के इधर बैठने वाले माननीय सदस्यों ने कभी का लिख कर दिया है अध्यक्ष महोदय को कि हम अकाल पर बहस करना चाहते हैं, दूसरे मुद्दों पर बहस करना चाहते हैं, हम सदन को स्थगित करना नहीं चाहते। हम निश्चित रूप से चाहते हैं कि सदन की कार्यवाही नियमों की मर्यादा के अन्तर्गत चले। लेकिन नियमों की मर्यादा को तोड़ते हुए कोई बहाना लिया जाता है, कोई बहाना बनाया जाता है सदन को स्थगित करने के लिए तो हमें भागीदार नहीं बनायें। अगर अनियमित रूप से सदन की बैठक बुला कर उस बैठक में सीलिंग का कानून पास हुआ तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं, अगर यह लेकुना रख कर इसको पास किया गया तो इस सीलिंग के कानून को हाई कोर्ट में चुनौती दी जायगी। इसलिए हम ऐसा कोई काम न करें जिससे कोई कानूनी खामी रह जाय। कानूनी खामी रखते हुए जो कानून आप ला रहे हैं वह वैसे ही पूरे रूप में अधूरा है और रद्दी कानून है क्योंकि उसमें छूट दी जा रही है और गरीबों के अधिकार को खत्म किया जा रहा है और गरीबों के अधिकार को खत्म किया जा रहा है। फिर भी हम चाहते हैं कि सीलिंग कानून पर बहस हो, लेकिन हम यह भी चाहते हैं कि रूल (293) की अवहेलना नहीं हो।

श्री अध्यक्ष : श्री नाहर! इसको डिबेट नहीं बनाना है। मैं समझ गया हूं आपका व्यू पाईन्ट !

श्री भैरोंसिंह : रूलिंग ग्रुप के व्यू पाइन्ट को समझ गये हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं भी समझा हुआ हूं, आप भी समझे हुए हैं।

एक माननीय सदस्य : रूलिंग ग्रुप का क्या मामला है ?

श्री भैरोंसिंह : नहीं तो हाउस एड-जोर्न कर दें।

श्री यशवन्त सिंह नाहर : अध्यक्ष महोदय, मैं आर्टिकल 12 (2) ..

श्री अध्यक्ष : कौनसा ?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : आर्टिकल 12 (2) की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री यशवन्तसिंह नाहर) Rule 12 (2) of our Rules says:—

"(2) Sittings of the House shall, subject to the direction of the Speaker, ordinarily commence at 11 A. M. and conclude at 5 P. M."

This is the general law. Rule 293 is an exceptional circumstance. If the House has not been adjourned under Rule 13 and it has not been adjourned sine die, has not been adjourned to a particular day or to an hour or part of the same day, then clearly, it has been adjourned under rule 293 within the time of 5 p.m. Hence it is a valid re-assembly of the House and I have brought a number of instances from our Parliament, Sir.

This is 'Practice and Procedure of Parliament' by M. N. Kaul, and in that on page 301 it says:—

"On April 8, 1929, when the Trade Disputes Bill was under consideration, two bombs were thrown from the visitors' gallery, which burst admist the benches occupied by the official members, causing injury to certain members. Confusion prevailed in the House and the Speaker retired. After a few minutes, he resumed the Chair and observed:

"In view of the most shocking and deplorable incident, I propose to adjourn the House till Thursday (11-4-1929) morning, 11 O'clock."

So the House has been adjourned within the time of 5 p. m. and if no time has been named, whether sine die or otherwise, then the House has re-assembled within the limits of the time and we have re-assembled within the limits of rule 12.

श्री गिरधारी लाल व्यास (आसीन्द) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो हाउस आपने चिन्तन और मनन के लिए डिसआर्डर के बाद एडजोर्न किया और उसके बाद आपने वापिस यहां पर सिटिंग बुलाई उसके सम्बन्ध में जो पाइन्ट आफ आर्डर यहां पर उठाया गया कि अभी को जो सिटिंग है वह इल्लिगल है, लीगल नहीं है, मैं इसके सम्बन्ध में आपका ध्यान रूल 11 की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं।

"11. When is sitting of the House duly constituted—A sitting of the House is duly constituted when it is presided over by the Speaker or any other member competent to preside over a sitting of the House under the Constitution or these rules."

तो इसके सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि यह जो दुबारा एडजोर्न होने के बाद में सिटिंग चल रही है और माननीय अध्यक्ष के द्वारा यह प्रिसाइड की जा रही है—वैसी अवस्था में इस सिटिंग को हम अव्यवस्थित

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

या इल्लिगल नहीं कह सकते । यह ड्यूली कान्स्टीट्यूटेड हाउस की सिटिंग हो रही है और इसमें जो भी कार्यक्रम पूर्व निर्धारित हैं उन पर विचार विमर्श करने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं हो सकती।

दूसरा प्रश्न यह है कि जो डिसआर्डर हुआ और जिस प्रकार का डिसआर्डर फैलाने का माननीय सदस्य अपोजीशन के ने तौर तरीका अपनाया, और जिस प्रकार से डिसआर्डर फैलाने की कोशिश की और जैसा माननीय रामानन्द जी ने कहा, मैं स्वयं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत से माननीय सदस्य इस सीलिंग के कानून को यहां पर डिस्कस नहीं होने देना चाहते हैं। ऊपर से चाहे वह कैसी ही बात कहें, ऊपर से भले ही वह यह कहें कि सीलिंग कानून को यहां जल्दी से जल्दी पास करना चाहते हैं लेकिन उनका ऊपर से कहने का मतलब कुछ और है और अन्दर कुछ दूसरी तरह से ही वह सोचते हैं। हालांकि वह अपने आपको समाजवादी बतलाते हैं लेकिन वह समाजवादी विचारधारा का पालन नहीं करते हैं। वह चुनाव में कैसे जीत कर आते हैं और कैसे यहां आकर बैठते हैं—यह पूरी तरह से वह लोग जानते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि डिसआर्डर फैलाने में सबसे ज्यादा उन्हीं का हाथ है। इसलिए मेरा निवेदन है कि अभी जो सिटिंग चल रही है और इसके सम्बन्ध में पाइन्ट आफ आर्डर उठाया गया है, उसके सम्बन्ध में मेरा विचार है कि यह ड्यूली कान्स्टीट्यूटेड हाउस है, और इसमें जो कार्यक्रम चल रहा है वह बिल्कुल वैधानिक है।

श्री नत्थी सिंह : आप ला मिनिस्टर साहब से पहले सलाह ले लेते।

श्री उपाध्यक्ष : अब मैं अपनी व्यवस्था दे देता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ला मिनिस्टर साहब प्रिपेअर होकर नहीं आये। प्रिपेअर होकर आते तो अच्छी राय देते।

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनिट अर्ज कर दूं। एक मिनिट!

श्री अध्यक्ष : किस पर?

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल : रिप्लाई में।

श्री अध्यक्ष : मैंने अपने हित में सदन की राय पूछी। इसमें रिप्लाई का प्रश्न नहीं है।

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल : एम्बीगुटी पैदा हो गई है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न आपका और मेरा था। फिर भी माननीय सदस्यों से राय ले ली। अब फैसला लेना है।

श्री भैरोंसिंह : फैसला यह लें कि एडजोर्न करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आप प्रवोक करना चाहते हैं। मैं संतुलित मस्तिष्क से···

श्री भैरोंसिंह : प्रवोक नहीं करना चाहता। आपको हाउस एडजोर्न करना है।

श्री अध्यक्ष : मैं संतुलित मस्तिष्क से काम करता हूं। संतुलित मस्तिष्क से काम करने में आपका और मेरा–दोनों का लाभ भी समझा हुआ है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सारी लीकें सी लीक आउट हो जाती है।

श्री भैरोंसिंह : मैं आपकी तरह सरकार की खुशामद नहीं करने लगा हूं।

श्री अध्यक्ष : जो माननीय सदस्यों ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया, मैंने इस संदर्भ में जो कुछ कहा था, उन प्रोसीडिंग्स को देखने के लिए भी मंगायी हैं। प्रोसीडिंग्स यह हैं कि:–

"सदन की कार्यवाही को डिसआर्डर के संदर्भ में स्थगित करता हूं और स्थगित करने के बाद चिंतन करूंगा कि किस तरह से आर्डर रेस्टोर किया जाय। तब तक सदन की कार्यवाही स्थगित समझी जाय।"

जो समय का प्रश्न आया है, उसमें समय का कोई संकेत नहीं दिया गया। रूल 11 के अन्तर्गत "सिटिंग आफ दी हाउस", 12 के अन्तर्गत 11 से लेकर 5 बजे तक, अब इस संदर्भ में··

श्री मदन सिंह : भूकंप हुआ था तो भी आपने किया था।

श्री अध्यक्ष: एक माननीय सदस्य सदन में बीमार हो गए थे तब भी ऐसा ही किया था। उस संदर्भ में मैं अपने शब्दों का विश्लेषण करना चाहूंगा कि "किस तरह से आर्डर रेस्टोर किया जाय तब तक सदन की कार्यवाही स्थगित समझी जाय" 11 और 5 बजे के अन्दर ही सदन को बुलाने की ध्वनि इस शब्दावली से निकलती है।

प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्य : नहीं निकलती है।

श्री मनोहर सिंह मेहता : निकलती है।

श्री अध्यक्ष : आभास निकलता है। तथ्य का रूप धारण करता है या नहीं, मैं नहीं कह सकता, आभास निकलता है।

श्री मदनसिंह : समर्थ को नहीं दोष गुसांई।

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। रूल 13 में है

"The Speaker shall determine the time when a sitting of the House shall be adjourned.....'

तीनों पहलू इसमें दिए गए हैं: साइने-डाइ, यह अधिकार क्षेत्र में हैं। टू ए पर्टीक्यूलर डे, यह भी अधिकार क्षेत्र में है और "टू एन अवर आर पार्ट आफ दी सेम डे" लेकिन नियम 13 के अन्दर यह बात स्पष्ट है। समय का निर्धारण किया जाना चाहिए और इसकी पुष्टि 293 के अन्तर्गत होती है:

"In the case of a grave disorder arising in the House, the Speaker may, if he thinks it necessary to do so, adjourn the House or suspend any sitting for a time to be named by him."

(श्री अध्यक्ष)

नियम 293 में भी समय का उल्लेख किया जाना अत्यंत आवश्यक है। नियम 13 में समय का उल्लेख किया जाना अत्यन्त आवश्यक है इसलिए बिना समय का उल्लेख किए हुए यदि सदन की कार्यवाही आरम्भ की जाय तो जहां तक संवैधानिक स्थिति है यह शंकास्पद हो सकती है किन्तु इस शंका का निराकरण, मैंने जो प्रोसीडिंग पढ़ी है उससे किस हद तक हो सकता है। आया समय का संकेत निश्चित रूप से इसमें है या नहीं? अगर निश्चित रूप से ध्वनि निकलती है और संकेत ही नहीं निश्चित रूप से अगर समय है तो यह लीगली कान्सटीट्यूटेड हाउस है तो प्रश्न यह है कि एक महत्वपूर्ण बिल पारित करना सदन के लिए आवश्यक है और उसे पारित करने के सम्बन्ध में यदि इल्लीगली कान्सटीट्यूटेड हाउस हो तो माननीय सदस्यों ने जो श्रम किया वह अधूरा रहता है। मैं हाई कोर्ट के प्रश्न पर नहीं जाना चाहता, कोई जाय या नहीं यह सदस्य का अधिकार है। किन्तु इस पहलू पर हमें गहराई से चिंतन करना आवश्यक है। यद्यपि मेरे इस मत की पुष्टि में :

"In the case of a grave disorder arising in the House, the Speaker may, if he thinks it necessary to do so, adjourn the House or suspend any sitting for a time to be named by him"

इसमें दोनों है। फार कसाजिंग Common sittings, "Usages of Parliament" इसमें भी स्पष्टतः यह नहीं है कि समय का निर्धारण पूरी तरह से हो या नहीं लेकिन ऐसा मालूम होता है कि इस समीक्षा में इसकी रेमिडी की गयी है।

दूसरा प्रश्न जो मैं इसकी पुष्टि में रखना चाहता हूं मेरी सम्मति की :

"On several other occasions also the Speaker has adjourned the House earlier than the scheduled hour to meet either after a short interval or the same day or at the scheduled hour of commencen.ent of the sitting on the next day"

इसको दोनों ओर इन्टरप्रेट किया जा सकता है, समय की ध्वनि भी है और नहीं भी है। माननीय विधि मंत्री ने सम्मति दी है, उसके अनुसार समय का निर्धारण किया जाना आवश्यक है, जो पोइंट आफ आर्डर उठाया गया, उसका विश्लेषण मात्र माननीय सदस्यों के सामने रखा है। और बहु सारा विश्लेषण और निर्णय इस संबंध में प्रोसीडिंग्स की भाषा पर निर्धारित है। मेरे पास अभी कोई ऐसा इन्टरप्रिटेशन अबाउट दीज रूल्स और usages or precedents ऐसे नहीं हैं जिनसे मैं निश्चित रूप से इस प्रश्न पर निर्णय ले सकूं। इस संदर्भ में मैं अभी विस्तृत रूप से अध्ययन करने हेतु इस प्रश्न को लेकर करता हूं चूंकि महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करना है, जब तक कि मैं अध्ययन करके माननीय सदस्यों को न अवगत करूं तब तक के लिए मैं इस सदन को कार्यवाही को कल प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 2.38 म. प. दिनांक 13-5-70 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई,

Page No 65

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या–27 की सूची)

नक्शा प्राप्त अनुदान व ऋण
(जो गत 5 वर्षों में संघ को प्राप्त हुआ)

अनुदान

क्रमांक	वर्ष	हिस्सा राशि	प्रतिनियुक्ति	व्यवस्थापकीय	गोदाम	मशीन	फर्नीचर	औजार	डुप्लीकेटर	जीप या ट्रक.	प्रशिक्षण	योग
1.	1965–66	–	–	4,785.29	–	–	–	–	–	–	–	4,785.29
2.	1966–67	46,00.00	43,028.00	10,000.00	20,000.00	–	1,000.00	–	–	68,412.00	–	1,47,040.00
3.	1967–68	–	–	10,000.00	–	–	1,000.00	–	1,800.00	–	–	12,800.00
4.	1968–69	–	40,770.00	70,000.00	–	–	1,000.00	–	–	1,42,030.00	16,200	2,70,000.00
5.	1969–70	–	18,000.00	–	20,000.00	–	1,000.00	–	–	1,00,000.00	90,000	2,29,000.00

नोट–उपरोक्त राशि में अनुपयोगित अनुदान की राशि सरकार को लौटा दी गई है।

ऋण

क्रमांक	वर्ष	रकम	योग
1	1967–68	1,00,000.00	1,00,000.00

नोटः–उपरोक्त ऋण राशि में से पहली किश्त मय व्यय ब्याज लौटा दी गई है।

परिशिष्ट 2

(समयाभाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

सिंचाई विभाग द्वारा आवंटित धनराशि

30 श्री रामकुमार नन्दवाना (चितौड़गढ़) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) सन् 1968-69 में बाढ़ सहायता कार्य हेतु सिंचाई विभाग द्वारा चितौड़गढ़ जिले में कुल कितना धन आवन्टित किया गया है ? सिंचाई विभाग ने इस धन का उपयोग किन किन कामों पर किया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि इस रकम का उपयोग ठीक ढंग से नहीं किया गया है ? क्या यह सत्य है कि सिर्फ एडजेस्टमेन्ट किया गया है ? यदि हां, तो कितनी धनराशि का कुल एडजेस्टमेंट किया गया है ?

उत्तर

(1) सन् 1968-69 में बाढ़ सहायता कार्य हेतु सिंचाई विभाग द्वारा 18 लाख रुपये चितौडगढ़ जिले के लिए आवंटित किया गया है। जिन जिन कार्यों पर इस राशि में से धन का उपयोग किया गया है, उसकी सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

DETAILS OF REPAIR WORKS OF DAMAGED TANKS IN DISTRICT CHITTORGARH IN THE YEAR 1968-69.

S. No.	Name of the work.	Allotment original.	Expenditure upto 31st March, 69.
1.	Gambhiri.	6.50	6.75
2.	Murlia	1.10	1.20
3.	Gadola	0.40	0.30
4.	Namirsagar.	0.10	0.40
5.	Nagawali	0.20	0.20
6.	Palod.	0.20	0.08
7.	Dindoli Tank and Feeder.	0.70	0.70
8.	Ganeshpura.	0.20	0.20
9.	Arni	0.20	0.10
10.	D. K. Feeder.	0.70	0.80
11.	Dhamana Tank.	0.40	0.40
12.	Kapasan Tank.	0.50	0.20
13.	Bada Banakia.	0.20	—
14.	Banakia.	0.90	0.55
15.	Kashmore.	0.20	0.14
16.	Borda.	0.50	0 31
17.	Bamina.	0.35	0 30
18.	Soniyana,	0.60	0 18
19.	Urai.	1.10	1.51
20.	Baigarh.	0.25	0.26
21.	Kala Deh Tank.	0.30	0.25
22.	Bhopal Sagar.	1.30	1.00
23.	Jashma Tank.	0-20	0.18
24.	Badgaon Tank.	0.20	0.78
25.	Ballahsagar.	—	1.60
26,	Ugrol Tank.	—	0.12
27.	Uncha.	—	0.20
28.	Pari.	—	0.04
29.	Kattnda.	—	0.03
30.	Adia.	—	0.02
31.	Palka.	—	0.06
32.	Umercha.	—	0.14
	ESTABLISHMENT.		
1.	Establishment.	—	0.05
2.	Pto tata establishment.	—	0.24
3	Prorata T & P	—	0.05
	GRAND TOTAL:—	18.00	18.31

अकाल सहायता के अन्तर्गत चलवाये गये कुएं

31. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) तहसील नोहर में अकाल सहायता के अन्तर्गत सन् 1969 में किस किस गांव के कुओं को चलवाया गया था और उनकी मजदूरी की बोली किस प्रकार रही थी ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) कुओं को चालू कराने के समय क्या क्या शर्तें तय की गई थीं ?

(3) क्या यह सही है कि सभी कुओं को चलाने की मजदूरी का भुगतान समय और मौके पर नहीं दिया गया ? यदि हां, तो इसके लिये उत्तरदायी कौन है ?

(4) क्या ठेकेदारों की जमानतें भी ली गयी थीं ?

(5) क्या यह सही है कि मजदूरी का भुगतान 25) रु. दर पर और कम बोली का ही किया गया है, ऊंची बोली का भुगतान नहीं किया गया है ? किस कुए की मजदूरी का भुगतान कब और किस रूप में किया गया है ? ब्यौरा सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) तहसील नोहर में अकाल सहायता के अन्तर्गत जिस जिस गांव के ऐसे कुओं को चलवाया गया उनकी न्यूनतम बोली की सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) कुओं को चालू कराते समय ठेकेदारों को खासतौर से यह सूचित कर दिया गया था कि जिस अवधि के लिए पानी पिलाना है उसमें पूरी तरह पानी पिलाया जाने व पानी पीने से किसी को रोका नहीं जावे कार्य पूरा नहीं होने पर ठेके की रकम जब्त को जा सकती है।

(3) कुओं का भुगतान मौके पर और यथा सम्भव समय पर तहसील कार्यालय द्वारा किया गया है।

(4) लिखित में कोई अनुबन्ध नहीं किये गये। इसलिए जमानत लेने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(5) 25 रु. तक का भुगतान तो किया जाता रहा है उससे ऊपर राज्य सरकार से अब स्वीकृति दी जाने पर शीघ्र ही किया जावेगा। बिलों के प्रस्तुत होने पर उनके प्रमाणिकरण के आधार पर विभिन्न कुओं की मजदूरी का भुगतान विभिन्न तारीखों पर किया गया।

सूची संख्या–1

अकाल सहायता व्यवस्था के अन्तर्गत पेय जल हेतु पिलाई की ग्रामवार सूची

क्र. सं. 1	नाम 2	प्रति दिन मजदूरी की दर 3
1.	बानासर	25) रु.
2.	टिडियासुर	25) रु.
3.	पांडूसर	25) रु.
4.	इरदासवाली	25) रु.
5.	बांदासर	25) रु.
6.	खोपड़ा	17) रु.
7.	नेहराना	15) रु.
8.	मालिया	25) रु.
9.	कल्लू	30, रु.
10.	बाठासर	17) रु.
11.	बैक देई दासपुरा	25) रु.
12.	जैतासुरी बडी	22) रु.
13.	बामनवासी	13) रु.
14.	बन्नासर	25) रु.
15.	भगजानसर	15) रु.
16.	बाचूसर	20) रु.
17.	लल्लाना वास दिखवाया	24) रु.
18.	नेपासर	40) रु.
19.	मोटेरे	44) रु.
20.	खेरसर	31) रु.
21.	उरडकी	22) 50रु.
22.	बोगरमा	8) रु.
23.	जैतासर	35) रु.
24.	न्योलकी	24) रु.
25.	मुकरका	24) रु.
26.	सिरएसर	25) रु.
27.	दुरजाना	30) रु.

Page No 70

1	2	3
28.	मंगूरी	25) रु.
29.	खेरानी	25) रु.
30.	अतरजाना	25) रु.
31.	[illegible]नपुरा	25) रु.
32.	मन्दपुरा	37) रु.
33.	खलदेसर	29) रु.
34.	धानसिया	30) रु.
35.	रेखापोलासर	30) रु.
36.	दुरजनसर	25) रु.
37.	महेला	12) 50रु.
38.	जबरासर	35) रु.
39.	सांजटिया	17) रु.
40.	सूरजपुरा	9) रु.
41.	दलपतपुरा	15) रु.
42.	बडविराना	23) रु.

पंचायतों के मुख्यालयों पर यातायात की व्यवस्था--मांडलगढ

32. श्री मनोहर सिंह महेता (मांडलगढ): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे.—

(1) मांडलगढ़ तहसील में कितनी पचायतों के हैड क्वार्टर ऐसे हैं जहां यातायात की सुविधा है?

(2) क्या मांडलगढ़ तहसील में ऐसे बड़े गांव और पंचायत हैड क्वार्टर भी हैं जहां दूर दूर तक यातायात की व्यवस्था नहीं है? यदि हां, तो ऐसी पंचायतों को यातायात की सुविधा देने के लिये और उप जिले का जिले से सम्बन्ध जोड़ने के सम्बन्ध में सरकार क्या कदम उठाना चाहती है?

उत्तर

1. मांडलगढ़ तहसील में 19 पंचायतें बस मार्ग द्वारा जुड़ी हुई हैं जिनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

2. उक्त तहसील में 21 पंचायत हैड क्वार्टर ऐसे हैं जिनमें होकर बसें नहीं जाती हैं लेकिन उनमें से अधिकांश गांव बस मार्गों से दो या चार मील की दूरी पर हैं। कुछ गांव ऐसे हैं जो 7 से 8 मील की दूरी पर हैं।

भीलवाड़ा से मांडलगढ़ की बसों को जैतपुरा बढाने व बैंगू से जहाजपुर वाया भीचोर, बरूदनी, सिगोली, धाकड़खेड़ी, जोजवा त्रिवेणी, मानपुरा, महुआ, श्री नगर, भजोला शंकरगढ़ होता हुआ मार्ग खोलने की कार्यवाही की जावेगी। जिसमें सभी समस्यायें हल हो जावेगी।

बस मार्गों द्वारा जुडी हुई पंचायतों की सूची

(1) बिगोद
(2) बरूदनी
(3) सिगोली
(4) सराना
(5) बलदरका
(6) मांडलगढ़
(7) श्यामपुरा
(8) महुआ
(9) धामनिया
(10) काछोला
(11) मानपुरा
(12) कल्याणपुरा
(13) भोपालपुरा
(14) बिजोलिया कलां
(15) चान्दजी की खेड़ी
(16) सिलावटीयां
(17) तिलसमा
(18) लाडपुरा
(19) धाकड़खेडी

राज्य के बाहर के पशुओं की चराई

33. श्रीमती मदनकौर (पचपदरा): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या प्रति वर्ष राजस्थान के बाहर के पशु राज्य में चराई हेतु आते हैं?

(2) यदि हां, तो वे किस मौसम में आते हैं? और कब लौट जाते हैं? गत दस वर्षों में जो पशु विभिन्न राज्यों से राजस्थान में चराई हेतु आये, उनके आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

(3) ये पशु किन क्षेत्रों में चराये जाते हैं?

(श्रीमती मदन कौर)

(4) प्रत्येक पशु की चराई शुल्क क्या ली जाती है ? उनकी तुलना में राजस्थान के पशुओं से क्या चराई शुल्क ली जाती है ?

(5) गत दस वर्षों में राज्य के बाहर से आये पशुओं की चराई से कितना राजस्व मिला है ?

(6) क्या राजस्थान के पशुओं के चराई हेतु पर्याप्त चरागाह राजस्थान में हैं ?

(7) यदि नहीं, तो राज्य सरकार राज्य के बाहर से आने वाले पशुओं पर नियन्त्रण लगाने सम्बन्धी क्या नीति अपना रही है ?

उत्तर

1. जी हां।

2. वर्षा के आरम्भ में आते हैं और वर्षा समाप्त होने पर चले जाते हैं। सूची (अ) संलग्न है।

3. ये पशु बांसवाड़ा, सिरोही, कोटा, बांरा, बून्दी, झालावाड़ के वन क्षेत्रों में चराये जाते हैं।

4. सूची (ब) संलग्न है।

5. चराई शुल्क	8056/–
मुआवजा	18000/–

6. जी नहीं।

7. राज्य के बाहर से आने वाले पशुओं की चराई पर नियन्त्रण लगाना सम्भव नहीं है क्योंकि राज्य की सीमावर्ती जिलों में राजस्थान के पशु दूसरे राज्यों के क्षेत्र में एवं अन्य राज्यों के मवेशी राजस्थान के क्षेत्र में रेसीप्रोकल बेसिस (Reciprocal Basis) पर चरने आते व जाते हैं।

गुजरात और मध्य प्रदेश से गत दस वर्षों में राजस्थान के विभिन्न वन मण्डलों में आये हुए पशुओं की सूची

सारणी (अ)

क्र. सं.	नाम डिवीजन	किस्म पशु	राजस्व	1960-61	61-62	62-63	63-64	64-65	65-66	66-67	67-68	68-69	69-70	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	बांसवाड़ा	गाय	—	—	—	2383	—	—	—		—	—	—	2383
		राजस्व	—	—	—	892/80	—	—	—		—	—	—	892/80
2.	सिरोही	गाय बेल	1583	1472	640	792	1693	898	1402		1836	1497	393	13872
		भैंस-भेंसा	4	—	63	53	4	62	4		35	19	14	258
		बकरी	298	225	1238	539	860	1618	558		1590	1098	98	10019
		ऊंट ऊंटनी	—	—	—	—	—	—	—		8	7	—	16
		रासवा	—	—	—	—	—	—	—		3	—	—	3
		राजस्व	335/38	327/65	289/68	263/63	441/20	345/58	293/98		429/85	353/17	335/88	3732/36
3.	कोटा	भेड़ बकरी	—	—	—	—	—	—	—		—	14000/	—	14000/-
		मुआवजा	—	—	—	28	—	40	45		49	57	52	241
4.	बारां	भैंस	—	—	—	—	—	1	9		1	12	—	23
		भैंसा	—	—	—	6	—	16	16		11	19	12	90
		कोटी	—	—	—	1	—	10	3		—	9	4	25
		पाड़ा	—	—	—	11	—	13	2		—	18	18	63
		पाड़ी	—	—	—									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		बैल	–	–	–	–	–	2	–		5	–	–	5
		नारक्या	–	–	–	–	–	58	–		15	22	–	75
		गाय	82	213	272	360	4	61	–		51	73	136	1262
		राजस्व	30/75	75/50	101/99	250/46	1/50	317/73	314/99		166/12	493/36	462/59	2218/89
ड.	बूंदी	भेड़ बकरी	–	–	–	–	–	–	-		11795	35174	35000	81962
ढ.	झालावाड़	भैंस	–	–	91	66	82	–	–		–	4	–	233
		भैंसा	–	–	1	1	–	–	–		–	–	–	2
		झोटी	–	–	23	18	–	–	–		–	–	–	41
		पाड़ा	–	–	7	19	11	–	–		–	1	–	41
		पाड़ी	–	–	21	24	20	–	–		–	1	–	66
		बैल	–	–	20	2	–	–	–		–	–	–	92
		गाय	–	–	90	2	–	–	–		–	–	–	22
		बकरी	–	–	–	–	–	–	153		68	200	–	421
		राजस्व	–	–	422/64	286/69	289/94	–	76/50		34/–	112/–	–	1212/85

सारिणी (ब)

चराई शुल्क की तुलनात्मक टिप्पणी

नाम डिविजन	नाम मवेशी	राजस्थान के मवेशी की चराई दरें	राजस्थान से बाहर के मवेशी की चराई दरें
1	2	3	4
बांसवाड़ा सिरोही	गाय	निःशुल्क	0.37
	भैंस भैंसा	1.00	2.00
	गाय बैल	0.25	0.50
	बकरी भेड़	2.06	0.12
	ऊंट ऊंटनी	0.00	2.00
	रासवा	0.25	0.50
बारां	भैंस भैंसा झोटी	1.00	3.00
	पाड़ा पाड़ी	0.37	1.12
	बैल मारक्या	1.00	2.00
	गाय	निःशुल्क	0.37
बून्दी	भैंस भैंसा	1.00	6.00
	ऊंट	2.00	—
	घोड़ा	1.00	—
	गाय	—	0.75
	भेड़ बकरी		0.30
झालावाड़	भैंस भैंसा झोटी	1.00	2.00
	पाड़ा पाड़ी	0.37	0.75
	बैल	1.00	2.00
	गाय	निःशुल्क	0.50
	बकरी	0.25	0.50

तेन्दू के पत्तों का ठेका

34. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कोटा डिवीजन के बकानी रेंज के पत्ता तेंदू का ठेका वर्ष 69-70 के लिये नीलाम किया गया था ?

(2) अगर हां, तो कब, कितनी राशि में व किस के पक्ष में ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त ठेका खारिज कर दिया गया है ? अगर हां, तो कब व क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, बकानी रेन्ज कोटा वन मण्डल में नहीं होकर झालावाड़ वन मण्डल से है।

(2) दिनांक 30-1-70 को 17551) रु. की उच्चतम बोली में श्री पन्नासिंह आत्मज शिव दयाल सिंह की थी।

(3) जी हां, 13-4-70 को इस क्षेत्र के तेन्दू पत्ता विभागीय तौर पर कार्य कराने का निर्णय लिया गया था। इसी कारण यह ठेका खारिज किया गया है।

पंचायत भवन एवं सार्वजनिक स्थान हेतु भूमि

35. श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या ग्राम पंचायत कांवट ने पंचायत भवन एवं सार्वजनिक स्थान निर्माण हेतु पोद्दार कुटुम्ब कांवट को कोई भूमि बिना मूल्य दी थी ? यदि हां, तो किस तारीख को कितनी भूमि किस व्यक्ति के नाम पर दी गई थी ?

(2) क्या यह सही है कि यह भूमि राजस्व अभिलेख में सार्वजनिक पथ है और शाहपुरा रोड की सीमा में ही है ? क्या ग्राम पंचायत ने इस भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तित कराई ? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

(3) पंचायत भवन का निर्माण हुए कितना समय हो गया है ? और अब तक सरकार को सुपुर्द न किये जाने के क्या कारण हैं ?

(4) अब सरकार इस भवन को अपने नियन्त्रण में लेने के लिये क्या कदम उठायेगी ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। बिना मूल्य कोई जमीन नहीं दी थी लेकिन पंचायत ने सार्वजनिक भवन निर्माण हेतु पोद्दार कुटुम्ब कांवट को 10 पैसे प्रति वर्ग गज के हिसाब से दिनांक 29–10–66 को 791–3/4 वर्ग गज भूमि का पट्टा श्री दयानन्द पोद्दार निवासी कांवट के नाम से दिया।

(2) जी, हां। पंचायत ने इस भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तित नहीं कराई लेकिन इसको आबादी की भूमि मानकर राजस्थान पंचायत एवं न्याय पंचायत (सामान्य) नियम, 1961 के नियम 266 के अन्तर्गत पंचायत ने बिना नीलाम किये 10 पैसे प्रति गज के हिसाब से इसका पट्टा दे दिया है।

(पंचायत मंत्री)

(3) इस सार्वजनिक भवन का निर्माण पंचायत भवन के नाम से नहीं हुआ है। इस सार्वजनिक भवन को बने हुए करीब 3 साल हो गये हैं। पंचायत के निर्णय दिनांक 29—10—66 में यह शर्त थी कि भवन पोद्दार परिवार के नियन्त्रण में रहेगा। इसलिये सुपुर्दगी का प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय में पदोन्नतियां

36. श्री जयनारायण खालोदिया (निवाई): क्या स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) यू. डी. सी. कम स्टेनो-टाइपिस्ट के लिये सरकार द्वारा निर्धारित योग्यताएं क्या हैं ?

(2) अप्रेल, 69 में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय राजस्थान जयपुर में जिन कनिष्ठ लिपिकों की यू. डी. सी. कम स्टेनो टाइपिस्ट के पद पर पदोन्नति की गई थी क्या वह सरकार द्वारा निर्धारित योग्यताएं रखते हैं ? यदि नहीं तो, उन्हें अब तक पदावनत क्यों नहीं किया गया ? प्रमोशन किस के द्वारा किस आधार से किया गया ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) अप्रेल, 69 में जिन व्यक्तियों को पदोन्नति दी गई थी क्या उन पदों के लिये विभाग के अन्य कर्मचारियों से भी प्रार्थना-पत्र आमन्त्रित किये गये थे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या अप्रेल, 69 में पदोन्नत किये गये व्यक्तियों के खिलाफ अन्य वरिष्ठ व्यक्तियों के विरोध पत्र प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य विभाग राज. जयपुर के पत्र क्रमांक एफ. 18(31) एम. पी. एच./66/ग्रुप 2 दिनांक 19-2-70 एवं वित्त विभाग राजस्थान, जयपुर के नोटिफिकेशन सं. एफ-2(ब) (18) ए. फ. डी. (ई. आर.) 66-4 दिनांक 1.-4-66 के द्वारा अंग्रेजी हिन्दी संकेत लिपि क्रमशः 70/60 शब्द प्रति मिनट एवं अंग्रेजी/हिन्दीटंकण का क्रमशः 2 /20 शब्द प्रति मिनिट की गति का ज्ञान होना आवश्यक है।

(2) अप्रेल 69 में जिन कनिष्ठ लिपिकों को यू. डी. सी. कम व स्टेनो टाइपिस्ट पर पदोन्नत किया गया था वह पदोन्नति पूर्णतया अस्थाई तौर (एडहोक बेसिस) पर की गई थी। राज्य सरकार द्वारा दर्शायी गई योग्यताओं के अभाव में उन सभी व्यक्तियों को निदेशालय के आदेश क्रमांक 1,382-97 दिनांक 16-2-70 के द्वारा उनके पूर्व मूल पदों पर पदोन्नत कर दिया गया है।

(3) अप्रेल 69 में भरे गये रिक्त पदों के लिए विभागीय अन्य कर्मचारियों से प्रार्थना पत्र आमंत्रित नहीं किये गये थे बल्कि स्वैच्छा से वे जिन कर्मचारियों ने अपने प्रार्थना पत्र निदेशालय में प्रस्तुत कर रखे

Page No 78

(स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री)

थे, उन्हीं कर्मचारियों को सीधे ही वरिष्ठता के आधार पर पूर्णतया अस्थायी तौर (एडहोक बेसिस) पर पदोन्नति दी गयी।

(4) अप्रेल 69 में पदोन्नत किये गये व्यक्तियों के विरुद्ध कुछ कर्मचारियों के विरोध पत्र निदेशालय में प्राप्त हुए थे तथा उनके उपर अंतिम निर्णय लेने के अनुसार अप्रेल, 69 में पदोन्नत किये गये सभी व्यक्तियों को निदेशालय के आदेश क्रमांक 2302-77 दिनांक 26-2-70 के द्वारा उन्हें उनके पूर्व मूल पद पर पदावनत कर दिया गया है। इन पदों को पुनः भरने के पूर्व अब एक प्रतियोग्यता व परीक्षा का आयोजन निदेशालय में रखा जावेगा।

अधूरे भवनों के लिये धनराशि

37. श्री रामकुमार नन्दवाना (चित्तौड़गढ़) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि शक्कर चेरिटी फण्ड से चित्तौड़गढ़ जिले में अधूरे स्कूल भवनों के लिए मुख्य मंत्री जी द्वारा कोई धन राशि का अलोटमेन्ट किया गया है? यदि हां तो कुल कितना तथा किन किन स्कूलों को कितना कितना आवंटन किया गया है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सत्य है कि जो फण्ड आवंटन किया गया है वह अभी तक स्कूल भवनों को नहीं दिया गया है? यदि हां, तो इसके कारण क्या रहे हैं?

(3) क्या यह सत्य है कि इन अधूरे स्कूल भवनों का कार्य स्थानीय जनता द्वारा चालू कर दिया गया है, वे मुख्य मंत्री द्वारा आवंटित धन राशि का इन्तजार कर रहे हैं? यदि हां, तो वह कब तक मिल सकेगी?

(4) क्या यह सही है कि जिन स्कूलों के लिये यह धन राशि आवंटित की गई है तथा जिनके एस्टीमेट नक्शे मांगे गए हैं वही फूड डिपार्टमेन्ट में नहीं पहुंचे हैं? यदि हां, तो इसके लिए कौन ऑफिसर उत्तरदायी है?

उत्तर

(1) जी हां, चित्तौड़गढ़ जिले में अधूरे स्कूल भवनों के लिये 39,760 रु. की धन-राशि शक्कर चेरेटी फंड से मुख्य मंत्री महोदय की स्वीकृति के अनुसार देने के आदेश हुये हैं। जिन स्कूलों को इस राशि से जितना जितना अनुदान दिया गया है उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां, कारण यह है कि इस फंड से अनुदान देने के आदेश अभी हो जारी हुये हैं अतः इस राशि का भुगतान जिलाधीश द्वारा संस्थाओं को इस माह के अन्त तक कर दिया जावेगा।

(3) जी हां, राशि का भुगतान इस माह के अन्त तक करने हेतु जिलाधीश चित्तौड़गढ़ को आदेश दिये जा चुके हैं।

(4) यह सत्य नहीं है। अतः किसी अधिकारी के उत्तरदायी होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

सूची प्रश्न भाग 1

क्र सं.	नाम संस्था	राशि जो स्वीकृत की गई
1.	राजकीय उच्च प्राथमिक शाला, हुरियाणा	1750 रु.
2.	राजकीय प्राथमिक कन्या विद्यालय, थांकोला	3000 रु.
3.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, कोटड़ा	1000 रु.
4.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, बड़ी सादड़ी	3000 रु.
5.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, भैंसरोड़गढ़	1500 रु.
6	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, सिरपुर	2000 रु.
7.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, डूंगला	2000 रु.
8.	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, कनौज	3000 रु.
9.	साईन्स एसोसियेशन राजकीय महा विद्यालय, चित्तौड़गढ़	500 रु.
10.	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गंगानगर	3000 रु.
11.	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, चित्तौड़गढ़	1750 रु.
12.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, बोराज	2000 रु.
13.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, कमोरा	1450 रु.
14.	राजकीय उच्च प्राथमिक शाला, अरनियावेव	1140 रु.
15.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, पेमुड़ा	4670 रु.
16.	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, मन्सोरी	1000 रु.
17.	राजकीय प्राथमिक शाला, उमन्ड़ा	2000 रु.
18.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, दस्सी	5000 रु.

अध्यापकों की नियुक्तियां

38. श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सीकर जिले के इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स द्वारा 1-5-69 से 20-1-70 तक कुल कितने अध्यापकों की नयी नियुक्ति की गई ?

(2) उक्त अध्यापकों ने किस किस वर्ष में ट्रेनिंग की है ?

(3) क्या यह सही है कि सीकर जिले में 65-66 के ट्रेन्ड उम्मीदवार मौजूद हैं जिनको नियुक्ति न देकर 1967—68 के ट्रेन्ड उम्मीदवारों को ले लिया गया है ?

उत्तर

(1) 72 अध्यापकों की नई नियुक्तियां की गई है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूची संलग्न है।

(3) 65—66 का कोई ट्रेन्ड उम्मीदवार शेष नहीं है। अतः 67—68 के ट्रेन्ड उम्मीदवारों को ही नियुक्ति दी गई।

प्रश्न संख्या 38 की सूची

कार्यालय विद्यालय निरीक्षक, शिक्षा विभाग, सीकर ।

क्र. सं. नाम अध्यापक	शाला का नाम	नियुक्ति तिथि	प्रशिक्षण करने की तिथि
1. श्री गंगाराम स.प्र.	उ.प्रा.वि. मढ़िकाथला	15–10–69	बी.एस.सी.सी. 65
2. ,, त्रिलोकसिंह स.प्र.	उ.प्रा.वि. मंगलुना	14–10–69	,, 65
3. ,, कैलाशचन्द्र स.प्र.	उ.प्रा.वि. मुन्नावाड़ा	10– 0–69	,, 69
4. ,, लाल मोहम्मद स.प्र.	उ.प्रा.वि. शाहपुरा	15–10–69	,, 69
5. ,, शिवशंकर स.प्र.	उ.प्रा.वि. दूलोद	13–10–69	,, 69
6. ,, जितेन्द्रनाथ स.प्र.	उ.प्रा.वि. फतेहपुरलटीकाम	10–10–69	,, 69
7. ,, शंकरलाल शर्मा स.प्र.	उ.प्रा.वि. भैंषायरा	11–10–69	,, 69
8. ,, मोहनलाल स.प्र	उ.प्रा.वि. लशाणी स.म.	11–10–69	,, 69
9. ,, हरिशंकर स.प्र.	उ.प्रा.वि. बंडा भवनी	10–10–69	,, 69
10. ,, सत्यनारायण स.प्र.	उ.प्रा.वि. लोवदा	4–10–69	,, 69
11. ,, नारायण लाल स.म.	उ.प्रा.वि. गोबटी	13–10–69	,, 69
12. ,, निरंजनलाल स.प्र.	उ.प्रा.वि. थोद	13–10–69	,, 69
13. ,, मुरलीधर स.प्र.	उ.प्रा.वि. झाडली स.म.	14–10–69	,, 69
14. ,, मदनाराम स.प्र.	उ.प्रा.वि. लाचरियालास	13–10–69	,, 69
15. ,, फैयाजअली स.प्र.	उ.प्रा.वि. मंगलुना	13–10–69	,, 69
16. ,, भागीरथसिंह स.प्र.	उ.प्रा.वि. गारिन्डा	13–10–69	,, 69
17. ,, डूंगरमल स.प्र.	उ.प्रा.वि. एलेश्बर	1–10– 9	,, 68
18. ,, बिहारीलाल स.प्र.	उ.प्रा.वि. पथार	18–10–69	,, 69
19. ,, हरफूलसिंह स.प्र.	उ.प्रा.वि. मोवटी	14–10–69	,, 69
20. ,, केशरसिंह स.प्र.	उ.प्रा.वि. बिहार	18–10–69	,, 69
21. ,, मोहनलाल स.प्र.	उ.प्रा.वि. बिहार	21–10–69	,, 69
22. ,, रघुवीरप्रकाश स.प्र.	उ.प्रा.वि. धला	6–1– 70	,, 67
23. ,, वासुदेव स.प्र.	उ.प्रा.वि. भंडावरा	3–1– 70	,, 67
24. ,, रघुवीरसिंह स.प्र.	उ.मा.वि. रींगस	3–1– 70	,, 69
25. ,, पुरशोत्तमदास स.प्र.	मा.वि. नीमकाथाना	7–1– 70	,, 69
26. ,, रमेशचन्द्र स.प्र.	प्रा.शा.नं. 14 सीकर	5–1– 70	,, 69
27. ,, मनोहरसिंह स.प्र.	प्रा.शा.नं. 9 सीकर	1–1– 70	,, 69
28. ,, [illegible] स.प्र.	प्रा.शा.नं. 12 सीकर	3–1– 70	,, 69

Page No 81

1	2	3	4	5
29.	श्री बसंतकुमार स.अ.	उ.प्रा.वि. बींगपुर	5-1-70 बी.एस.टी.सी.	69
30.	,, रिछपाल स.अ.	उ.प्रा.वि. कायमसर	13-10-69 ,,	69
31.	,, जयप्रकाश स.अ.	उ.प्रा.वि. कायमसर	11-10-69 ,,	69
32.	,, नारायण सिंह	उ.मा.वि. फतेहपुर	10-10-69 ,,	69
33.	,, बलदेव सिंह	,, शिवरानी	16-10-69 ,,	69
34.	,, भींमराव	,, मिसोटअली	16-10-69 ,,	69
35.	,, पूर्णमल	,, मन्डायरा	18-10-69 ,,	69
36.	,, घनश्याम	प्रा.सा.म. ,, लछमनगढ़	17-10-69 ,,	69
37.	,, मुरलीधर	,, ,,	3-1-70 ,,	69
38.	,, कैलाशचन्द्र	प्रा. वि. नं. ,, फतेहपुर	5-1-70 ,,	69
39.	,, दशरथ	,, ,, ,,	16-10-69 ,,	69
40.	,, देवीसिंह	प्रा. वि. महनोअली	6-1-70 ,,	69
41.	,, मालीराम	उ.प्रा.वि. गणेश्वर	16-10-69 ,,	69
42.	,, रामलाल	,, बिहार	21-10-69 ,,	69
43.	,, सांवतराम	,, पिणराली	16-10-69 ,,	69
44.	,, गोपाल लाल	प्रा. वि. नं. 1 खण्डेला	3-1-70 ,,	69
45.	,, प्रेमचन्द	उ.प्रा.वि. स्यागहर	11-10-69 ,,	69
46.	,, भागीरथमल	,, कोशियावडा	14- 0-69 ,,	69
47.	,, राधेश्याम	,, मंगजूना	14-10-69 ,,	69
48.	,, भंवर चन्द	,, मुन्डवारा	14-10-69 ,,	69
49.	,, पांचूराम	,, बिहार	18-10-69 ,,	69
50.	,, शंकरलाल	,, रामगढ़ सेतान	18-10-69 ,,	59
51.	,, लक्ष्मीनारायण	,, रैंवासा	16-10-69 ,,	69
52.	,, सुवालाल	,, धिमराली	14-10-69 ,,	69
53.	,, यूसफअली	प्रा.वि. खोसत	5-1-70 ,,	69
54.	,, श्यामसुन्दर	म.वि. नीम का थाना	3-1- 70 ,,	69
55.	,, सज्जनसिंह	उप्रा.वि. शिहोट छोटी	18-1-70 ,,	69
56.	,, रामकृष्ण	प्रा.वि.नं. लछमनगढ़	3-1-70 ,,	69
57.	,, रामस्वरूप	मा.वि. थामूडा	7-1-70 ,,	69
58.	,, मुरलीधर	उ.प्रा.वि. बाटोधर	14-10-69 ,,	69
59.	,, शिव मनधान	,, माधोन खल	13-1-70 ,,	69
60.	,, मोहन सिंह	,, नीमकाथाना	10-1-70 ,,	69
61.	,, उदयसिंह	,, ,,	24-1-70 ,,	69

1	2	3	4	5
62.	श्री छद्दूमलाल	उ.प्रा.वि. डाणी जोरावरसिंह	10- 0-70	बी.एस.टी.सी. 69
63.	,, नाथूलाल	,, खिडोट बड़ी	10-1-70	,, 69
64.	,, भगवान सिंह	उ.मा.वि. शाकला	31-12-69	,, 69
65.	,, झामरमल	प्रा.वि. मण्डावरा	31-12-60	,, 66
66.	श्री भंवरसिंह स. अ.	उ. मा. वि. मून्डवासा	31-12-69	,, 69
67.	श्री ह्निॅयाद अली स. अ.	मा. वि. रानोली	31-12-69	,, 69
68.	श्री रामनारायण स. अ.	उ. प्रा. वि. गढभोपजी	10-1-70	,, (9
69.	श्री रामेश्वर लाल स. अ.	उ. प्रा. वि. कार्यभपर	2-1-70	,, 69
70.	श्री हरिसिंह स. अ	उ. प्रा. वि. गोडियावडा	1-:-70	,, 69
71.	श्री गिरधारी लाल स. अ.	मा. वि. कांवट	2-1- 0	,, (9
72.	श्री रामनाथ स. अ.	उ.मा.वि.खटीकान फतेहपुर	1-1-70	,, 69

भारद्वाज ।

विद्यालय निरीक्षक,

शिक्षा विभाग, सीकर ।

राजस्थान केनाल की सूरतगढ ब्रांच के मोघे

39. **श्री राम चन्द्र आर्य (नोहर) :** क्या राजस्थान नहर परियोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि राजस्थान केनाल की सूरतगढ ब्रांच के वाटर कोष (मोघे) उखाड दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों और किसके आदेश से ?

उत्तर

जी हां,

टेलों व अन्य निर्धारित मोघों को पर्याप्त मात्रा में पानी देने के लिये कुछ अतिरिक्त मोघों को हटा दिया गया है ।

राजस्थान इरिगेशन व ड्रेनेज एक्ट के अन्तर्गत सम्बन्धित एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एवं सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर के आदेश से ये मोघे हटाये गये हैं ।

परिशिष्ट 3

(अतारांकित प्रश्न संख्या 24 के भाग (1) से (उ) में निर्दिष्ट सूची)

सूची (अ)

पंचायत समिति, लाडनूं में कृषि कुओं के निर्माण के लिए दिये ऋण का विवरण

क्रमांक	नाम व्यक्ति जिसको ऋण दिया गया	ऋण राशि	ऋण देने का दिनांक	मद जिससे ऋण दिया गया
1.	श्री भगवानदास पुत्र डूंगरदास वसूम्बी	8000)	3-6-65 से 21-2-66 तक	कृषि दीर्घ कालीन
2.	,, लालाराम पुत्र मोलुराम वसूम्बी	8000)	3-6-65 से 21-9-65 तक	,,
3.	,, रतनाराम पुत्र पीथाराम चन्द्राई	4000)	8-6-65 को	
4.	,, नारायणसिंह पुत्र समदरसिंह तीतरी	5000)	6-7-65 को	
5.	,, शम्भूसिंह पुत्र बदनसिंह रोडू	9000)	21-2-68 से 6-5-68 तक	,,
6.	,, अमदेव पुत्र लादूराम लेडी	9000)	4-7-66 से 25-1-67 तक	,,
7.	,, पन्नाराम पुत्र टीकूराम ढींगसरी	10000)	12-10-66 से 25-9-69 तक	,,
8.	,, अरजुनसिंह पुत्र गंगासिंह घुड़ोला	6000)	3-12-66 से 25-8-68 तक	,,
9.	,, नाथुराम पुत्र सुखाराम सिलनवाद	9000)	5-6-67 से 24-6-67 तक	,,
10.	,, प्रभूराम पुत्र थाना राम	9000)	4-6-67 से 24-6-67 तक	,,
11.	,, मूलसिंह पुत्र नाथूसिंह मिडासरी	4000)	27-3-68	,,
12.	,, हनुमानसिंह पुत्र कानसिंह सोवा	4000)	27-3-68	

Page No 84

सूची (ब)

क्रम संख्या	नाम मय पता	दिनांक जब ऋण काम में लेना था	दिनांक जब ऋण काम में लिया
1	2	3	4
1.	श्री भगवानदास पुत्र डूंगरदास वसूम्बी	3-6-66	काम में नहीं लिया ।
2.	,, लालाराम पुत्र मोतुराम वसुम्बी	4-6-66	समय अनुसार काम में ले लिया गया ।
3.	,, रतनाराम पुत्र पांचारा चन्द्राई	8-6-66	काम में नहीं लिया गया ।
4.	,, नारायणसिंह पुत्र समंदरसिंह सोतरी	6-7-66	काम में नहीं लिया गया ।
5.	,, शम्भूसिंह पुत्र मदनसिंह रोडू	21-2-68	काम में ले लिया गया ।
6.	,, जयदेव पुत्र लादूराम लेडी	4-8-67	पूर्ण धनराशि काम में नहीं ली गई ।
7.	,, पन्नाराम पुत्र टीकूराम डोगसरी	12-10-68	काम में ले लिया गया है ।
8.	,, अर्जुनसिंह पुत्र गंगासिंह घुडीला	3-12-68	समयानुसार काम में ले लिया गया ।
9.	,, नाथुराम पुत्र सुखाराम सिलनवाद	5-6-68	समयानुसार काम में ले लिया गया ।
10.	,, प्रभूराम पुत्र थानाराम ,,	4-6-6	समयानुसार काम में लिया गया ।
11.	,, मूलसिंह पुत्र नाथू सिंह भिसारी	23-3-69	काम में नहीं लिया गया है ।
12.	,, हनुमानसिंह पुत्र कानसिंह सीवा	27-3-69	काम में नहीं लिया गया है ।

सूची (स)

क्रम संख्या	नाम	वसूली योग्य धनराशि मूल	वसूली योग्य धनराशि ब्याज	धनराशि जो वसूल हुई मूल	धनराशि जो वसूल हुई ब्याज	विशेष विवरण
1.	श्री लालाराम पुत्र भीलूराम वसुम्बी	2,200-00	2,067-50	800-00	431-00	राजस्व विभाग वसूली के लिए
2.	श्री शम्भूसिंह पुत्र बदनसिंह रोहू	800-00	1,098-50	–	–	समय पर कागज को भेज दिये
3.	श्री अर्जुनसिंह पुत्र मंगलसिंह-घुड़िला	600-00	240-59	–	–	गये हैं। ,,
4.	श्री नाथूराम पुत्र सुखा राम सिलणवाद	400-00	968-50	–	–	,,
5.	श्री प्रभुराम पुत्र थानाराम सिलनवाद	470-00	968-50	–	–	,,

सूची (द)

क्रम संख्या	नाम व्यक्ति जिन्होंने ऋण काम में नहीं लिया	विशेष विवरण
1.	श्री भगवानदास पुत्र डूंगरदास वसुम्बी	धनराशि दण्डनीय ब्याज सहित वसूली के लिए राजस्व विभाग को लिख दिया गया है।
2.	,, रतनाराम पुत्र पीथाराम चन्द्राई	धनराशि 12 प्रतिशत ब्याज सहित वापिस जमा करा दी गई।
3.	,, नारायणसिंह पुत्र समंदरसिंह तितरी	धनराशि दण्डनीय ब्याज सहित वसूली के लिए राजस्व विभाग को लिख दिया है।
4.	,, मूलसिंह पुत्र नाथूसिंह मिडासरी	वसूली की कार्यवाही चालू है।
5.	,, हनुमानसिंह पुत्र कानसिंह सोवा	धनराशि 12 प्रतिशत ब्याज सहित वापिस जमा करा दी गई है।

Page No 86

सूची (घ)

वर्ष	डिमाण्ड भेजने की दिनांक	डिमाण्ड भेजी गई दिनांक	डिमाण्ड भेजने की दिनांक	डिमाण्ड भेजी गई दिनांक
65–66	15–4–65	–	15–10–65	-
66–67	15–4–66	–	15–10–66	–
67–68	15–4–67	–	15–10–67	30–12–67
68–69	15–4–68	31–5–68	15–10–68	8–11–68
69–70	15–4–69	–	15–10–69	15–10–69

Page No 87

परिशिष्ट 4

(अतारांकित प्रश्न संख्या 28 के भाग (3) में निर्दिष्ट सूची)

हरिजन सेवक संघ राजस्थान को गत 5 वर्षों में दी गई सहायता की सूची

क्रम संख्या	वर्ष	दी गई धनराशि
1.	1965–66	36126
2.	1966–67	33059
3.	1967–68	30325
4.	1968–69	29006
5.	1969–70	27707

उक्त धनराशि प्रचार (अस्पृश्यता निवारण) एवं प्रकाशन तथा व्यवस्था हेतु दी गई। कर्जा किसी प्रकार का नहीं दिया गया।

Page No 88

परिशिष्ट 5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 29 की सूची)

विभिन्न संस्थाओं में आवासियों की सूची

क्रम सं.	नाम संस्था	स्थान	आवासी		
			पुरुष	स्त्रियां	बालक
1.	राज्य महिला सदन	जयपुर	–	67	15
2.	उत्तर रक्षा गृह (महिला)	अजमेर	–	33	4
3.	उत्तर रक्षा गृह (पुरुष)	उदयपुर	18	–	1
4.	जिला आश्रय गृह -महिला	जयपुर	–	26	–
5.	जिला आश्रय गृह	उदयपुर	–	5	–
6.	जिला आश्रय गृह	कोटा	–	13	–
7.	जिला आश्रय गृह	जोधपुर	–	16	–
8.	जिला आश्रय गृह	भरतपुर	–	6	–
9.	जिला आश्रय गृह	बीकानेर	–	–	–
10.	राजकीय सेवा सदन	अजमेर	–	60	–
11.	राजकीय पी.सी.के. अनाथाश्रम	बीकानेर	–	–	45
12.	राजकीय अनाथाश्रम	जोधपुर	–	–	23
13.	राजकीय अनाथाश्रम	बांसवाडा	–	–	25
14.	राजकीय अनाथाश्रम	कोटा	–	–	19

Page No 89

सूची होम्स शेल्टर्स व आरफनेज

क्रम संख्या	नाम संख्या	स्थान जिला	औसतन मासिक व्यय
1.	राज्य महिला (सदन)	जयपुर	5,251.00 रुपये
2.	उत्तर रक्षा गृह (महिला)	अजमेर	3,694.00 ,,
3.	उत्तर रक्षा गृह (पुरुष)	उदयपुर	4,899.00 ,,
4.	जिला आश्रय गृह महिला	जयपुर	5,254.00 ,,
5.	,, ,, ,,	उदयपुर	1,537.00 ,,
6.	,, ,, ,,	कोटा	1,683.00 ,,
7.	,, ,, ,,	जोधपुर	2,052.00 ,,
8.	,, ,, ,,	भरतपुर	1,213.00 ,,
9.	,, ,, ,,	बीकानेर	नया
10.	राजकीय सेवा सदन भिक्षुक गृह	अजमेर	7,106.00 ,,
11.	राजकीय पी. सी. के. अनाथाश्रम	बीकानेर	3,223.00 ,,
12.	राजकीय अनाथाश्रम	जोधपुर	1,487.00 ,,
13.	राजकीय अनाथाश्रम	बांसवाड़ा	1,238.00 ,,
14.	राजकीय अनाथाश्रम	कोटा	1,843.00 ,,

परिशिष्ट 6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 30 के भाग (3) में निर्दिष्ट सूची)

नक्शा प्राप्त अनुदान एवं ऋण का स्टेटमेन्ट

(जो गत 5 वर्षों में संघ को प्राप्त हुआ)

अनुदान

क्रमांक	वर्ष	हिस्सा राशि	प्रति नियुक्ति	व्यवस्थापकीय	गोदाम	मशीन	फर्नीचर	औजार	डुप्लीकेटर	जीप या ट्रक	प्रशिक्षण	योग
1.	1965-66	—	—	4,785.29	—	—	—	—	—	—	—	4,785.29
2.	1966-67	4,600.00	43,028.00	10,000.00	20,000.00	—	1,000.00	—	—	68,412.00	—	1,47,040.00
3.	1967-68	—	—	10,000.00	—	—	1,000.00	—	1,800.00	—	—	0.00
4.	1968-69	—	40,770.00	70,000.00	—	—	1,000.00	—	—	1,42,030.00	16,200.00	2,70,000.00
5.	1969-70	—	18,000.00	—	20,000.00	—	1,000.00	—	—	2,00,000.00	90,000.00	2,29,000.0

नोट:—उपरोक्त राशि में से अनुपयोगी अनुदान की राशि सरकार को लौटादी गई है ।

ऋण

क्रमांक	वर्ष	रकम	योग
1.	1967—68	1,00,000.00	1,00,00.00

नोट:—उक्त लिया ऋण राशि में से पहली किश्त मय ब्याज लौटा दी गई है ।

Page No 91

परिशिष्ट 7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 32 के भाग (1) में निर्दिष्ट सूची)

भिक्षावृत्ति उन्मूलन परियोजना के अन्तर्गत भिक्षुक गृह एवं अन्य सम्बन्धित प्रवृतियों पर व्यय तालिका

नाम	व्यय		
	1967-68	1968-69	1969-70
राजकीय सेवा सदन, अजमेर	37097	39316	71595
प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र, अजमेर	5786	14995	44500
स्वागत आश्रम, भिक्षुक गृह, जयपुर	—	8968	21790

राजकीय सेवा सदन, अजमेर

सदन के आवासियों को प्रवेश एवं पुनर्वास संख्या की सूचना

वर्ष	प्रवेश किये गये आवासियों की संख्या	राज्य सेवा में नियुक्ति	निजी सेवा में नियुक्ति	निजी व्यवसाय	परिवार के सदस्यों के साथ भेजे गये की संख्या	अन्य संस्थाओं में स्थानान्तर	स्वेच्छा से मुक्त	मृत	पलायन	कुल	वर्तमान समय में सदन में रह रहे आवासियों की संख्या पूर्व संख्या
1-12-67 से 1967-68 तक	11				2	3			5	10	1
1968	215		3		16	1	143		45	208	7
1969 30-8-69 तक	102		2		3	9	12	1	26	52	50
योग	328		5		21	13	155	1	76	270	60

परिशिष्ट 8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 39 के भाग (1) में निर्दिष्ट सूची)

विद्यालयों की सूची

क्र. सं. 1	शाला का नाम 2	टर्मिनल का सन् 3	विषय 4	कुल संख्या कक्षा 6 से 10 5
1.	राजकीय मा. वि. सरदारशहर	1945	कला, विज्ञान, वाणिज्य	550
2.	श्री बालिका मा. वि. ,,	1968	कला वर्ग	203
3.	सेठ सम्पतराम जी बांगड़ मा. वि. ,,	— 1953	कला, विज्ञान, वाणिज्य	514
4.	बुनियादि मा. वि. गान्धी विद्यालय ,,	1961	कला, वाणिज्य, कृषि	312
5.	महिला विद्यापीठ मीरा निकेतन मा. वि. ,,	—	कला, वर्ग	218
6.	माडर्न मिडिल स्कूल ,, प्राइवेट	1-7-1955		326
7.	महावीर विद्यालय ,,	प्राइवेट 1-7-1939		326
8.	राजेन्द्र विद्यालय ,,	,, 20-6-1952		335
9.	बापू सेवा सदन ,,	,,		253
10.	राजकीय कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय, सरदारशहर			

1	2	3	4	5
डूंगरगढ़				
1.	राजकीय मा. वि. वो डूंगरगढ़	1991	कला, विज्ञान, वाणिज्य	546
2.	राज. बालिका मा. वि. ,,	1964	कला वर्ग	210
3.	साधुनाथ उच्च प्रा. शा. ,,	20-8-56	—	270
4.	बाल भारती ,,	9-12-39	—	206
5.	शिवपट शाला उ. प्रा. ,,	प्राइवेट	—	511
6.	एल.एल. वि. ,, ,, ,,	,,	—	252
7.	राज. कन्या उच्च प्रा.शाला ,,	,,	—	—

शुद्धि-पत्र

(मंगलवार, दिनांक 12 मई, 1970)

स्व. संख्या 1	पंक्ति संख्या 2	अशुद्ध 3	शुद्ध 4
5	अन्तिम से 2	व्य स्था	व्यवस्था
15	शीर्ष	(श्री शीशराम पूनिया)	(श्री शीशराम पूनियां)
19	शीर्ष	(श्री वृजसुन्दर शर्मा)	(श्री वृजसुन्दर शर्मा)
20	8	देहात	देहात
20	12	(सादलपुर)	(सादुलपुर)
25	अन्तिम से 2	कित्सा मन्त्री	चिकित्सा मन्त्री
30	,, 9	आर	उत्तर
33	शीर्ष	(श्री जयनारायण सालीदिया)	(श्री जयनारायण सालोदिया)
33	1	था	या
37	अन्तिम से 10	श्री वद्धिचन्द जैन	श्री वृद्धिचन्द जैन
38	,, 9	श्री समथ.ल.ल	श्री समर्थ.ल.ल
42	1	लिभाग	विभाग
42	,, 18	बितरण	वितरण
42	अन्तिम से 3	उयुक्त	उपयुक्त
44	, 9	श्री परसराम मदे णा	श्री परसराम मदेरणा
47	अन्तिम से 6	कू र	कूलर
50	,, 10	संवंधत	संबंधित
64	,, 14	ामों	कामों
66	,, 2	काष्ट	काष्ठ
76	,, 6	थगित	स्थगित
76	,, 5	ज	जाय
76	अन्तिम से 1	—	कर
77	,, 6	वैनाल	कैनाल
77	,, 5	श्रा	श्री
80	,, 9	स वक	उस वक्त
82	8	जवें	जावें
83	अन्तिम से 1	आंकत	अंकित
84	2	ात	बात
91	,, 1	की	थी
97	,, 7	अध्य	अध्यक्ष
105	शीर्षक	व स्था का प्रश्न सदन की बैठक 12 मई, 1970—स्थगित करने संबंघी ।	व्यवस्था का प्रश्न सदन की बैठक—12 मई, 1970—स्थगित करने संबंघी ।

2

1	2	3	4
112	अन्तिम से 7	हो	ही
112	,, 1	श्री	श्रोर
113	,, 2	afte	after
115	9	दुस्त	दुरस्त
115	13	इम्प लिकेशन्स	इम्पलीकेशन्स
116	अन्तिम से 11	श्रात	श्राता
117	शीर्ष	(श्री रामानन्द श्रगवा)	(श्री रामानन्द श्रग्रवाल)
123	14	होने	होने
131	3	Expendi up:o 31st M	Expenditure upto 31st March
140	अन्तिम से 8	सार्वजनक	सार्वजनिक
154	,, 1	उप क्त	उपरोक्त